लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]

Second Session

[खंड VII में अंक 41 से 50 तक हैं]
[Vol. VII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का अनूदित संस्करण

गुरुवार, 27 जुलाई , 1967 । 5 श्रावण , 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
6742	नीचे से 9 वीं पंक्ति में ' Shri K.P. Pant ' के स्थान पर ' Shri K.C. Pant ' पढ़िये ।
6785	प्रश्न संख्या 6906 और उसके उत्तर के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित अंग्रेजी रूपान्तर पढ़िये :

Pensions to Ex-Servicemen

6906 Shri Hukam Chand Kachwai

Shri Jagannath Rao Joshi

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Defence Personnel including officers and soldiers, appointed in Civil service after discharge from the military service get pension from the Defence Accounts Department and are also paid additional pension for the period they remain in Civil Service ;

(b) whether Government propose to give such officers only Civil pension and not military pension for the period they remain both in Civil and Military Service;

(c) whether it is also a fact that such officers get both civil and military pensions in some Ministries; and

पृष्ठ संख्या	शुद्धि

(d) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) These officers are permitted to add their military service in civil service according to rules in the case they want to get civil pension provided they return bonus, gratuity or pension received at the time of retirement from military service. Those who do not express their desire they get military pension for their military service and civil service is only accounted for civil service pension

(d) The question does not arise?

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 50 गुरुवार, 27 जुलाई, 1967/5 श्रावण, 1889 (शक)

No 50-Thursday, July 27, 1967/Sravana 3, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1411	भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd.	6731–6735
1412	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये नगर प्रतिकर भत्ता	C. C A, to Government Employees in Delhi	6735-6737
1413	व्यास-सतलुज सम्पर्क तथा रावी-व्यास सम्पर्क परियोजनायें	Beas-Sutlej Link and Ravi-Beas Link Projects	6737–6739
1414	कृषिजन्य तथा औद्योगिक उत्पाद के लिए समन्वित मूल्य नीति	Co-ordinated Price Policy for Agricultural and Industiral Produce	6739–6744
1415	परियोजनाओं को पूरा करने के लिये संसाधान	Resources for completion of Projects ..	6744–6747

अल्प सूचना प्रश्न / S.N,Q.

36	नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Neyveli Lignit Corporation workers	6747

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him,

ता० प्र० संख्या/ S.Q.Nos.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1416 बाल अपचार Juvenile Delinquency .. 6750

1417 संश्लिष्ट रबड़ का निर्माण Manufacture of Synthetic Rubber 6750-6751

1418 लेखा बाह्य धन का पता लगाना Unearthing of Unaccounted Money 6751

1419 हैजा Cholera Epidemic ... 6751-6752

1420 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ... 6752-6753

1421 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबधी अमरीकी अभिकरण से विकास ऋण Development loans form US Aid. 6753

1422 बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिये इस्पात के पाइप Steel Pipes for Barauni Oil Refinery ... 6754

1423 अशोधित तेल का आयात Import of Crude Oil ... 6754

1424 लेखा बाह्य धन का पता लगाना Unearthing of Unaccounted Money .. 6754-6755

1425 नेपथा पर आधारित उर्वरक उद्योग Naphtha based Fertilizer Industry ... 6755

1426 काश्तकारों को काश्तकारी का अधिकार Tenancy Rights to Tillers 6755

1427 वित्त मंत्री की मंहगाई भत्ता आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात Finance Minister's Meeting with Chairman, D. A. Commission 6756

1428 वेतन स्थिरीकरण तथा मूल्य स्थिरीकरण Wage Freeze and Price Freeze 6756-6757

1429 सामान्य बीमा को सरकारी क्षेत्र में लाना Inclusion of General Insurance in Public Sector 6757

ता. प्र. संख्या/ U.S. Q. Nos,	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
1430	भविष्य में मूल्यों में वृद्धि	Future rise in Prices	6757–6758
1431	पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत संसाधनों का सर्वेक्षण	Survey of Hydro Power Resources of Western Himalayan Region	6758
1432	बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए सहायता	Assistance for execution of Major Irrigation Projects	6758–6759
1433	नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक	National and Grindlays Bank	6759–6760
1434	व्यापारियों को बैंकिंग सुविधायें	Banking Facilities to Traders	6760–6761
1435	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा वेतन की हड़ताल	Pay strike by Central Government Employees	6761
1436	विदेशी विनियोजन	Foreign Investment ...	6761–6762
1437	आसाम में बाढ	Floods in Assam	6762
1438	राज्यों में सिंचित भूमि की प्रतिशतता	Percentage of Area Irrigated in States ...	6762–6763
1439	विदेशियों के लिये स्वीकृत पालिसियां	Annuity Policies granted to Foreigners	6763
1440	श्री बीजू पटनायक का कर दायित्व	Tax Liabilities of Shri Biju Patnaik	6763–6764
अतारांकित प्रश्न संख्या /U.S.Q. Nos.			
6864	विदेशी मुद्रा के मामलों में अन्तर्गत एक फिल्म अभिनेता	Film Actor involved in Foreign Exchange Cases	6764–6765
6865	पल्लावरन में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees in Pallavaram	6765
6866	गुजरात राज्य में आदिम-जाति खण्ड	Tribal Blocks in Gujarat State	6766

6867	गुजरात में भूकम्पीप सर्वेक्षण	Seismic Surveys in Gujarat	6766
6868	गुजरात राज्य को बिजली के लिये सहायता	Assistance to Gujarat State for Power ...	6766–6767
6869	गुजरात राज्य में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Clinics in Gujarat State	6767
6870	गुजरात के सुनार	Goldsmiths of Gujarat	6767
6871	महाराष्ट्र के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	Primary Health Centres in Maharashtra	6768
6872	हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग के अस्पताल	Leprosy Hospital in Himachal Pradesh	6768-6769
6873	जीवन बीमा निगम द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन	Money Spent by L. I. C. on Advertisements in Newspapers	6769
6874	मैसूर राज्य में अनूसूचित जातियों के लोगों की जनसंख्या	Population of Scheduled Castes People in Mysore State ...	6769-6770
6875	केन्द्रीय समाज कल्याण	Central Social Welfare Board ...	6770
6876	गांवों तथा नगरों में बिजली लगाने के लिये महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Maharashtra for Rural and Urban Electrification ...	6770–6771
6877	महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता योजना	National Water Supply and Sanitation Scheme in Maharashtra	6771
6878	महाराष्ट्र को वित्तय सहायता	Financial Assistance to Maharashtra	6771

अता. प्र संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages.
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.			
6879 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Coaching Centres for Scheduled Castes and Scheduled Tribes		6771-6772
6880 मैसूर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को मैट्रिक के बाद छात्र-वृतियाँ	Post Matric Scholarships to S. C. & S. T. in Mysore		6772-6773
6881 हरिजन कल्याण सलाहकार बोर्ड, नई दिल्ली	Harijan Selfare Advisory Board Delhi ...		6773
6882 नये पद बनाना	Creation of New Posts ..		6773-6774
6883 बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों के निवासी	Slum Dwellers in Big Cities ...		6774
6884 सरकारी क्वार्टरों में इस्पात का प्रयोग	Usage of Steel in Governmen Quarters ...		6774-6775
6885 पलाई सेन्ट्रल बैंक	Palai Central Bank		6775
6886 फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय का फार्म	Farm Owned by F. A. C. T. Alwaye		6775-6776
6887 पिछड़े वर्ग सम्बन्धी काका कालेलकर आयोग का प्रतिवेदन	Kaka Kalelkar Commission's Report on Backward Classes ...		6776
6888 तेल का निर्यात	Export of Oil		6776-6777
6889 बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Refinery		6777-6778
6890 भारत में गर्म पानी के सोते	Hot Springs in India		6778
6892 महाराष्ट्र की सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes of Maharashtra		6778-6779
6893 सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Roads ... –		6779

6894	एडमलयार पन विजली परियोजना	Edamalayar Hydro Electric Project	6779-6780
6895	मध्य प्रदेश में कम आय वर्ग के लिये गृह-निर्माण योजना	Low Income Housing Scheme of Madhya Pradesh	6780
6896	इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में अस्वास्थकर वातावरण	Unhygienic Conditions to Irwin Hospital, New Delhi	6780-6781
6897	पंजाब को सहायता	Assistance to Punjab	6781
6898	पंचवर्षीय परिवार नियोजन योजना	Five Year Family Planning Scheme	6781
6899	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	6781–6782
6900	अंकलेश्वर तेल क्षेत्र	Ankleshwar Oil Fields	6782
6901	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कार्य-भारित कर्मचारी	Work Charged Staff of C F. W. D.	6782–6783
6902	भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक नौकरी देना	Absorption of Ex-servicemen in Civil Service ...	6783
6903	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव	Fluctuation in Prices of Essential Commodities ...	6783–6784
6904	भारत नेपाल सीमा पर तस्करी	Sumggling on Indo Nepal Border ..	6784
6905	कोचीन के गैर-सरकारी तेल समवायों द्वारा कर्मचारियों की छटनी	Retrenchment by Private Oil Companies at Cochin ...	6784–6785
6906	भूतपूर्व सैनिकों कोपेंशन	Pensions to Ex-Servicemen ...	6785
6907	चाय पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Tea ..	6785–6786
6908	श्री हरिदास मुन्दड़ा के विरुद्ध मामले	Cases against Shri Haridas Mundra ... –	6786
6909	फरक्का बांध	Farakka Barrage	6787

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

6910	सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes ..	6787
6911	जबलपुर में सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold at Jabalpur ..	6787–6788
6912	निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया निषिद्ध सोना	Contraband Gold Seized at Nizamuddin Railway Station ..	6788
6913	कलकत्ता मे सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा छापे	Customs Raids in Calcutta	6788–6789
6914	कलकत्ते में पकड़े गये हीरे	Diamonds seized in Calcutta ...	6789
6915	दिल्ली में पशुओं के लिये बस्ती	Cattle Colony in Delhi ..	6789
6916	कराची में कोलम्बो योजना के सदस्य देशों का सम्मेलन	Colombo Plan Conference at Karachi	6789–6790
6917	योजना आयोग पर खर्च	Expenditure on Planning Commission ...	6791
6918	बैंकों द्वारा खाद्यान्नों पर अग्रिम राशि का दिया जाना	Advances by Banks Against Foodgrains	6791–6792
6919	दिल्ली में भूमि की कीमत	Prices of land in Delhi	6792
6920	राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई भत्ता	D. A. to State Government Employees at Central Government Rates	6793
6921	दिल्ली की चिट फंड कम्पनियां	Chit Fund Companies in Delhi	6793
6922	दामोदर घाटी निगम	D. V. C.	6793–6794
6923	राष्ट्रीय विकास परिषद्	National Development Council ...	6794
6924	हिरण्य केसी नदी पर बांध	Bund Across Hiranya Kesi River	6794–6795
6925	ताल सिंचाई योजना	Tal Irrigation Scheme	6795

अता. प्र. संख्या. /U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
6926 पालम हवाई अड्डे पर सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold at Palam Airport ...	6796
6927 मैसर्स प्यारे लाल एण्ड सन्स लिमिटेड दिल्ली	M/s Pyarelal and Sons Ltd., Delhi ...	6796
6928 मृत्यु दर	Mortality Rate	6797
6929 पश्चिम बंगाल में आदिवासी लोगों में क्षय रोग और कुष्ठ रोग	T. B. and Leprosy among Adivasis in West Bengal ...	6797–6798
6930 खम्भात में समुद्रतट में तेल की खोज	Off Shore Oil Exploration in Cambay	6798
6931 अल्वाय स्थित डी डी. टी. कारखाना	DDT Factory at Alwye ..	6799
6932 बम्बई में अन्य देशों के निशानों वाला सोना पकड़ा जाना	Gold bearing Foreign Marking Re-Covered in Bombay	6799
6933 बिहार राज्य आयोजन तथा विकास बोड	State Board of Planning and Development of Bihar	6799-6800
6934 भारत सरकार मुद्रणालय अलीगढ़ के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against officers of Government of India Press, Aligarh ..	6800
6935 विदेशी सहायता का राष्ट्रीय आय पर प्रभाव	Impact of Foreign Aid on National Income ..	6800-6801
6936 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशें	Recommendation of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	6801
6937 भारत में लू लगने के मामले	Heat Stroke cases in India	6801-6802
6938 सूत पर उत्पादन शुल्क तथा विक्रय कर लगाना	Levy of Excise Duty and Sales Tax on Yarn	6802-6803

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

6939 विद्युत चालित करघों के कपड़े पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Cloth produced by Powerlooms	6803
6940 तेल के डिपो	Oil Depots	6803
6941 राजस्व विभाग में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Persons in Revenue Department ..	6803–6804
6942 दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के आयुर्वेदिक औषधालय	Central Government Ayurvedic Dispensaries in Delhi	6804
6943 दिल्ली में परिवार नियोजन सप्ताह	Family Planning Week in Delhi	6804–6805
6944 भिखारी	Beggars ..	6805
6945 पोचमपाद परियोजना	Pochampad Project	6805-6806
6946 हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड	Hindustan Insecticides Limited ..	6806
6947 तीन बच्चों के बाद अनिवार्य नस बन्दी	Compulsory Sterlisation after Three Issues	6806–6807
6948 नई दिल्ली में विलिंग्डन तथा सफदरजग अस्पतालों में रोगी	Patients at willingdon and Safdarjang Hospitals, New Delhi	6808
6949 सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories in Cooperative Sector ...	6807–6808
6950 संसद् सदस्यों के निवास स्थानों की तुलना में मंत्रियों के निवास स्थानों की सजावट पर व्यय	Expenditure on Decoration of Minister's Residences vis-a-vis Residence of Members of Parliament	6808
6951 केन्द्रीय विद्युत परिषद्	Central Power Council	6808–6809
6952 चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये चौथी योजना में नियत की गई राशि	Provision for Medical Facilities and Population Control in Fourth Plan	6809

6953	शान्ति के लिये जल सम्मेलन	Conference on Water for peace	6809-6810
6954	विकासशील देशों के व्यापार में घाटा	Trade Deficit in Developing Countries ..	6810
6955	मध्यप्रदेश में परिवार नियोजन	Family Planning in Madhya Pradesh ...	6810-6811
6956	मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों द्वारा शेयर खरीदे जाना	Purchasing of Shares by Cooperative Banks in Madhya Pradesh	6811
6957	मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh ...	6812
6958	अफीम का तस्कर व्यापार	Smuggling of Opium — ...	6812
6959	ब्रिटिश गैर-सरकारी पूंजी	British Private Capital	6812-6813
6960	दिल्ली में यमुना बाजार से झुग्गियों का हटाया जाना	Removal of Jhuggis from Jamuna Bazar, Delhi	6813
6961	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के पद की स्वतन्त्र हैसियत	Independent Status of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioners, Office	6813-6814
6962	सरकारी कम्पनियों में प्रतिनियुक्त भारतीय लेखा पालन तथा लेखा-परीक्षा सेवा के अधिकारी	I. A. & A. S. Officers on Deputation to Government Companies	6814
6963	भारत – अमरीकी को आपरेटिव लीग के साथ सहयोग	Collaboration with Indo-USA Co-operative League	6814-6815
6964	उड़ीसा के लिये बाढ़ नियन्त्रण योजनायें	Flood Control Schemes for Orissa	6815
6965	मद्रास के निकट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्लान्ट	Surgical Instrument Plant near Madras ..	6815

6966	सेवा-निवृत अधिकारियों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति	Employment of Retired Officers in the Public Undertaking ... –	6816–6817
6967	जीवन बीमा निगम की पालिसी के फार्मों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया जाना	Introduction of Regional Languages in L. I. C. Policy Forms	6817
6968	आसाम में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता	Special Compensatory Allowance to Central Government Employees in Assam	6817–6818
6969	कोयम्बटूर नगर का दर्जा बढाना	Upgradation of Coimbatore City ..	6818–6819
6970	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, खड़क वासला(पूना)द्वारा अर्जित भूमि	Land Acquired by Central water and Power Research Station at Khadakvasla, Poona ...	6819
6971	दिल्ली के लिये झुग्गी झोपड़ी योजना	Jhuggi Jhopri Scheme for Delhi ...	6819–6820
6972	लक्कद्वीव द्वीपसमूह में कोढियों की चिकित्सा	Treatment of Lepors in Laccadives ...	6820
6973	गांवों में प्रदर्शनीय मकान बनाने की योजना	Rural Demonstration Houses Scheme ...	6820–6821
6974	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये गृह निर्माण योजना	Housing Scheme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	6821
6975	राज्यों में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के कामों के लिए सहायता	Assistance for Anti Sea Erosion works in States	6821-6822
6976	फरक्का बांध के लिए लोहे के सरिये ,शीट पाइल्ज।	Sheet Piles for Farakka Barrage ...	6822
6977	पश्चिम कोसी नहर	Western Kosi Canal	682 –6823

6978	ढावदा के निकट कोसी नदी पर बांध	Barrage on River Kosi near Dhawda	6823
6979	शरावती घाटी पारियोजना	Sharvathi Valley Project	6823
6980	राज्यों के घाटे के बजट	Deficit Budget of States	6824
6981	लेडी हार्डिंग अस्पताल (नई दिल्ली) के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent allowance to Staff Lady Harding Hospital, New Delhi ...	6824
6982	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में तकनीकी सहायक	Technical Assistance in O & NGC . ..	6825
6983	फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाना	Artificial ripening of fruits	6825–6826
6984	मिठाइयां तथा खण्डसारी तैयार करने में रसायनों का प्रयोग	Chemicals used in preparation of sweets and Khandsari ..	6826
6985	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में परिवार नियोजन	Family Planning among Central Government Employees ..	6826–6827
6986	मनीपुर में योजना बोर्ड की स्थापना	Setting-up of Planning Board in Manipur ...	6827
6987	सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया सोना	Gold unearthed by Customs Authorities	6827
6988	बरौनी तेल शोधक कारखाना	Barauni Refinery ...	6827–6828
6989	दिल्ली में मेडिकल कालेजों में प्रवेश	Admission in Medical Colleges in Delhi	6828
6990	विसूला जल परियोजना, नेपाल	Bisula Hydel Project, Nepal	6828–6829
6991	पी.एल. 480 निधियों से वित्तपोषित परियोजनाओं की क्रियान्विति	Execution of Projects financed from PL480 Funds ..	6829
6992	भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	6830

अना प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
6993 विश्व बैंक से मांगा गया ऋण	Loans sought from World Bank	6830–6831
6994 क्रियान्वित न की गई बड़ी परियोजनाओं के बारे में जांच	Investigations into unimplemented Major Projects ..	6831
6995 मद्रास में सोना पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Madras ..	6831–6832
6996 नेत्र बैंक	Eye Banks	6832–6833
6997 नेत्र बैंक को नेत्रों का दान	Donations of Eyes to Eye Banks	6833
6998 चीन में छपे जाली नोटों का भारत में चलन	Fake Notes printed in China in Circulation in India	6833–6834
6999 पारादीप से उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plant at Paradeep ...	6843
7000 नई दिल्ली में भारत सरकार के मुद्रणालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Accommodation for workers of Government of India Press, New Delhi	6834–6835
7001 मुसलमानों में परिवार नियोजन	Family Planning among Muslim ... –	6835
7002 दिल्ली में गन्दी बस्तियां	Slums in Delhi ...	6835
7003 सिंचाई परियोजनाएं	rrigation Projects ..	6836
7004 बम्बई में एक औरत से सोना बरामद होना	Gold Recovered from a woman in Bombay	6836
7005 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	D. A. to Central Government Employees ...	6837
7006 बरौनी तथा गुजरात तेल शोधक	Barauni and Gujarat Oil Refineries – ..	6837–6838
7007 परिवार नियोजन के परिणामों का पुनर्विलोकन	Review of Family Planning Results	6838
7008 देहाती क्षेत्रों में तपेदिक	Tuberculosis in Rural Areas	6838–6839
7009 रामकृष्णन पुरम के खोखे वाले दुकानदार	Khokha Shop-keepers of Ramakrishna Puram	6839–6840
7010 दिल्ली में झुग्गियां	Jhuggis in Delhi ... –	6840

7011	राज्यों में सिंचाई तथा विद्युत	Irrigation and Power in States ..	6840-6841
7012	हसदेव परियोजना	Hasdeo Project ...	6841
7013	महालेखापाल के कार्यालय द्वारा आसाम में अधिकारियों को वेतन पर्चियों का दिया जाना	Issue of pay slips by A. G's. Office	6842
7014	लाजपत नगर,नई दिल्ली में समाज कल्याण तथा पुनर्वास केन्द्र की इमारत	Social Welfare and Rehabilitation Centre Building at Lajpat Nagar, New Delhi	6842
7015	हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए मेडिकल कालेजों में स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats in Medical Colleges for Himachal Pradesh Students ..	6 43–6845
7016	व्यास बांध के निर्माण से निष्कासित व्यक्ति	Beas Dam Outstees	6845
7017	राजस्थान, पंजाब, हरियाना तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के साथ सिंचाई और विद्युत मंत्री की मुलाकात	Rajasthan, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh Chief Ministers Meeting with the Minister of Irrigation and Power	68 5–6846
7018	पश्चिम बंगाल में सिंचाई में सुधार करने की योजना	Scheme for improving irrigation in West Bengal	6846
7019	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास सुविधायें	Housing Facilities for Central Government Employees in West-Bengal	6846
7020	रामगंगा परियोजना	Ram Ganga Project ..	6846–6847
7021	मध्य प्रदेश में पिछड़े हुए क्षेत्र	Backward Areas and Blocks in M. P.	6847
7022	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहकारी तथा ऋण समितियां	Cooperative and Credit Societies for S. C. and S. T. in M. P.	6847–6848

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

7023	केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनायें	Centrally Sponsored Irrigation Projects in Kerala	6848
7024	गुजरात को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Gujarat	6849
7025	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग मे तकनीकी अधिकारी	Technical Officers in Central water and Power Commission ..	6849
7026	उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल का संभरण	Drinking Water Supply in drought affected areas in U. P.	6849-6850
7027	राजस्थान में बोगस परिवार नियोजन केन्द्र	Bogus Family Planning Camps in Rajasthan	6850
7028	परिवार नियोजन के विद्यार्थियों के लिये वृत्तिका	Stipends to Family Planning Students ..	6850-6851
7029	राज्यों में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये धन राशि	Amounts for Irrigation and Power Projects in States	6851
7030	बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar	6851-6852
7032	फर्टिलाइजर्स एन्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय	Fertilizer and Chemicals Travancore Ltd. Alwayee	6852
7033	दिल्ली में आय कर की राशि लौटाने के मामले	Income-tax Refund cases in Delhi	6853
7034	विदेशों में पढ़ने के लिये विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to students for study abroad ... —	6853-6854
7035	उर्वरक सम्बन्धी नीति	Fertilizer Policy	6854
7036	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में धन का जमा न होना	Missing entries in G. P. F. Accounts of Central Government Employees ...	6854

अता. प्र संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :		
7037 डी. ग्राई जेड क्षेत्रों में टाइप चार के क्षतिग्रस्त क्वार्टर	Damaged type IV Quarters in DIZ area ...	6855
7038 कास्टिक सोडा	Caustic Soda	6855–6856
7039 संश्लिष्ट रबड़ उद्योग के लिये अलकोहल की कमी	Shortage of Alcohol for Synthetic Rubber Industry	6856
7040 रंजक सामग्री	Dye Stuffs ..	6856–6857
7041 कास्टिक सोडा	Caustic Soda	6857
7042 वाणिज्यिक बैंको द्वारा कृषि वित्त निगम की स्थापना	Floating of Agricultural Finance Corporation by Commercial Banks ...	6857–6858
7043 मैसर्स जे. पी. एण्ड सन्स, बम्बई	M/s J. P & Sons, Bombay	6858
7044 आपात जोखिम बीमा योजना कार्यालय को नई दिल्ली से शिमला ले जाना	Shifting of Emergency Risk Insurance Scheme's Office to Simla ...	6858–6859
7045 सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects	6859
7046 दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाना	Slum Clearance in Delhi	6860
7048 मध्य प्रदेश में लिफ्ट सिंचाई योजना	Lift Irrigation Scheme in Madhya Pradesh	6860
7049 ऊपरी (अपर) कृष्णा परियोजना	Upper Krishna Project	6860
7050 लूप पहनने से कैंसर	Cancer from loop ...	6861
7051 इम्फाल कस्बे के लिये वृहद योजना	Master Plan for Imphal Town	6861
7052 कृषि पुनर्वित निगम	Agricultural Refinance Corporation...	6861–6862
7053 पटना में सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for Government Employees at Patna	6862

7054	अंकलेश्वर तेल क्षेत्र	Ankleshwar Oil Fields ..	6862–6863
7055	दिल्ली में शाक वाटिकायें (किचन गार्डन)	Kitchen Gardens in Delhi ...	6863
7056	घाना की मुद्रा का अब मूल्यन	D evaluation of Ghana's Currency	6863–6864
7057	श्रीलंका के लिये पेट्रोल का संभरण	Supply of Petrol to Ceylon	6864
7058	चीन से लौंग और दाल चीनी का तस्कर व्यापार	Smuggling of Clove and Cinnamon from China	6864
7059	पोर्ट–केनिंग परियोजना	Port Canning Project ...	6865
7060	मध्य प्रदेश में पीने के पानी की कमी	Scarcity of Drinking water in Madhya Pradesh ..	6865–6866
7061	केरल में समुद्र से भूमि का कटाव	Sea Erosion in Kerala	6866
7062	बिजली उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य	Targets of Power Production	6866–6867
7063	उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification in U. P.	6867
7064	बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश में अप्रयुक्त भूमि	Unutilised Land in U. P. due to Floods ...	6867
7065	उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन	L. I. C. investment in U. P.	6867–6868
7066	उत्तर प्रदेश में उद्योगों पर प्रतिव्यक्ति पूंजी विनियोजन	Per Capita investment on Industries in U. P.	6868
7067	अनुसूचित बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश मै पूंजी लगाई जाना	Investment by Scheduled Banks in U. P.	6868–6869
7068	उत्तर प्रदेश में जीबन बीमा निगम द्वारा पूंजी लगाई जाना	L. I. C. Investment in U. P.	6869

7069	वर्तमान सिंचाई साधनों की मरम्मत के लिये राज्यों को सहयता	Assistance to States for reparing existing Irrigation Means	6869-6870
7070	तीसरी योजना में उत्तर प्रदेश के लिए परियोजनायें	Projects for U. P. in Third Plan	6870
7071	उत्तर प्रदेश के लिये केन्द्रीय परियोजनायें	Central Projects in U. P.	6870
7072	बिजली का उत्पादन लागत	Cost of Production of Electricity	6871
7073	किदवई नगर के सरकारी क्वार्टरों में मरम्मत आदि की शिकायतें	Service complaints in Kidwai Nagar Government Quarters	6871-6872
7074	मैसर्स मैकेन्जीज एन्ड ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड	M/s MeChanzies and Oriental Timber Trading Corporation Ltd.,	6872
7075	परिवार नियोजन के लिये इत्रों का प्रयोग	Scents for Family Planning	6872-6873
7076	दिल्ली में पानी की सप्लाई बढना	Augmentation of Water Supply in Delhi	6873
7077	दिल्ली में पीने का पानी	Drinking Water in Delhi	6873-6874
7078	झील कुरंजा. दिल्ली	Jhil Kuranja. Delhi	6874
7079	गुजरात शोधनशाला में हल्के डीजल तेल का उत्पादन	Production of Light Diesel oil in Gujarat Refinery	6875
7080	समाचार-पत्र उद्योग पर कर	Taxes on Newspaper Industry	6875
7081	पटेल आयोग द्वारा मंजूर किये गये विकास कार्य	Development Works sanctioned by Patel Commision	6875-6876
7082	रिहांड बांध	Rihand Dam	6876

अता. प्र. संख्या / U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages.
प्रश्नोंलिके खत उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS —Contd.		
7083 मध्य प्रदेश में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	Slum Clearance in Madhya Pradesh ..	6876
7084 आदिवासियों द्वारा सामूहिक रुप में मृत्यु पर्यन्त उपवास	Mass Fast upto death by Adivasis	6876–6877
7085 स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था, चंडीगढ के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन समिति	Review committee on post Graduate Medical Institute, Chandigarh ..	6877–6878
7086 यमुना नगर के निकट सोम नदी का मार्ग बदलना	Change of Course of Som River near Yamunanagar ...	6878
7087 पथरदु और हरदुआगंज विद्युत स्टेशन	Pathratu and Harduaganj Power Stations	6878–6879
7088 जल विद्युत परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन	Project Reports of Hydro Electric Projects	6879
7089 पुनासा जल विद्युत स्टेशन की परियोजना रिपोर्ट	Project Report on Punasa Hydro-Electric Station	6879–6880
7090 औपचारिक रिपोर्ट आने के पूर्व परियोजना के कार्य को आरम्भ करना	Commencement of Projects pending formal clearance report ..	6880–6881
7091 हरियाना के करनाल जिले में बाढ़	Floods in Karnal District, (Haryana)...	6881
7092 जलपाईगुडी तथा कूचबिहार जिलों में बाढ़	Floods in Jalpaiguri and Cooch-Behar Districts	6882
7093 गर्भपात सम्बन्धी कानून को उदार बनाने तथा विवाह की आयु बढ़ाने के बारे में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार	Liberalisation of abortion and raising marriageable age at Chief Ministers' Conference	6882–6883

अता. प्र. संख्या/ U.S. Q. Nos,	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	6883
नागा विद्रोहियों द्वारा 24 जुलाई, 1967 को मनीपुर के तामेन्लोग क्षेत्र में 18 सैनिकों की हत्या का समाचार	Reported killing of army personal by Naga hostiles in Tamenglong area of Manipur on 24th July, 1967	6883
श्री क. ना. तिवारी	Shri K, N. Tiwari	6883
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	6883
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	6885
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by a Member ...	6885
श्री रंगा	Shri N. G. Ranga ..	6885
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	6886
छठा प्रतिवेदन	Sixth Reports	6886
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1967	Finance (No. 2) Bill, 1967	6887–6921
खण्ड 2 से 40	Clauses 2 to 40 ...	6887–6921

.....

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 27 जुलाई, 1967/ 5 श्रावण, 1889 (शक)
Thursday, July 27, 1967/*Sravana* 5, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker ***in the Chair***

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

+
***1411. श्री मधु लिमये :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को काली सूची में रखने के बारे में 6 अप्रैल, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 292 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली सूची में रखने के बारे में नई अथवा पुनरीक्षित संहिता को तथा विभिन्न मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों (अपने मंत्रालयों के माध्यम से) द्वारा पारस्परिक आधार पर काली सूची में रखने के बारे में कोई संहिता। आदेशों को भी सरकार का विचार सभा पटल पर रखने का है;

(ख) भारत बैरल के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर की गई अपील तथा केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध इस फर्म द्वारा पंजाब उच्च न्यायालय में दायर की गई लेख याचिका इस समय किस अवस्था में है; और

(ग) क्या व्यादेश (इंजक्शन) इस बीच हटा लिया गया है ?

योजना, पैट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) निम्न कागजों की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है ।

(1) सप्लायर्स के लिए स्टैण्डर्डइजड संहिता

(2) सम्भरण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 13(7)/64-पी आई दिनांक 2 मई 1964

(3) पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय का पत्र संख्या जी० 4 (102)/64 दिनांक 21. 2. 66 **(पुस्तकालय में रखे गये—देखिये संख्या एल० टी० 1220/67)**

(ख) भारत बैरल एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी (प्रा) लि० के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर की गई अपील की अवस्था के बारे में सूचना महाराष्ट्र सरकार से मांगी जा रही है । केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई लेख याचिका की अभी पेशी नहीं हुई है ।

(ग) जी नहीं ।

Shri Madhu Limaye : The questions relating to more than one Departments should be answered by the Prime Minister. In this respect I have addressed one letter to you also. The Minister of Supplies and the Minister of Iron and Steel are also connected with this matter. So it should be replied by hon. Prime Minister. I have raised this matter several times.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया स्पष्ट रुप से निर्धारित की हुई है, जिसका पालन किया जा रहा है ।

Shri Madhu Limaye : There is such practice the House of Commons that the Prime Minister replies such questions every day.

अध्यक्ष महोदय : यह बात अलग है कि 'हाउस आफ कामन्स' में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है । हमारे यहां प्रक्रिया यही है कि सम्बन्धित मंत्री ही उत्तर देते हैं । आपको भी यह आशा नहीं करनी चाहिये कि आपके एक प्रश्न का उत्तर तीन मन्त्री पृथक पृथक रूप से दें ।

Shri Madhu Limaye : The Minister has just said that he cannot give reply to all the questions.

अध्यक्ष महोदय : हमारी विद्यमान प्रक्रिया ऐसी ही है । इसके अधीन मुख्य रुप से सम्बन्धित मन्त्रालय अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों से जानकारी एकत्र कर लेता है और मन्त्री महोदय उत्तर दे देते हैं । यदि किसी विषय पर किसी मन्त्रालय विशेष से जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस मन्त्रालय को अलग से सूचना दी जा सकती है ।

Shri Madhu Limaye : I would like to know whether this Standardized Code is equally applicable to Government owned companies also. May I know the number of such companies which have accepted this Standardized Code of Procedure for black-listing the firms ?

श्री रघुरामैया : इस मन्त्रालय के अधीन जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, उन सभी ने इसे मान लिया है ।

Shri Madhu Limaye : Last time we have been told that when a firm is black-listed, under the existing rules it is not essential that public sector undertaking should immediately accept it. This matter will be talked about and its consent will be taken. I asked how many companies have accepted it.

श्री रघुरामैया : यदि मूल प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया होता तो वैसी ही जानकारी एकत्रित की गई होती । मूल प्रश्न में जो भारतीय तेल निगम से सम्बन्धित एक प्रश्न के संबंध में पूछा गया है, संहिता को सभा पटल पर रखने को कहा गया है । अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रख दी गई है । इस मन्त्रालय के अधीन आने वाले सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी मैं दे रहा हूं । यदि प्रश्न सब सरकारी उपक्रमों के बारे में होता तो सबके बारे में जानकारी एकत्र कर ली जाती ।

Shri Madhu Limaye : It has been proved many times that the officers of Iron and Steel Ministry have collusion with these companies. Recently some officers of Iron and Steel Cnotrollers, office and M/S. Bharat Barrel Company were bound guilty by a Special Judge of Bombay. But they filed their appeal in the Maharashtra High Court. Further whenever a firm is black-listed, it obtains stay order. This is the difficulty. May I know whether a new Parliamentary Committee will be appointed or present committee will be allowed to go into this matter so that all kinds of corruptions, legal as well as political may be brought to light and such matters may be decided honestly ?

श्री रघुरामैया : यदि मन्त्री महोदय को इस्पात कोटे से सम्बन्धित मामले के जो महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय में चला था, बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो वह लोहा तथा इस्पात मन्त्रालय से प्रश्न पूछें ।

Shri Madhu Limaye : Our Government carry the collective responsibility. So the Minister should not reply in this way. Well, I suggest that a Parliamentary Committee should be appointed to consider the merits and demerits of the existing Code regarding blacklisting of the firms. The report of this Committee should be given due consideration and necessary amendments in the Code should be made.

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : माननीय सदस्य का कहना यह है कि अभियोक्ता ने एक विशेष गवाह को विमुख (होस्टाइल) घोषित नहीं किया गया । जिस कारण से वादी के वकील ने यह कहा कि कुछ बातें स्पष्ट नहीं हैं, तथा इसी आधार पर न्यायाधीश सम्बन्धित अधिकारियों को जिम्मेदार न ठहरा सका । यदि बात ऐसी है तो उसके लिये महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है । इसके बारे में मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं ।

दूसरी बात यह कही गई है कि वे रोक-आदेश ले लेते हैं । कानून के अनुसार हम किसी के अधिकार नहीं छीन सकते क्योंकि यह सरकार कानून के अनुसार शासन (रूल आफ ला) में विश्वास करती है ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम यह जानने के इच्छुक हैं कि काली सूची में नाम घोषित किये जाने के बाद भी, इस कम्पनी को लाखों रुपये के मूल्य का कोटा क्यों दिया गया। यह प्रश्न 6 अप्रैल 1967 को पूछा गया था और उसके सन्दर्भ में ही यह प्रश्न पूछा गया है। क्या इस सम्बन्ध में जांच की गई है और सम्बन्धित विभाग के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है क्योंकि काली सूची में नाम घोषित होने के बाद उस फर्म के साथ पक्षपात दिखाना नियमों के विरुद्ध है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं माननीय सदस्यों की इस बात के लिये प्रशंसा करता हूं कि वे विभागों की गलतियों को प्रकाश में लाने के इच्छुक हैं। सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिलती रहनी चाहियें। जहां तक एक प्रश्न का कई मन्त्रियों द्वारा उत्तर देने का प्रश्न है, यह सम्भव नहीं है कि सभी सम्बन्धित मन्त्री एक ही प्रश्न का बारी बारी से उत्तर दें। इसके लिये यही सम्भव है कि सम्बन्धित मंत्रालयों से जानकारी एकत्रित करके एक मंत्री उत्तर दे। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्य जानकारी पूछने के जितने इच्छुक हैं, हम जानकारी देने के लिये उतने ही इच्छुक हैं परन्तु माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं, उसके विषय में सरकार को पत्र लिख सकते हैं। जो जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं होती है उसे हम शीघ्र देने का प्रयास करते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न तो बहुत ही सीधा है। क्या भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग कम्पनी को, उसका नाम काली सूची में आ जाने के बाद भी, क्रयादेश दिये गये हैं।

श्री रघुरामैया : 6 अप्रैल को उपरोक्त कम्पनी के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में यह विस्तार से बताया गया था कि एक विशेष समय को छोड़कर मई, 1966 से उसे कोई भी क्रयादेश नहीं दिया गया है। इस प्रश्न में काली सूचि के आदेश की प्रति तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियों को सभा पटल पर रखने को कहा गया था। इसलिये वे प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई हैं।

Shri George Fernandes : Is it a fact that the Government have recei ed certain complaints about Hind Galvanizing Co. and Standard Drums Co., with which the contract agreements have been made by I. O. C. after the contract with M/S. Bharat Barrel was terminated ?

श्री रघुरामैया : इस बारे में बिना तैयारी के मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल भारत बैरल कम्पनी से है। उसके लिये अलग से प्रश्न पूछा जाये और मैं अपेक्षित जानकारी दूंगा।

Shri George Fernandes : Hon. Minister has himself told that this question pertains to I. O. C. Now I asked a question, which is related to I. O. C, and he is evading the answer to my question. He should give such related information to the House.

श्री अशोक मेहता : हमें उत्तर बड़ी सावधानी के साथ देने होते हैं। इसलिये जब तक प्रश्न विशेष की सूचना हमें पहले से नहीं मिलती तो हम तत्सम्बन्धी दस्तावेज अपने साथ नहीं

लाते हैं। साथ ही, अनुमान के आधार पर उत्तर देकर हम सभा को गुमराह करना नहीं चाहते। देश में पीपे बनाने वाली सकड़ों कम्पनियां हैं। उन सबके बारे में जानकारी कैसे रखी जा सकती है।

Shri George Fernandes : I am asking about two companies.

श्री अशोक मेहता : आप इसके लिये पृथक से सूचना दें।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, he is concealing the facts. Lakhs of Rupees are being embezzled.

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये नगर प्रतिकर भत्ता

\+

*1412. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव हैं कि राजधानी की जनसख्या और उच्च जीवन-निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के नगर प्रतिकर भत्ते में वृद्धि की जाये : और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) जनसंख्या के वर्तमान निर्णायक-तत्व के अधीन दिल्ली पहले से ही 'क' श्रेणी के चार नगरों में से एक है जहां सबसे ऊंची दरों पर प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता मिलता है। 'क' श्रेणी के नगरों में प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की वर्तमान दरों को बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार करने का कोई कारण नहीं हैं।

Shri A. B Vajpayee : May I know whether any sensus is undertaken for the sole purpose of classification of cities or only the previous census figures serve as their guide in this regard ?

Shri K. C. Pant : Census is undertaken after every ten years and on the basis of that cities are classified.

Shri A. B. Vajpayee : Is it not a fact that Central Government employees posted at Nagpur, Amritsar, Allahabad and Madras and other cities have been demanding that the population of these cities has increased and these should be classified on the basis of their present population ? Should I take it that these Central Government employees would have to wait for ten years for getting more D. A. ?

Shri K. C. Pant : Only four years remain.

Shri N. S. Sharma : Would Government consider the advisability of adjusting the city compensatory allowance for Delhi with the price index of Delhi city so that the Government servants posted at Delhi may get their city compensatory allowance according to fluctuations in the price index ?

Shri K. C. Pant : It is a suggestion for action. However, their is no separate price index for Delhi city.

Shri Ram Singh Ayarwal : How many cities have so far been covered under such classification ?

Shri K. C. Pant : Four 'A' Class cities-Delhi, Bombay, Calcutta and Madras.

Shri Sharda Nand : The hon. Minister has said that there is no case for considering enhancement of the existing rates of compensatory allowance in 'A' class cities. Will the Central Government employees be given any immediate relief so that they may make their both ends meet ?

Shri K. C. Pant : The question of D. A. is under consideration. It only relates to city compensatory allowance.

Shri Ramavtar Sharma : I understand that the question of upgrading Patna city from 'C' class to 'B' class is under consideration of the Government. If so, how much time is likely to be taken in coming to this decision ?

Shri K. C. Pant : Whenever the population so warrants, it would be done.

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know when the classification of cities under 'A', 'B' & 'C' categories was done and whether these categories will be revised in the light of the changed conditions ?

Shri K. C. Pant : These three categories were constituted 1959. After that since 1 January, 1964 these have been changed into four categories viz. 'A', 'B I', 'B II' and 'C'

Shri Kanwar Lal Gupta : I wanted to know the basis for this categorisation.

Shri K. C. Pant : On the basis of population.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : विशाखापत्तनम जैसे औद्योगिक नगरों में निर्वाह व्यय का जनसंख्या से कोई सम्बन्ध नहीं है और उसकी तुलना 'A' श्रेणी के नगरों से की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल दिल्ली के बारे में है ।

श्री स० मो० बनर्जी : जब सरकार ने इस तरह का वर्गीकरण करने का फैसला किया तब जनसंख्या ही एक मात्र आधार बनाया गया । अब सरकारी कर्मचारी अजीब स्थिति में हैं । एक ओर स्वास्थ्य मन्त्री कहते हैं कि कम बच्चे पैदा करो और दूसरी ओर यह शर्त लगा दी गई है कि उपयुक्त श्रेणी के अनुसार भत्ता तब तक नहीं मिल सकता जब तक जनसंख्या में वृद्धि न हो जाये । क्या इसे ध्यान में रखते हुए सरकार जनसंख्या के आधार के बारे में पुनर्विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल को इस तरह जाया न किया जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : देहात में शहरों से अधिक महंगाई है । मै यह नहीं चाहता कि सरकार कर्मचारियों के साथ न्याय न हो परन्तु देहात में रहने वाले लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिये ।

श्री अ० सि० सहगल : एक लाख से अधिक जन संख्या वाले नगर इस भत्ते के हकदार हैं । बहुत से बैंक कर्मचारियों ने सरकार के पास इस बारे में अभ्यावेदन भेजे हैं । सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : क्रमशः 16 लाख, 8 लाख, 4 लाख तथा 50,000 जन संख्या के लिये चार श्रेणियां- ए, बी1, बी2, और सी हैं । शहरों के वर्गीकरण का यही आधार है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : कुछ वर्ष पहले सरकार ने कुछ शहरों की सूची तैयार की थी । उस सूची में हैदराबाद, कानपुर और मद्रास शामिल किये गये थे । उसके पश्चात् तत्कालीन वित्त मंत्री ने मद्रास को अधिक भत्ता देने के उद्देश्य उसे अलग दर्जा दे दिया । मैं जानना चाहता हूं कि मद्रास को यह अलग दर्जा क्यों दिया गया जबकि हैदराबाद और कानपुर इससे वंचित रखे गये ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । अगला प्रश्न ।

व्यास-सतलुज सम्पर्क तथा रावी-व्यास सम्पर्क परियोजनायें

+

*1413. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यास-सतलुज सम्पर्क तथा रावी-व्यास नदी सम्पर्क परियोजनाओं को पूरा करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इन्हें कब तक पूरा किया जायेगा और नहरों में कब तक पानी सप्लाई किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रारम्भिक कार्यों जैसे सर्वेक्षण, चेनलों का अलाइनमेंट, नींव खोदना और मकान सम्बंधी सुविधाओं के अतिरिक्त व्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना पर इस प्रकार प्रगति हुई है :

(एक) पनडोह बांध के निर्माण हेतु डाइवर्शन टनल बनाई जारही है । इस सुरंग का लगभग 80 प्रतिशत भाग खोदा जा चुका है ।

(दो) 43 प्रतिशत तक '' स्पिलवे '' की खुदाई हो चुकी है ।

(तीन) पनडोह बग्गी टनल 8मील में से 1½ मील खोदी जा चुकी है

(चार) 8 मील लम्बी सुन्दरनगर-सतलुज टनल की खुदाई शुरू हो गई है

(पांच) 'सर्ज शाफ्ट' की ओपन कट खुदाई 90 प्रतिशत तक पूरी हो गई है।

रावी को व्यास से मिलाने वाली माधोपुर-व्यास लिंक 1955 में पूरी हो गई थी। यदि पर्याप्त धन उपलब्ध हो सका तो व्यास-सतलुज लिंक 1972 में पूरी हो जायेगी।

श्री राम कृष्ण गुप्त : विवरण में यह दिया हुआ है कि यदि पर्याप्त धन उपलब्ध हुआ तो व्यास-सतलुज लिंक 1972 में पूरी हो जायेगी। इसे पूरा करने के लिये और कितना धन चाहिये ?

डा० कु० ल० राव : 70 करोड़ रुपये।

श्री राम कृष्ण गुप्त : इस लिंक के पूरा होने पर कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई होगी?

डा० कु० ल० राव : इसके पूरा होने से पंजाब तथा हरियाना में अन्य 8 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

Shri Prakash Vir Shastri : Beas-Sutlej and Ravi-Beas Projecto were strsted before the division of Punjab and the Central Government had given the funds at that very time. May I know a combined board of the three States would also be set up in respect of these projects on the lines of the combined board for Bhakra Dam ?

डा० कु० ल० राव : इनकी व्यवस्था पंजाब पुनर्गठन अधिनियम में ही कर दी गई है। व्यास प्रबन्ध बोर्ड स्थापित किया जा रहा है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

Shri Prem Chand Verma : Is it a fact that more time is likely to be taken in the completion of the Beas-sutlej Project as the local people who are being ousted from there have not been rehabilitated by the Government as yet ? If so, what action is being taken in this matter ?

डा० कु० ल० राव : उन्हें बसाने का प्रश्न हल किया जा रहा है और इसका अधिक सम्बन्ध व्यास बांध यानी पौंग बांध से है। परन्तु व्यास-सतलुज बेसिन के बारे में ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसके पूरे होने पर यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। जो भी हो, निकाले गये व्यक्तियों को बसाने की समस्या हल की जा रही है और इन बांधों के जल्दी पूरा हो जाने की आशा है।

Shri George Fernandes : May I know whether the wor ers engaged on Beas-Sutlej and Ravi-Beas Projects have put forth their demands before the Government and have also given notice of any strike to them. If so, the steps which Government are taking o find a just solution of their demands and to avert this strike ?

डा० कु० ल० राव : जी हां। हमें इन कर्मचारियों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और हम उस पर विचार कर रहे हैं।

Shri Ram Kishan : According to the Indus Agreement supply of water to Pakistan was to be stopped after April, 1970, but the Pong Dam and Sutlej Beas link would be completed in 1971 which means that supply of water to Pakistan would continue even after April, 1971 thus harming the peasants of Punjab and Jammu and Kashmir. Another point is this. An agreement had been arrived at between the Punjab Government, Rajasthan Government and the Central Government for resettlement of the onstees. May I know whether this agreement has been translated into action or not and if not, the reasons therefor ?

डा० कु० ल० राव : जहां तक 1 अप्रैल 1970 से पानी के उपलब्ध होने का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि हमारे पास जल होगा और निर्माण कार्य किये जा रहे हैं ताकि जल का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके। यदि पोंग बांध तथा व्यास-सतलुज बांध के निर्माण में कुछ देर हो जाती है तो यह सच है कि कुछ जल पाकिस्तान को चला जायेगा।

जहां माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है मुझे समझ में नहीं आया कि वह जल के बटवारे के बारे में है या लागत के बटवारे के बारे में है। जहां लागत के बटवारे का सम्बन्ध है, इस पर विचार किया जा रहा है। जहां तक जल के बटवारे का प्रश्न है, इस पर मोटे तौर पर सहमति हो गई है और वह करार बरकरार रहेगा।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या वर्तमान परिस्थितियों में नहरों तथा बिजली घरों को कार्य क्रम के अनुसार पूरा करना सम्भव है और शुरू में जो अनुमान लगाया गया था उससे अधिक कितनी राशि मांगी जा रही है और क्या केन्द्रीय सरकार परियोजना अधिकारियों की मांग के अनुसार धन दे रही है?

डा० कु० ल० राव : व्यास-सतलुज लिंक के लिये पर्याप्त धन दिया जा रहा है, और उसके 1972-73 में पूरा हो जाने की आशा है। पोंग बांध के निर्माण में कुछ देर हो गई है और उसके भी निर्धारित कार्यक्रम के एक-दो वर्ष बाद पूरा हो जाने की आशा है।

श्री हेम राज : क्या यह सच है कि पंजाब तथा राजस्थान सरकारों के बीच एक करार हुआ था कि इन बांध इन क्षेत्रों से निकाले जाने वाले व्यक्तियों को 31.5 वर्ग एकड़ भूमि दी जायेगी और क्या उस करार को रद्द कर दिया गया है और केवल एक एकड़ भूमि दी जा रही है ?

डा० कु० ल० राव : इन व्यक्तियों को बसाने के बारे में मुख्य मंत्रियों के साथ कुछ बैठकें की जा रही हैं। मोटे तौर पर उनके बारे में सहमति हो गई है। विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को दी जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में कुछ अन्तर किया गया है। जिन व्यक्तियों के पास आधा या इससे कम एकड़ जमीन थी और जिनके पास 10 एकड़ या इससे अधिक जमीन थी उसके बीच कुछ अन्तर किया गया है। नियम बनाए गये हैं। मोटे तौर पर उन्हें स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिये शीघ्र ही आगे विचार विमर्श होगा।

Co-ordinated Price Policy for Agricultural and Indurstrial Produce

+

*1414. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have considered the question of evolving a co-ordinated price policy for agricultural and industrial produce;

(b) if so, the decision taken thereon; and

(c) if not, the nature of diffculties in evolving a co-ordinated price policy ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) to (c) The object of the price policy of the Government from the outset is (1) to bring about such a proper balance between agricultural and industrial prices which may suit the investment requirements of our economy and provide sufficient encouragement to producers and meet the requirement of supplying things to consumers on reasonable prices and (2) to prevent the heavy fluctuations in prices of these commodities resulting from heavy fluctuations in agricultural produce.

Shri Bibhuti Mishra : Gandhiji has said that city in the enemy of the farmers. The things that are produced in cities are costlier and the things produced in the villages are cheaper. May I know what action is being taken for balancing the prices of the two places ?

The Deputy Prime Mininster and Minister of Finance (Shri Morarji Deasi) : There has been more incerase in the prices of foodgrains than that of industrial products.

Shri Bibhuti Mishra : The price of paddy in the open market is Rs. 52 and our Government has fixed its price at about Rs. 20 or 22. The price of cement is Rs. 9.90 but we can get it in the market at Rs. 16 or 18 and some where it is not available at all. Do Government propose to forge any link between the agricultural products and the industrial products ?

Shri Morarji Desai : Gandhiji did not want to make anybody anybody's enemy. We therefore do not want to create enemies. We have to bring about some parity between the city and the countryside and make them friends of each other. If they try to perish the other, both of them will perish. The hon. Member says that the prices of industrial goods have registered more rise in the black market but I say that the prices of food-grains have risen more alarming by than the prices of industrial goods.

श्री रंगा : मैं मन्त्री महोदय के इस विचार की सराहना करता हूं कि नगरों तथा देहातों के बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिये । परन्तु अशोक मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये कृषि आयोग तथा उससे पहले नियुक्त की गई कई समितियों ने तथा नए कृषि मूल्य आयोग ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन किया है कि कृषि वस्तुओं के दामों तथा औद्योगिक वस्तुओं के दामों में संतुलन होना चाहिये । क्या यह सच नहीं हैं कि कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं के बीच व्यापार की शर्तें काफी समय से औद्योगिक वस्तुओं के पक्ष में रही हैं और क्या इस कारण से सरकार जहां तक भी सम्भव हो इस असन्तुलन को दूर करने की कोशिश नहीं करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रश्न का आधार यह है कि व्यापार की शर्तें काफी समय से कृषकों के पक्ष में नहीं रही हैं । यह सच है 1952-53 को आधार मानकर 1962-63 तक कृषि वस्तुओं के दामों में औद्योगिक वस्तुओं के दामों की तुलना में कम वृद्धि हुई । अर्थात कृषि वस्तुओं के बारे में 127.3 और औद्योगिक वस्तुओं के बारे में 128.8 परन्तु उसके बाद कृषि वस्तुओं के दामों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और 1967 के शुरू में कृषि वस्तु देशनांक 212.3 था जबकि औद्योगिक वस्तु देशनांक 167.0 था ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : उप प्रधान मन्त्री ने ब्लैक मार्केट में औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों के बारे में कहा। पश्चिमी बंगाल में चावल 3½ रुपये प्रति किलो बिक रहा है। क्या सरकार कोई समन्वित योजना तैयार करने के बारे में सोच रही है ताकि अनाज के भावों में इतनी अधिक वृद्धि न हो सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कीमतों को ठीक स्तर पर विशेषकर समाज के ऐसे वर्गों के लिये जिन पर मूल्य वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है बनाए रखने के लिये निश्चय ही हर एक प्रयास किया जाता है, मूल्य नियन्त्रण वितरण नियन्त्रण तथा लागत नियन्त्रण इसीलिये लागू किये गये हैं।

Shri Rabi Rai : The hon. Minister has stated that steps are being taken for arresting price rise. But my question was different. Suppose the actual manufacturing cost of an article is 40% of the price because 20% Government tax and 20% Company tax has been levied on it. I want to know whether any steps have been taken for reducting these taxes so that prices could be reduced ?

Shri K. C. Pant : Taxes are levied forenhancing income which results in increased in vestment. Your suggestion is such that it will result in reduction in income. If we want money for investment, taxes are bound to be levied.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या यह सच नहीं है कि सरकार औद्योगिक वस्तुओं की बजाय कृषि जन्य वस्तुओं पर अधिक नियन्त्रण कर सकी है। और यही कारण है कि उपभोक्ताओं को कृषि जन्य वस्तुओं की अपेक्षा औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य अधिक खटकता है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य का कथन सही प्रतीत नहीं होता। श्री मोरार जी देसाई द्वारा दिये गये वक्तव्य से इस बात का खन्डन हो जाता है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि आज देश में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है।, जबकि अन्य पदार्थों की मांग घट रही है मैं जानना चाहता हूं कि सरकार वर्तमान अर्थ व्यवस्था के सन्दर्भ में कृषि जन्यवस्तुओं तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में परस्पर समन्वय किस प्रकार स्थापित करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कृषि जन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा कर।

श्री फ० गो० सेन : क्या सरकार का ध्यान इन्डियन जूट मिल्स ऐशोसियेशन के प्रधान के इस कथन की ओर गया है कि कच्चे पटसन के मूल्य गिर रहे हैं, जबकि पटसन के तैयार माल के मूल्य दुगने हो गये हैं तथा इस बात को भी देखते हुए कि सरकार अधिक पटसन आयात करने की अनुमति दे रही है, जबकि पटसन की कीमतें पहले ही गिर रही हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर गौर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हों ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस वर्ष कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य 13.77 रुपये प्रति क्वींटल से बढ़ा कर 107.17 रुपये प्रति क्वींटल निश्चित किया गया है। कच्चे पटसन के मूल्यों को निश्चित करते समय निसन्देह कृषि मूल्य आयोग इन बातों पर विचार करता है।

श्री कन्डप्पन : जब कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, तो सरकार तुरंत उपभोक्ताओंकी सहायता के लिये दौड़ पड़ती हैं और उनके अधिकतम मूल्य निर्धारित कर देती हैं । मैं इस बात के विरुद्ध नहीं हूं और ऐसा होना भी चाहिये । परन्तु जब कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं तो सरकार कृषकों को कोई सहायता नहीं देती ।

अध्यक्ष महोदय : अभी निकट भविष्य में कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्यों में कोई वृद्धि होने की सम्भावना नहीं है । अतः आय सुरक्षित है ।

श्री कन्डप्पन : स्वयं मुझ पर इस बात का प्रभाव पड़ा हैं । अब जबकि देश में कपास की अत्यधिक कमी है, इस प्रकार के समाचार मिले हैं कि मद्रास की मन्डी में कपास के मूल्य गिर रहे हैं । क्या मन्त्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) ; कपास के मूल्य अभी तक निम्नतम निर्धारित मूल्यों से नीचे नहीं गिरे हैं । यदि ऐसा होगा तो सरकार उसको खरीदेगी ।

श्री वेदव्रत बरुआ : कृषि जन्य वस्तुओं तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में समन्वय स्थापित करने का केवल एक ही तरीका है कि सारे देश में मूल्यों की वृद्धि पर रोक लगादी जाये । क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लाभ पर रोक लगाकर तथा खाद्यान्नों की अनिवार्य वसूली करके कृषि जन्य वस्तुओं तथा औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों पर रोक लगाई जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह मामला अभी विचाराधीन है ।

Shri S. M. Joshi : The main purpose of asking this question is that the farmers should get proper price of their produce. The hon. Minister has stated that the prices of agricultural produces are going up and that is why co-ordination of prices is being done. My point is that while examining the price of agricultural articles, the profit earned by the middlemen should be considered. May I know whether Government has taken any such step to see that the profit of higher prices said by the consumers goes to the farmers and not to the middlemen ?

Shri K. P. Pant : That is why the Cooperative Marketing Society are being encouraged.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : सरकार ने कपास का अधिकतम मूल्य निर्धारित कर रखा हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने किसी औद्योगिक वस्तु का अधिकतम मूल्य भी निर्धारित किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : कई औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किये हुए हैं । अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है । कुछ अन्य वस्तुओं के लिये जिनमें सूती कपड़ा भी शामिल है कुछ अनौपचारिक प्रबन्ध किये गये हैं ।

Shri Maharaj Singh Bharti : Today drought conditions are there and prices are going up. Against this there was more production in the year, 1954 and Government purchased wheat at the rate of Rs.9 per maund and bajar at the rate of Rs. 5 per maund. It is expected that this year there will be a bumper kharif crop due to Government efforts and our efforts and if the Rabi crop also gives good yield, whether Government has made some arrangements for buying the extra foodgrains which farmers want to self ? I want to know this, because in the year 1854 a ceiling was fixed that no body could buy more than a particular quantity of foodgrains I want to know whether Government will buy the entire quantity, they want to sell and whether this purchase will be done through the State Trading Corporation for through some other machinery and whether a buffer stock will be created ? Government should buy the quantity which farmers are ready to sell and they should give to the consumers whatever they need. After that prices should be fixed and it should be made clear that price will not go up after one crop till the arrival of the next crop.

Shri Moraji Desai : Certainly Government will make purchases, if such time comes.

Shri K. N. Tiwari : The farmers have to pay very high prices for indigenous goods just as iron fertilizers and other consumable goods. May I know whether Government propose to reduce the prices of such articles so that the farmers and the consumers may buy them at cheap rate ?

Shri K. C. Pant : The prices of foodgrains and other commercial crops are fixed by the Agricultural Prices commissionon and it has been impose upon that commission that while fixing the prices of agricultural articals, the prices of those articles which are use by farmers for agri cultural purposes should be kept in mind,

श्री ज्योतिर्मय बसु : मूल्य का उल्लेख करते समय यह स्वभाविक है कि वास्तविक उत्पादन लागत का पता लगाया जाये । इस बात को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने देश में कुछ अत्यावश्यक खाद्य पदार्थों की वास्तविक उत्पादन लागत का पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि हां तो किन किन वस्तुओं को उत्पादन लागत का पता लगाने के लिये कार्यवाही की गई हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इन सब मूल्यों की सिफारिश कृषि मूल्य आयोग द्वारा की जाती है और इस मूल्य की सिफारिश करते समय वह इन सब बातों पर ध्यान देते हैं ।

Shri Yashpal Singh : The same Gur which was purchased from the farmers five months ago. at the rate of Rs. 26/- per maund is being sold now at the rate of Rs. 80- per maund. The farmers are not getting even a penny out of this profit. I want to know the steps taken by Government to check this looting ?

Shri K. C. Pant : The only way is to check the rising prices. There is no doubt that this flactuation between the prices goes against the interests of the farmers. This matter can be considered how this flactuations is controlled.

Shri Tulsidas Jadhav : The industrial articles of farmers use are being sold at very high prices in the market and the farmers are not getting them. The commodition produced by the farmer in his field are being sold at cheap rates of the farmer reduces his production, the country in plunged into difficulty. I want to know whether Governments

are taking any steps to coordinate the prices of agricltural articles and industrial articles so that the farmers may get incentive.

Shri K. C. Pant : This are already been done. This is the incentive for the farmers.

Shri Sheo Narain : Sugar has been controlled by Government but it is not available in the market. The consumer has to purchase it in black market at the rate of Rs. 4 per kilo. I want to know whether Government are prepared to introduce the old barter system if they are not able to have a proper arrangement ?

Shri K. C. Pant : If any Co-operative Society is ready to undertake marketing, crediting and other functions also, this matter can be considered.

परियोजनाओं को पूरा करने के लिये संसाधन

+

*1415. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्यों में वृद्धि होने तथा रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विभिन्न परियोजनाओं पर होने वाला व्यय बढ़ जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967-68 में कितने प्रतिशत वृद्धि करने की सम्भावना है; और

(ग) निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के हेतु अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई, तो क्या ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याणमन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) अवमूल्यन और सामान्य मूल्य वृद्धि के कारण और कितना व्यय बढ़ेगा यह प्रत्येक परियोजना में आयातित उपकरण, पूंजी का उपकरण की किस्म तथा अन्य घटकों के अनुसार अलग अलग होगा। समस्त रूप से कितनी वृद्धि होगी, सामान्य तरीके से इस बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं ।

(ग) इस वर्ष अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं । उठाने का प्रस्ताव है, इसका हवाला 1967–68 की सालाना योजना दस्तावेज जिसकी प्रति सभा पटल पर पहले ही रखी जा चुकी हैं में दिया गया है। उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत, नई परियोजनाओं की शुरूआत करने की अपेक्षा पीछे से चली आ रही परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई हैं ।

Shri Sidhashwar Prasad : I want to know whether Government 's attention has been drawn to the fact the projects are not completed within the preiod fixed for them and that is why their cost goes up and if so, whether suffcient funds have been provided in the plan for completing the projects already under construction ?

श्री अशोक मेहता : किसी परियोजना की पूर्ति पर कितना समय लगता हैं यह कुछ सीमा तक तो उसके लिये उपलब्ध किये गये संसाधनों पर निर्भर है, तथा कुछ सीमा तक अन्य बातों पर निर्भर है । बहुत कठिन स्थिति होने के कारण हमने कुछ परियोजनाओं को

चुना है और उन्हें पूरा करने के लिये आवश्यक संसाधनों को जुटाया है, परन्तु इस वर्ष जैसे कठिन समय में तब भी यह सम्भव नहीं है कि उक्त परियोजनाओं के लिये आवश्यक सब संसाधनों को उपबब्ध किया जाये ।

Shri Sidheshwar Prasad : As the demand for new schemes in on the increase throughout the country,may, I know whether Government have accorded priority for completing the schemes of irrigation and power which will be useful for increasing agricultural production ?

श्री अशोक मेहता : जी हां, इस वर्ष की वार्षिक योजना में सिंचाई तथा बिजली की उन परियोजनाओं के लिये संसाधन जुटाने का पूरा प्रयत्न किया गया है जो पूरी होने वाली हैं, तथा कुछ ऐसी योजनाओं को जो अभी आरम्भ ही हुई हैं, छोड़ दिया गया है ।

श्री नायनार : क्या यह सच है कि मूल्यों में वृद्धि तथा अवमूल्यन के पश्चात विदेशी मुद्रा की कठिनाई होने के कारण सरकार कनाडा सरकार से इद्दीकी पणबिजली परियोजना के लिये आवश्यक वस्तुओं के आयात करने के बारे में शर्तों का फैसला करने में हिचकिचा रही हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हड्डी की परियोजना के लिये पणबिजली संयन्त्र आयात करने का विशेष प्रयत्न करेगी ?

श्री अशोक मेहता : मुझे इस के बारे में जानकारी नहीं है । यह प्रश्न सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित है ।

श्री रंगा : क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार की इस मांग पर, जिसके बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने भी ज्ञापन प्रस्तुत किया है, कि नागार्जुन सागर के प्रथम चरण की पूर्ति के लिये धन दिया जाय, क्योंकि इस में विदेशी मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं है, विचार कर रही है ? इस योजना के लिये उन्हें केवल 7 अथवा 8 करोड़ रुपये की आवश्यकता है ।

श्री अशोक मेहता : मुझे सही आंकड़ों की जानकारी तो नहीं है, परन्तु मेरा विचार है कि राज्य सरकार ने 8 करोड़ रुपये मांगे हैं । परन्तु बजट में इस से अधिक राशि की व्यवस्था की गई है । बजट में 12 करोड़ रुपये की व्ययस्था की गई ।

श्री रंगा : मैं परियोजना की पूर्ति की बात कह रहा हूं ।

श्री अशोक मेहता : परियोजना की पूर्ति के लिये और अधिक धन की आवश्यकता हैं, इस के लिये 30 अथवा 40 करोड़ रुपये चाहिये । इस मामले पर वित्त मंत्री योजना आयोग तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री द्वारा निरन्तर विचार किया जा रहा है । ज्यूहीं वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, इस परियोजना को यथा सम्भव शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : यदि सरकार परियोजना की पूर्ति का समय 10 अथवा 15 वर्ष और बढ़ा देती है, तो लागत में वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने कहा है कि

उन परियोजनाओं को पूरा करना उनका उद्देश्य है, जो पूरी होने वाली हैं। जैसा कि श्री रंगा ने कहा है, आन्ध्र प्रदेश के लोगों में यह भावना है कि पर्याप्त धन नहीं दिया जाता। चूंकि माननीय मंत्री का ध्यय उन परियोजनाओं को पूरा करना है, जो पूरी होने वाली है, क्या माननीय मंत्री इस परियोजना की पूर्ति के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जे० एच पटेल : विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण श्रवा की परियोजना को पूरा नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस परियोजना को कब पूरा किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री अशोक मेहता : प्रत्येक परियोजना के लिये जानकारी देना मेरे लिये सम्भव नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा सरकार ने अपने संसाधनों में से प्रादीप पत्तन के निर्माण पर 16 करोड़ रुपये खर्च किये थे, जो कि उनकी बहुत बड़ी सफलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस सारी राशि की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है। और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री अशोक मेहता : इस मामले पर उड़ीसा सरकार तथा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के बीच बात चीत की गई है। उप प्रधान मंत्री ने जो उत्तर मुख्य मंत्री को भेजा है, उसकी एक प्रति उन्होंने मुझे भी दी है। मुझे जो कुछ पता है वह यह है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय उस करार पर दृढ़ रहने का प्रयत्न कर रहा है, जो प्रादीप पत्तन परियोजना आरम्भ करते समय किया गया था। उक्त करार के अधीन राज्य सरकार द्वारा पत्तन को दिया गया ऋण समझी जायेगी।

Shri Prakash Vir Shastri : There are certain States in the country like U. P., which have lagged behind in their industrial and irrigation projects due to internal struggle of their leaders, during the last three five year plans Government have decrease the amount of assistance after devaluation of the rupee. May I know whether Government will give priorty to the projects of these backward. States, so that they may also attain the level of progress, attained by other States ?

अशोक मेहता : जब चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा बनाई गई थी तथा विभिन्न राज्य सरकारों से उनकी योजनाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया था, उस समय जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है, जहां तक उत्तर प्रदेश की योजना का सम्बन्ध है उस राज्य के मुख्य मंत्री तथा योजना आयोग के बीच एक करार हुआ था और उस समय इन सब बातों पर विचार करने के बाद योजना का उपयुक्त आकार निश्चित किया गया था।

श्री प्र० के० देव : बहुतायत वाला उड़ीसा राज्य जो कि गत कई वर्षों से कमी वाले राज्यों को खाद्यान्न देता रहा है, गत दो वर्षों से सूखाग्रस्त है। क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकार ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये 10 करोड़ रुपये के और अनुदान की मांग की है ? जब डा० क० ला० राव ने उड़ीसा का दौरा किया था, तो उन्होंने भी इस बात की सिफारिश की थी कि उड़ीसा राज्य को 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन दिया जाये।

श्री अशोक मेहता : प्रत्येक राज्य अधिक धन मांग रहा है । जहां तक उड़ीसा का संबंध है उस स्तर तक पहुंचने के लिये जिसका सुझाव योजना आयोग ने राज्य सरकार के साथ सलाह करके दिया है 10 करोड़ रुपये का अन्तर है तथा उस अन्तर को पूरा करने के लिये उड़ीसा सरकार और केन्द्रीय वित्त मंत्रालय प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, the hon. Minister has a soft corner of the Gandak Porject. But the amount needed for the completion of Gandak Project has increased after devaluation and the Central Government are not giving the necessary funds and as such the work on Gandak Project had come to stand still. I want to know what the hon. Minister is doing regarding Gandak Project ?

श्री अशोक मेहता : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को इन बातों का उतना ही पता है, जितना पता मुझे है । राज्य की एक योजना है । यह समझा गया था कि बिहार राज्य की योजना 80 करोड़ रुपये की होनी चाहिये । राज्य सरकार तथा हमारे बीच इस बारे में बातचीत की गई थी । केन्द्रीय सरकार ने जो अंशदान देना था उसकी अदायगी राज्य सरकार को की गई, परन्तु राज्य सरकार अपने हिस्से के संसाधन नहीं जुटा पाई थी । इस लिये योजना का आकार घटा कर लगभग 66 करोड़ रुपये कर दिया गया है । यदि राज्य सरकार अतिरिक्त संसाधन जुटा लेती है, तो योजना का आकार 80 करोड़ रुपये हो जायेगा यदि योजना का आकार 66 करोड़ रुपये रहता है, तो गंडक परियोजना तथा बिहार की विभिन्न अन्य परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों में बाधा उत्पन्न होगी ।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न ।

श्री हेम बरुआ : बिहार को छोड़ कर सब अन्य राज्यों का उल्लेख किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं बहुत से अन्य राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया है ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन के कर्मचारियों की हड़ताल

\+

अ० प्र० सू० *36. श्री कृष्णा मूर्ति :
श्री मनोहरन :
श्री यशपाल सिंह .

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में 20,000 से अधिक कर्मचारियों ने हड़ताल करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो हड़ताल को रुकवाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) 17-7-67 को 10 बजे सांयकाल से नेवेली लिग्नाइट निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच समझौता हो जाने के बाद 19-7-67 की सुबह 6 बजे हड़ताल खत्म करदी गई।

श्री कृष्णामूर्ति : मजदूर अपनी लगभग 19 मांगें मनवाना चाहते थे। मेरे साथ श्री नम्बियार भी थे और हम दोनों ने मिल कर बड़ी कठिनाई से यह समझौता 18 तारीख को कराया क्योंकि मजदूर बोर्ड द्वारा किये गये निर्णय से बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं थे और इसलिये उन्होंने हड़ताल कर रखी थी। इस आशा से कि उन्हें कुछ और उपलब्धि होगी मजदूरों ने समझौता कर लिया। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह समस्या का अध्ययन करने के लिये वहां स्वयं जायें और उनमें समझौता करा दें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न न हो कर एक निवेदन ही है।

Shri Yashpal Singh : May I know the number of days during which the workers were on strike and the loss in production as a result thereof ?

Dr. Channa Reddy : I have just stated in reply to the main question that the strike went on for 32 hours. It has been estimated that the loss in production works out to be Rs. 5 lakhs during these 32 hours and afterwards. The other loss is being worked out.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समाचार पत्रों में छपा है कि समझौते के अन्तर्गत प्रबन्धकों ने कुछ मांगों के बारे में कुछ लाख रुपये देने की पेशकश की है। परन्तु बाद में यह भी प्रति-वेदित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने मद्रास सरकार को सूचित किया है कि यदि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई तो इस रकम का बाद में समायोजन कर दिया जायेगा अथवा कटौती कर ली जायगी। क्या यह सच है और यदि हां, तो इस पेशकश का इस बात के अलावा और क्या लाभ है कि इसे पेशगी रकम अथवा ऋण समझा जायेगा और इससे मजदूरों को वास्तव में कोई लाभ नहीं होगा ?

डा० चन्ना रेड्डी : माननीय सदस्य शायद यातायात भत्ते का उल्लेख कर रहे हैं जो किसी भी अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में नहीं दिया जाता है। परन्तु प्रबन्धक कुछ परि-स्थितियों के कारण ऐसी व्यवस्था के लिये तैयार हो गये हैं और जिस ढंग का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वह भी समझौते में शामिल है।

श्री कंडप्पन : एक सामान्य शिकायत यह है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारी राज्य सरकार के अधिकारियों को सहयोग नहीं देते हैं। क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की है जिससे वे विवादों के सुलझाने में सहयोगपूर्ण रवैया अपनायें।

डा. चन्ना रेड्डी : वास्तव में यह तो अपनी अपनी राय होती है और राय में मतभेद भी होता है।

श्री कंडप्पन : यह अपनी अपनी राय की बात नहीं है। इस आशय की टिप्पणियां तो एक अध्ययन दल ने की हैं।

डा. चन्ना रेड्डी : इस मामले विशेष में मद्रास सरकार ने अच्छा कार्य किया है ।

श्री कंडप्पन : यह ठीक है परन्तु मैं तो प्रबन्धकों के बारे में शिकायत कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ! श्री सहगल ।

Shri A. S. Saigal : May I know the main features of the agreement reached ?

Dr. Channa Reddy : So many things are there in the agreement in connection with the demands such as upward revision in cycle allowance and festival allowance, revision in leave rules and meeting of the demand in regard to transport allowance. Besides an ad hoc increment of Rs. 5 has been given,

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या परियोजना के प्रत्येक कर्मचारी को बोनस अधिनियम के अन्तर्गत पूरा लाभ दिया गया है और यदि नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ।

डा. चन्ना रेड्डी : बोनस अधिनियम के उपबन्धों को पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया है ।

श्री स्वतन्त्रसिंह कोठारी : क्या सरकार सरकारी उपक्रमों तथा इन उपक्रमों में लगे कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिये कोई व्यवस्था विशेष करना चाहती है ।

डा. चन्ना रेड्डी : यह एक बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है । वास्तव में हमारा मन्त्रालय इस मामले पर विचार कर रहा है । हम सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकों की सहायता लेना चाहते हैं । हम इस मामले पर विस्तार से विचार कर रहे हैं ।

श्री कृष्णमूर्ति : प्रबन्धकों ने मजदूरों को अन्तरिम सहायता दी है उसमें यातायात भत्ता का दिया जाना तथा बिजली और पानी पर प्रभार में कमी करना शामिल है । मजदूरों को वह पानी दिया जाता है, जो परियोजना में बरबाद किया जाता है । सरकार के लिये उनसे प्रभार वसूल करना उचित नहीं है । समझौता यह हुआ है कि बाद में मिलने वाले भत्तों में से इसकी कटौती कर ली जायेगी । बिजली पर प्रभार के बारे में.....

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, उन्हें बिजली पर प्रभार भी नहीं लेना चाहिये ।

श्री कृष्णमूर्ति : क्या मैं मन्त्री महोदय से निवेदन कर सकता हूँ कि बाद में मिलने वाले भत्तों से इस सम्बन्ध में कोई कटौती न की जाये ।

डा. चन्ना रेड्डी : पानी पर प्रभार के बारे में स्थिति यह है कि "जेड" क्वार्टरों में वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभार 3 रुपये से घटा कर एक रुपया कर दिया गया है । इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के बारे में भी कमी की गई है । जो समझौता है वह एक अन्तरिम समझौता है और इस पर उपयुक्त अधिकारी द्वारा निर्णय दिया जायेगा । बिजली पर प्रभार के बारे में 18 यूनिटों पर 1.98 रुपये की वसूली करने की बजाय केवल एक रुपया लिया जायेगा । यह एक अन्तरिम समझौते के अन्तर्गत है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO UQESTIONS

बाल अपचार

*1416. श्री अ० कु० किस्कु :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिविव कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अब्दुल गनी वार :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बाल अपचार (जूवेनाइल डलीक्वेंसी) बढ़ रहा है ।

(ख) यदि हां, तो 1957 तथा 1967 के बीच बाल अपचार में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिये उनके विभाग ने क्या नीति अपनाई है ;

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1221/67]

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों में अपचारी बालकों के बचाव, देखरेख, कल्याण प्रशिक्षण और शिक्षा हेतु बाल–अधिनियम, 1960 बनाया गया । ऐसी आशा थी कि राज्य सरकारें भी इसी प्रकार की व्यवस्था करेंगी। असम, बिहार उड़ीसा और राजस्थान को छोड़कर शेष राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बना लिये हैं। इन चार राज्यों को भी कहा जा रहा है कि वे इस प्रकार के कानून जल्दी से जल्दी बना लें। वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्ग दर्शन द्वारा भारत राज्य सरकारों की सहायता करती है। रिमांड सदन, बाल सदन, प्रमाण पत्रित स्कूल, और वार्स्टल स्कूलों के रूप में संस्थानीय-सेवाएं स्थापित की गई हैं। तीसरी योजना में भिक्षा-वृत्ति रोकने के लिये सामाजिक देख-रेख कार्य सम्बन्धी एक कार्यक्रम भी शुरु किया गया। चौथी योजना में इस सेवा के प्रसार का सुझाव है और इसमें किशोर-क्लबों, की स्थापना शामिल है ।

संश्लिष्ट रबड़ का निर्माण

*1417. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री श्री बृज राज सिंह :
श्री सु० कु० तापडिया :
श्री क० कु० नायर :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री पार्थसारथी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शीरे से बनने वाला अथवा अन्यथा किसी तरीके से बनने वाला मद्यसार संश्लिष्ट रबड़ बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और मद्यसार का उप-

योग करने वाले उद्योगों को इसी कारण से अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम काम करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) चालू खांड मौसम में चीनी के उत्पादन में कमी और इसके परिणाम स्वरूप शीरे के उत्पादन में कमी के कारण मद्यसार की कमी रही है ।

(ग) (1) मद्यसार का निर्यात प्रतिबन्धित किया गया है ।

(2) जिन राज्यों में शीरा एवं मद्यसार फालतू हैं, उन राज्यों से कमी वाले राज्यों को सप्लाई करने के लिये निरन्तर यत्न किये जा रहे हैं ।

(3) संश्लिष्ट रबड़, पोलीथीलीन और चपड़ा (Shellac) उद्योगों के उत्पादन को स्थिर रखने के लिए मद्यसार के आयात की व्यवस्था की गई है ।

(4) अगले खांड मौसम, 1967-68 के दौरान में खांड के उत्पादन में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप शीरे एवं मद्यसार में भी वृद्धि करने के उपाय सक्रिय विचाराधीन हैं ।

लेखा बाह्य धन का पता लगाना

***1418. श्री रा० बरुआ :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लेखा बाह्य धन का पता लगाने तथा कर अपवंचन को रोकने के लिये कुछ ठोस उपाय निकाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं और उन्हें कैसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, हां । सभा पटल पर एक विवरण पत्र रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1222/67]

हैजा

***1419. श्री श्रद्धाकर सुपकार :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में देश के कई भागों में हैजा महामारी के रूप में फैल गया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष क्या पूर्वोपाय एवं निरोधक उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) अगस्त 1966 में अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हैजा फैलने के अतिरिक्त इस रोग में कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) इस रोग की जांच तथा रोकथाम में सहायता के लिये तत्काल एक चिकित्सा दल नियुक्त कर दिया गया। इस रोग की रोकथाम के लिये जो कदम उठाये गये उनमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं:- (1) स्थानीय सैनिक चिकित्सा अधिकारियों की अतिरिक्त सहायता से बड़े पैमाने पर हैजा-निरोधक टीके लगाने का अभियान, (2) गहन स्वास्थ्य शिक्षा अभियान, (3) पेयजल स्रोतों का नियमित रूप से कीटाणुनाशन, (4) सफाई तथा मक्खी निरोधी उपायों में सुधार, (5) खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान अभियान, (6) संगरोधन प्रतिबन्ध, (7) इन द्वीपों में परस्पर तथा मुख्य देश से इन द्वीपों में आने जाने पर प्रतिबन्ध, (8) कलकत्ता तथा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली से हैजा वैक्सीन का हवाई जहाज द्वारा वहां पहुंचाना तथा (9) इस क्षेत्र में अतिरिक्त नर्सों की अस्थायी तौर पर नियुक्ति तथा चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अधिकारियों के पूरे कोटे की व्यवस्था करना।

(ग) यह प्रश्न नही उठता।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त

*1420. **श्री प्र० रं० ठाकुर :**
श्री अ० कु० किस्कु :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "विशेष अधिकारी" या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त संविधान में इन लोगों के लिये दिये गये राजनैतिक संरक्षण इनको दिलाने के लिये नियुक्त किया जाता है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये उन्हें दिये गये अधिकार तथा जिम्मेदारी की विशिष्ट स्थिति को कानूनी रूप दे दिया गया है अथवा उनको सहितावदैध कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

की सभी ड्यूटियों और कार्यों की ओर साफ संकेत करता है। कानूनी रूप से निर्धारित की गई ड्यूटियों और कार्य ये हैं कि संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए जिन रक्षोपायों की व्यवस्था है उनके कार्यान्वित के सम्बन्ध में छानबीन करे और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी अभिकरण से विकास ऋण

*1421, **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण गत वर्षों की अपेक्षा 1968 में भारत को अधिक विकास ऋण देने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी राशि का ऋण मिलने का अनुमान है;

(ग) क्या इन ऋणों को देने के लिये कोई पूर्व-शर्तें लगाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सहायता संघ (एड कंसार्शियम) ने 4 अप्रैल से 6 अप्रैल, 1967 तक पेरिस में हुई अपनी बैठक में 1967–68 के लिए भारत की सहायता सम्बन्धी कुल आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद अपनी यह राय कायम की कि गैर प्रयोजना सहायता के रूप में दी जाने वाली नयी सहायता के लिए अन्य सहित लगभग 130 करोड़ डालर का लक्ष्य आयोजना–सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए उचित है। इसमें से अन्न सहायता और सम्बद्ध सहायता को छोड़ कर, जो गैर प्रयोजना सहायता ही होती है, 1967-68 के लिए रखरखाव-सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए अनुमानत: 90 करोड़ डालर की सहायता प्राप्त होगी। संघ के प्रत्येक सदस्य का अंशदान अलग-अलग देशों में आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक कार्रवाही पूरी हो जाने के बाद ही मालूम होगा। उक्त गैर-प्रायोजना सहायता में संयुक्त राज्य अमेरिका का अंशदान कितना, होगा इस की घोषणा अभी तक नहीं की गयी है।

2, सहायता संघ ने प्रायोजना-सहायता के बारे में कोई विचार नहीं किया। जैसे जैसे प्रायोजनाएं तैयार होती जाती हैं, वैसे-वैसे सहायता के रूप में उनकी वित्त-व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर तदर्थ आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिये इस्पात के पाइप

*1422. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिये भेजी गई इस्पात के पाइपों की एक बिल्टी को, जो कलकत्ता बन्दरगाह में पहुंच गई थी; बन्दरगाह के अधिकारियों ने निलाम कर दिया था;

(ख) क्या निर्माण काल में सोवियत अधिकारियों ने मामला उठाया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अशोधित तेल का आयात

*1423. **श्री म० अमरते :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार का विचार अशोधित तेल का आयात करने तथा भारतीय तेल शोधन कारखानों में, उसका शोधन करने का है क्योंकि इन कारखानों में 30 लाख मीट्रिक टन की क्षमता बेकार है, और इस प्रकार मिट्टी के तेल की सप्लाई के लिये, रूस पर कम निर्भर रहने का है; और

(ख) क्या यह सच है कि आयात किये गये अशोधित तेल अथवा देश में तेल के कूओं से निकाले गये तेल को भारत में शोधित करने से प्राप्त मिट्टी के तेल के मूल्य, रूस से आयात किये गये तेल के मूल्यों से कम होते हैं ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख): (क) का उत्तर नहीं में है । वर्तमान क्षमता पर देश की शोधन शालाओं का मिट्टी के तेल के अलावा बाकी सभी ईन्धन पदार्थों का उत्पादन वर्तमान आवश्यकता से काफी अधिक है । क्योंकि लगभग सारा देशी कच्चा तेल प्रयोग में लाया जा रहा है इसलिये कच्चे तेल का और आयात किये बिना तेल शोधक कारखानों का उत्पादन बढ़ाना सम्भव नहीं होगा । ऐसे आयात मिट्टी के तेल के उस आयात से बहुत अधिक महंगे पड़ेंगे जो सप्लाई में अन्तर को पूरा करने के लिये करने पड़ते हैं ।

Unearthing of Unaccounted Money

*1424. **Dr, Ram Manohar Lohia :**
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether he had received some suggestions from some Film Producers and Directors regarding the unearthing of unaccounted money; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir. A suggestion for unearthing unaccounted money was received from a Film Producer and Director.

(b) The suggestion was not found to be acceptable.

नेफ्था पर आधारित उर्वरक उद्योग

*1425. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसे उर्वरक उद्योग का विकास करने की सम्भावना का पता लगाया है, जो देशी नेफ्था का प्रयोग करे; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) जी हां ।

(ख) कई वर्तमान कारखाने और लगभग सभी प्रस्तावित नये कारखाने, जिन्हें चौथी योजना काल में स्थापित करना है, कच्चे माल के रूप में देशीय नेफ्था पर आधारित हैं ।

Tenancy Rights to Tillers

*1426. **Shri Bhogendra Jha :**
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Planning be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in most of the States laws regarding giving tanancy rights to the tillers and protection thereof have not been framed and where the said laws have been framed, they are not being implemented;

(b) whether this is an obstacle in the way of agricultural production; and

(c) whether the target of protecting the tenancy rights of all the tillers, distribution of surplus land of big landlords among landless tillers and distribution of fallow land to the landless villagers has been fixed in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Walfare (Shri Asoka Mehta) : (a) Information relating to enactment of legislation regarding tenancy reforms and its implementation in each State has been included in the Planning Commission publication 'Implementation of Land Reforms a review by the Land Reforms Implement ation Committee of the National Development Council' which has been circulated recently.

c) Measures of tenancy reforms facilitate agricultural production.

(c) As conditions vary, proposals for land reform which are set out in the Draft Outline of the Fourth Five Year Plan are in the nature of a broad approach to be adopted and pursued by each State with due regard to local conditions and in response to local needs.

वित्त मंत्री की मंहगाई भत्ता आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात

*1427. श्री क० लकप्पा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में मंहगाई भत्ता आयोग के अध्यक्ष श्री गजेन्द्र गड़कर से उनकी मुलाकात हुई थी और आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में उनसे विचार विमर्श किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह सत्य है कि श्री गजेन्द्र गडकर मुझसे हाल में मिले थे। उन्होंने सामान्य बातों पर चर्चा की और अपनी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की।

(ख) मंहगाई भत्ते पर आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

वेतन स्थिरीकरण तथा मूल्य स्थिरीकरण

*1428. श्री मरण्डी :
श्री बलराज मधोक :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राजदेव सिंह :
श्री रामावतार शर्मा :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री आत्मदास :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री श्री धरन :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री मेघचन्द्र :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री पार्थसारथी :
श्री समर गुह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हाल में हुए सम्मेलन में राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने सुझाव दिया था कि मूल्यों तथा वेतन के स्थिरीकरण की नीति अपनाई जाये ताकि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बार बार न बढ़ाना पड़े ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या मुख्य मंत्रियों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में कोई वृद्धि न करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन की कार्रवाई गोपनीय समझी जाती है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) सरकार गजेन्द्रगड़कर आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

Inclusion of General Insurance in Public Sector Question

1429. Shri Nihal Singh :
Shri O. P. Taygi :
Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1098 on the 1st June, 1967 and state:

(a) whether general insurance work has since been completely centeralised in the public sector;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of the State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) to (c) No, Sir. The proposal for nationalisation of general insurance in all its aspects, including the possiblity of achieving the objective in other ways, is still under the detailed examination of Government.

भविष्य में मूल्यों में वृद्धि

*1430. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि गजेन्द्र गड़कर आयोग ने भी अर्थ शास्त्रियों की इस शंका का समर्थन किया है कि आगामी छः अथवा आठ महीनों में मूल्यों में और वृद्धि हो सकती है;

(ख) वर्ष 1967-68 के आय व्ययक पर मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि न होने देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां । इस आयोग ने भी यह आशंका प्रकट की है कि यदि कारगर कार्रवाई न की गई , तो मूल्यों में और अधिक

वृद्धि होने की आशंका है। आयोग ने यह भी कहा है कि यदि देश में सामान्य रूप से वर्षा हुई, तो मूल्यों को नियंत्रित करने में काफी सहायता मिलेगी।

(ख) यदि मूल्यों में वृद्धि हो, तो बजट पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का ठीक-ठीक हिसाब लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि सरकार की प्राप्तियों और खर्चों, दोनों पर इसका कई तरह से प्रभाव पड़ेगा।

(ग) किसानों को ज्यादा उपज वाले बीज और रासायनिक खाद आदि दी गई है और दी जा रही है, ताकि अनाज और अनाज के अलावा दूसरी फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि की जा सके। कच्चे माल मशीनों के हिस्सों आदि के आयात और उद्योगों के लिये लाइसेंस देने की नीति को नरम बनाया गया है, ताकि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने और उसमें विविधता लाने के काम को औसतन बनाया जा सके। राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी उपयुक्त पाबन्दियां लगा कर, मांग के दबाव को कम करने की कोशिश की जाती है। मौजूदा स्थिति का सामना करने के लिए, खास खास वस्तुओं के मूल्यों और उनके वितरण का विनियमन, जारी रखा जा रहा है।

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत संसाधनों का सर्वेक्षण

*1431. **श्री बलराज मधोक :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर राज्य सहित पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जल-विद्युत संसाधनों का कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या इस क्षेत्र की लघु और मध्यम श्रेणी की विद्युत परियोजनाओं के लिए जल क्षमता का विशेष अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर शामिल हैं, जल विद्युत क्षमता के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये गये हैं।

(ख) 1960 और 61 में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में इस क्षेत्र में प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया है।

(ग) बिजली की भार क्षमता को 60% मानकर इस क्षेत्र की कुल विद्युत क्षमता अनुमानतः 7 लाख किलोवाट है।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए सहायता

*1432. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य को बड़ी सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जो मुख्य रूप से चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिये बनाई गई है, अब कोई विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह सहायता किन योजनाओं के लिये दी जा रही है; और

(ग) क्या और कितनी सहायता दी जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) किसी राज्य को बड़ी सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति करने के लिए, जो मुख्य रूप से चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाई गई है, कोई विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है। तथापि निम्नलिखित बड़ी योजनाओं और बहुपरियोजनीय परियोजनाओं के लिये ऋण सहायता की राशि निश्चित की गई है।

1. भाकड़ा नागल
2. चम्बल
3. ब्यास
4. राजस्थान नेहर
5. हीराकुंड
6. कोसी
7. गंडक
8. दामोदर घाटी निगम
9. नागार्जुन सागर

नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक

*1433. **श्री चितरंजन राय :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री कं० हाल्दर :
श्री रमानी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बक, भारत में अंशों की बिक्री की गारन्टी देने तथा अंशों को जारी करने के सम्बन्ध में सलाह देने के सम्बन्ध में एक विशेष निर्गम केन्द्र (इशुइंग हाउस) के रूप में काम करने का विचार कर रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह भारतीय निर्यात की गारण्टी के रूप में काम करने का विचार कर रहा है;

(ग) क्या नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (घ) जी, हां। सरकार को हाल ही में इस विषय पर नेशनल एन्ड ग्रिंडलेज बैंक से एक संदेश प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को किसी विशेष प्रस्ताव की जानकारी नहीं है ।

व्यापारियों को बैंकिंग सुविधायें

*1434. **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बैंकों के जरिये व्यापारियों को व्यापार सम्बन्धी सभी सुविधायें बन्द कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप मोटर गाड़ियों जैसी चीजों में चोर बाजारी कम हो गयी हैं;

(घ) क्या व्यापारियों को ये सुविधायें देना बन्द कर देने से हमारे उद्योगों तथा उनके उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है;

(ङ) क्या बाजार में वर्तमान मंदी से अनेक उद्योगों के बन्द होने का खतरा है और उनमें से बहुत से उद्योगों ने अपने कर्मचारियों की छंटनी करनी भी आरम्भ कर दी है;

(च) क्या लेखा बाह्य धन बाजार में आयेगा और यदि हां, तो सरकार का क्या अनुमान है; और

(छ) उत्पादन में कमी को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ङ) औद्योगिक उत्पादन की मौजूदा कमी के कारण, मुख्य रूप से उन उद्योगों में से कुछ उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है जो पूंजीगत वस्तुओं और सहायक वस्तुओं का निर्माण करते । इसके परिणामस्वरूप उन उद्योगों में नियोजन की स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(च) मन्दी की मौजूदा परिस्थितियों में, इस बात की संभावना नहीं है कि बेहिसाबी धन बाजार में आ जाय ।

(छ) सरकार ने, आयात सम्बन्धी और औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की नीतियों को पहले ही उदार बना दिया है ताकि उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाने और उसमें विवधता लाने में आसानी हो । निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि देश के अन्दर वस्तुओं की मांग कम हो जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन पर अनुचित प्रभाव न पड़े । जिन उद्योगों के उत्पादन पर, मांग की कमी के कारण प्रभाव पड़ा है उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने हाल ही में कुछ उपायों की घोषणा की है । इन उपायों में, रेलवे के उपकरणों

जैसी चीजों के संबंध में, अगले साल की सरकारी क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए आर्डर देने के काम को तेजी से पूरा करना, ऐसे कार्यक्रम तैयार करना, जिनके आधार पर वस्त्र व्यवसायी, वस्त्र निर्माताओं को शीघ्रता से काफी आर्डर दे सकें, पूंजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में आर्डर देने की तथा धातुक्रम (मेटालर्जी) और इंजीनियरी से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुओं के निर्यात की वित्तीय व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार करना आदि शामिल है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा वेतन की हड़ताल

1435. **श्री प० गोपालन :**
श्री चक्रपाणि :
श्री अनिरुद्धन :
श्री अब्राहम :
श्री एस्थोस :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री रमानी :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने 1 जुलाई, 1967 को समूचे देश में वेतन की हड़ताल की थी;

(ख) वेतन की हड़ताल में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था;

(ग) वेतन हड़ताल के क्या कारण थे; और

(घ) कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग) महगाई भत्ता आयोग की सिफारिशों के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिय कुछ कर्मचारियों ने इस महीने वेतन दिवस पर अपना वेतन नहीं लिया।

(ख) ऐसे कर्मचारियों की सही सही संख्या तत्काल निश्चित नहीं की जा सकती।

(ग) मंहगाई भत्ता आयोग की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी विनियोजन

*1436. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री टी० पी० शाह :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगों में, जिनमें विदेशी पूंजी लगी हुई है और जिनसे काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, काफी पूंजी वापस चली गयी है; और

(ख) क्या इसके स्थान पर भारतीय उद्यमियों को पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देकर इस कमी को पूरा करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1223/67**] जिसमें यह बताया गया है कि भारत में लगी कितनी विदेशी पूंजी 1961 से 1966 तक के प्रत्येक वर्ष के अन्त में बकाया थी और इन वर्षों में कितनी विदेशी पूंजी वापस चली गयी।

उपर्युक्त विवरण से यह मालूम होगा कि इन वर्षों में जहां विदेशी निवेश में लगातार वृद्धि हुई है, वहां वापस जाने वाली विदेशी पूंजी बहुत मामूली रही है।

आसाम में बाढ़

*1437. **श्री हेम बरुआ :**
श्री आत्म दास :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम में इस समय कितने एकड़ भूमि में तहस-नहस करने वाली बाढ़ आई है,

(ख) वर्ष 1964-65, 1965-66 में राज्य सरकार ने सहायता कार्यों पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है और इसमें केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि दी है; और

(ग) सरकार ने अब तक और क्या क्या सहायता कार्य किये हैं ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रख दिया गया है। देखिये संख्या एल० टी० 1224/67]**

राज्यों में सिंचित भूमि की प्रतिशतता

1438. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री बाबूनाथ सिंह :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री शशि भूषण :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारी साधनों तथा गैर-सरकारी साधनों से कितने प्रतिशत भूमि मे सिंचाई की जाती है; और

(ख) इसमें अन्तर के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया है। देखिये संख्या एल० टी० 1225/67**]

(ख) स्थलाकृति विज्ञान, वर्षा, सिंचाई की सम्भावना और सिंचाई के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित की गई पूंजी इसके मुख्य कारण हैं।

विदेशीयों के लिये स्वीकृत वार्षिकी पालिसियां

+

*1439. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री रमानी : **श्री एस्थोस :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों में विदेशियों को कितनी तथा कुल कितने मूल्य की वार्षिकी पालिसियां दी गई।

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति भारत से हमेशा के लिये चले गये हैं,

(ग) क्या विकेन्द्रीकरण की नीति का, जैसे वह चेयरमैन के 1959 के प्रतिवेदन में बताई गई है, पालन किया जा रहा है;

(घ) क्या कर्मचारियों की सामान्य भर्ती बन्द कम कर दी गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ;

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बीजू पटनायक का कर दायित्व

*1440. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** **श्री रामचरण :**
श्री हेम बरुआ : **श्री रविराय :**
श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री जार्ज फरनेंडीज :**
श्री बलराज मधोक : **श्री रामसेवक यादव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध कलिंग ट्रस्ट्स लिमिटेड सहित आयकर, सीमा-शुल्क तथा कलकत्ता में हुण्डियों की तलाशी के बारे में सभी अनिर्णीत मामलों की जांच पूरी हो गई है और उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) उन पर तथा उनसे सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा देय आयकर की राशि कुल कितनी निर्धारित की गई है और अब तक कितनी राशि वसूल की गई है;

(ग) कुल कितनी राशि बकाया है और यह कब से बकाया है;

(घ) आयकर अधिकारियों को अपनी आय के सभी साधन नहीं बताने के कारण श्री पटनायक को कुल कितनी राशि का अर्थ-दण्ड दिया गया है;

(ङ) उन्होंने जितनी राशि के विरुद्ध अपील की है, क्या उस पूरी राशि का भुगतान कर दिया है अथवा कलकत्ता न्यायालय से रोक आदेश प्राप्त कर लिया है; और

(च) ये मुकदमे कब दायर किये गये थे और क्या सरकार ने इन आदेशों के वापिस लिये जाने के बारे में न्यायालय में कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सीमा शुल्क विभाग में श्री पटनायक के विरुद्ध कोई मामला विचाराधीन है । आयकर विभाग में जांच पूरी कर ली गई है ।

(ख) कर–निर्धारण वर्ष 1957-58 से लेकर इस समूह पर कुल एक करोड़, ग्यारह लाख, तिरानवे हजार, सात सौ सत्तासी रुपये का आयकर लगाया गया, जिसमें से अब तक उन्नीस लाख उनसठ हजार दो सौ चालीस रुपये वसूल किये जा चुके है ।

(ग) वसूली के लिये बकाया रही कर की कुल रकम बानवे लाख, चौतीस हजार पांच सौ सैंतालीस रुपये हैं । ये नीचे लिखे अनुसार बकाया हैं:—

मई 1965 से	—	1,54,000 रुपये
जनवरी 1966 से	—	12,037 रुपये
मई 1966 से	—	23,47,282 रुपये
मई 1967 से	—	67,21,230 रुपये

(घ) दण्ड लगाने सम्बन्धी शुरू की गई कार्यवाही उच्च न्यायालय के आदेश के कारण पूरी नहीं की जा सकी ।

(ङ) जी, नहीं । श्री पटनायक के निजी मामले में करकी कुल मांग स्वयं उच्च न्यायालय के आदेश से स्थगित कर दी गई है ।

(च) मार्च 1967 में किए गए कर-निर्धारण के तुरन्त पश्चात उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचनाएं दायर कर दी गई थीं । सरकार ने स्थगन आदेशों को वापस लेने के लिये पहले ही दरख्वास्तें दायर कर दी हैं ।

विदेशी मुद्रा के मामलों में अन्तर्गत एक फिल्म अभिनेता

6864. श्री चित्तिबाबू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत के एक विख्यात फिल्म अभिनेता विदेशी मुद्रा के मामलों में अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने विदेश में 'अवकाराई है सीमाइयीलाई' नाम की एक फिल्म बनाई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने फिल्म अपने कब्जे में ले लेती है और इस विषय में जांच हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) अनुमानतः यहां पर फिल्म अभिनेता श्री एस० कृष्ण स्वामी की ओर संकेत है जिन्होंने 'अक्करे शीमयिले' फिल्म बनाई थी। इस फिल्म के कई दृश्य फ्रांस, इंगलैंड, अमरीका और सिंगापुर में लिए गये थे। यह पाया गया था कि श्री कृष्ण स्वामी ने अनधिकृत रूप से विदेशी मुद्रा उधार लेकर एवं खर्च करके विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उलंघन किया था। इस मामले पर दिसम्बर 1964 में प्रवर्तन निदेशक द्वारा न्याय निर्णय की कार्य वाही की गई थी तथा श्री कृष्णस्वामी पर 10,000 रुपये का दण्ड लगाया गया। फिल्म सरकार द्वारा पकड़ी नहीं गई थी।

पल्लावरन में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

6865. श्री चित्तिबाबू : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पल्लावरम में, जो मद्रास से 24 किलोमीटर की दूरी पर है और आवडी में, जो मद्रास से 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं, रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 'ए' दर्जे के नगरों में मिलने वाले सभी भत्ते नहीं मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ताम्बरा में, जो मद्रास नगर से केवल 29 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां वस्तुओं के बाजार भाव उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित किसी भी स्थान के भावों के समान नहीं मिलते हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पल्लावरण तथा अवाडी में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उतना ही मकान किराया तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के हकदार है जितना मद्रास में तैनात कर्मचारियों को मिलता है, जो 'ए' दर्जे का नगर है।

(ख) ताम्बरम में एक अलग नगरपालिका है तथा मद्रास नगर निगम की सीमाओं के साथ संश्लिष्ट नहीं है। अतः ताम्बरम में तेनात तथा रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मद्रास में मिलने वाले भत्तों के हिसाब से भत्ते नहीं मिल सकते। किन्तु यदि ताम्बरम में तेनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी मद्रास की शहरी सीमा में रहते है अथवा किसी उपनगरीय नगरपालिका/अधिसूचित शेत्र/छावनी अथवा अन्न उन क्षेत्रों में रहते हैं जिन्हें इस प्रयोजन के लिए मद्रास का भाग मान लिया गया है तो वे मद्रास में मिलने वाले मकान किराया तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता पाने के हकदार हैं।

जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी का स्थान मद्रास की शहरी सीमा के अन्दर है किन्तु जो ताम्बरम में रहते हैं, वे मद्रास में मिलने वाले भत्तों के हिसाब से नगर प्रतिपूर्ति तथा मकान किराया भत्ते पाने के हकदार हैं।

गुजरात राज्य में आदिम जाति खण्ड

6866. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात राज्य में कितने आदिम जातीय खण्ड हैं;

(ख) वर्ष 1967-68 में उस राज्य में कितने आदिम जातीय खण्ड खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त अवधि में पंचमहल, बड़ौदा और भड़ौच जिलों (गुजरात) में ऐसे कितने खण्ड खोले जायेंगे ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) 53

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में भूकम्पीय सर्वेक्षण

6867. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में हाल ही में कोई भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हां, पिछले 10 वर्षों में हुए कार्य के सिलसिले में ।

(ख) 1966-67 के क्षेत्र कार्य मौसम के दौरान किये गये कार्य के पश्चात् कुछ अपनत रचनाएं और दोष, जिनका सम्बन्ध तेल और प्राकृतिक गैस सम्भावनों से हैं, पाये गये ।

गुजरात राज्य को बिजली के लिये सहायता

6868. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण तथा पम्पिंग सैट चलाने के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कुल कितनी सहायता दी है; और

(ख) जिन जिन ग्रामों में बिजली लगाई गई है, उनकी संख्या कितनी है;

(ग) इन पम्पिंग सैटों की संख्या कितनी है जिनके लिये केन्द्रीय सहायता से बिजली उपलब्ध कराई गई है ।

कृषि और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) गुजरात राज्य की स्थापना 1 जून, 1960 को हुई। केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को मार्च, 1967 तक इन कार्यक्रमों के लिये कुल 890·75 लाख रुपये की सहायता दी।

(ख) और (ग) केवल केन्द्रीय सरकार की सहायता से गांवों में लगाई गई बिजली/पम्प का अलग ब्यौरा राज्य सरकारों/राज्य बिजली निकायों द्वारा नहीं रखा गया है। 31 मार्च, 1967 तक गुजरात राज्यों के गांवों में लगाई गई बिजली पम्पों की संख्या इस प्रकार थी:—

गांवों में बिजली लगाई गई	2320
पम्प लगाये गये	28175

गुजरात राज्य में परिवार नियोजन केन्द्र

6869. श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में इस समय चल रहे परिवार नियोजनों की संख्या कितनी हैं; और

(ख) वर्ष 1967–68 में उस राज्य में कितने ऐसे केन्द्र खोलने का विचार है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) 671

(ख) 20

गुजरात के सुनार

6870. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में गुजरात के सुनारों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है; और

(ख) गुजरात में कितने सुनारों को अब तक राहत दी जा चुकी है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) गुजरात सरकार ने जितने धन की मांग की थी वह पूरा का पूरा उसे दे दिया गया है और पिछले वर्षों में उसे कुल 1.5 करोड़ रुपये की रकम पेशगी दी गई है। चालू वर्ष में गुजरात सरकार की ओर से धन की कोई मांग नहीं प्राप्त हुई है। इसलिये चालू वर्ष में इसके अतिरिक्त कोई रकम मंजूर करने का मौका ही नहीं आया है।

(ख) गुजरात सरकार द्वारा 9666 स्वर्णकारों को लगभग 1.43 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में बांटे गये हैं। 2510 स्वर्णकारों को वैकल्पिक रोजगार आदि के रूप में अन्य प्रकार की सहायता दी गई है। 18,474 स्वर्णकारों को तथा उनके बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी तथा तकनीकी प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायता दी गई है।

Primary Health Centres in Maharashtra

6871. **Shri D. S. Patil**: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the amount allocated to the Government of Maharashtra for opening primary health centres in Maharashtra in 1966-67;

(b) the amount utilised so far;

(c) the number of Primary Health Centres opened so far and the total number of such centre proposed to be opened in Maharashtra State; and

(d) whether it is proposed to open the Primary Health Centre in Development Block in Yeotmal District during 1967-68

The Minister of Health and Planning (Dr. S. Chandrasekhar): (a) and (b) A total grant of Rs. 140.38 lakhs was released to the Government of Maharashtra during 1966-67 for the implementation of various health schemes under the Plan, including Primary Health Centres. Is is not possible to indicate the amount of assistance sanctioned or utilised by the Government of Maharashtra for Primary Health Centres specifically, as according to the existing procedure, assistance to State Governments is not released scheme-wise but in lump for all the schemes together in a group.

(c) 377 primary health centres have been opened in Maharashtra State so far. The State Government are considering a proposal to open only one primary health centre in Krmala Block in Sholapur District at present.

(d) It is not proposed to open any primary health centre in Yeotmal District during 1967-68. There are 14 Blocks in Yeotmal district and each of them has already got a primary health centre.

हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग के अस्पताल

6872. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कुष्ठ रोग के अस्पताल के लिये भवन का निर्माण करने अथवा भवन खरीदने के लिये अनुदान दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितना धन दिया गया है और क्या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस काम के लिये परीमहत्व नामक सम्पति खरीदने के लिए इस धन का उपयोग किया गया है ।

(ग) इस भवन को इस समय किस प्रयोजन के लिये इस्तेमाल में लाया जा रहा है;

(घ) क्या यह सच है कि माशोवरा में कुष्ट रोग का अस्पताल अभी तक टूटे-फूटे मकान में हैं जो बाजार के बिलकुल बीच में हैं; और

(ङ) उक्त प्रयोजन के लिए खरीदे गये भवन में अस्पताल को न ले जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने परीमहत्व नामक सम्पत्ति अपने कोष से खरीदी थी और इसका प्रयोग शिमला चिकित्सा कालिज के छात्रों द्वारा निवास स्थान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) माशोबरा के कुष्ठ रोग का अस्पताल कस्बे के एक भवन में हैं और इस भवन की स्थिति सन्तोषजनक हैं।

(ङ) इस कुष्ठ रोग के अस्पताल को परीमहत्व के अलावा किसी और उपयुक्त स्थान पर ले जाने का सुझाव है।

जीवन बीमा निगम द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन

6873. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 को समाप्त होने वाले वर्ष में समाचारपत्रों तथा सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करने में जीवन बीमा निगम ने कितना धन खर्च किया;

(ख) 1966–67 में किन-किन समाचारपत्रों तथा सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में ये विज्ञापन प्रकाशित किये गये और इस कार्य के लिये प्रत्येक पत्र-पत्रिका को कितनी राशि दी गई; और

(ग) इन समाचारपत्रों तथा सामयिक पत्र-पत्रिकाओं को किस आधार पर चुना गया ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 8,97,696,92 रुपये।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1226/67]**

(ग) जिस आधार पर पत्रों तथा सामयिक पत्र-पत्रिकाओं का चुनाव किया जाता है, वे ये हैं:–

(i) उनका परिचलन

(ii) देश के भीतरी भागों तक उनकी पहुँच

(iii) उनके पाठकों का वर्गीकरण, तथा

(iv) जीवन बीमा सम्बन्धी प्रचार के लिए उनकी प्रभावशीलता।

मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों के लोगों की जनसंख्या

6874. श्री सिद्दय्या : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित जातियों में से प्रत्येक जाति की 1951 और 1961 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है;

(ख) क्या मैसूर राज्य के अनुसूचित जातियों के कुछ लोगों ने 1951 से 1961 की अवधि के दौरान बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्म अपना लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1227/67]**

(ख) और (ग) एक धर्म-निरपेक्ष सरकार द्वारा ऐसी जानकारी एकत्रित नहीं की जा सकती।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

6875. श्री सिद्दय्या : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी;

(ख) बोर्ड ने कौन-कौन सी विभिन्न योजनायें बनाई थी;

(ग) वर्ष 1966-67 के दौरान इस बोर्ड से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कितना लाभ हुआ है;

(घ) क्या उनके लाभ के लिए कोई राशि पृथक रूप से रख दी गई थी;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) 1966-67 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिए 1,73,30,920 रुपये की राशि मंजूर की गई।

(ख) 1966-67 में कोई नई परियोजना नहीं बनाई गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो परियोजनायें थीं वही जारी रखी गई हैं।

(ग) डूमका (बिहार) और झालोड़ (गुजरात) में जो दो प्रशिक्षण केन्द्र हैं वहां आदिवास-कल्याण संगठन कार्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के 37 व्यक्तियों को प्रशिक्षण मिला, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों/आदि जातियों के सदस्यों, जिनकी संख्या का ठीक प्रकार से पता नहीं चल सकता, ने बोर्ड के सामान्य कार्यक्रमों से लाभ उठाया।

(घ) हां, श्रीमान।

(ङ) आदिवास-कल्याण संगठन-कार्यों के प्रशिक्षण के लिये 30,920 रुपये की राशि अलग निश्चित की गई।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

Financial Assistance to Maharashtra for Rural and Urban Electrification

6876. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance proposed to be given by Central Government to Maharashtra during the Forth Five Year Plan for rural and urban electrification in the State;

(b) the target fixed for rural and urban electrification; and

(c) the number of villages which are likely to be electrified thereby ?

The Minister of Irrigation and power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c) The Fourth Five Year Plan is yet to be finalised. The quantum of Central assistance and the targets to be achieved will be known only after the finalisation of the Fourth Plan.

National Water Supply and Sanitation Scheme in Maharashtra

6877. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the extent and nature of assistance provided by Government to Maharashtra during the Third Five Year Plan introducing National Water Supply and Sanitation Scheme in rural and urban areas of the State;

(b) the names of cities and villages where this scheme has been introduced or is being introduced; and

(c) the extent and nature of assistance provided under the National Water Supply Scheme for the city of Yeotmal ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Under the National Water Supply and Sanitation Programme, Central assistance to State Governments was given during the III Plan to the extent of 100 loan for Urban schemes and 50 grant-in-aid for rural schemes. During that period a total sum of Rs. 661.66 lakhs by way of loan and Rs. 45.24 lakhs by way of grants were given to the Government of Maharashtra by the Central Government.

(b) and (c) The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha a soon as received.

Financial assistance to Maharashtra

6878. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of financial assistance, loans and subsidy granted so far to Maharashtra State for implementing Five Year Plan, Plan-wise, so far; and

(b) the extent of assistance proposed to be given to the State during the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The total amounts of financial assistance sanctioned in the form of loans and subsidy to Maharashtra State for the First, Second and Third Plans were of the order of Rs. 48.00 crores. Rs. 74.00 crores and Rs. 166.20 crores respectively.

(b) The Central assistance for the Fourth Plan has not yet been finalised. However, for the year 1966-67, Central assistance of Rs. 25.50 crores was allocated and for 1967-68 an amount of Rs. 33.00 crores has been agreed to.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

6879. श्री सिद्धय्या : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में भर्ती होने योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु विशेष प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं;

(ख) किस श्रेणी के पदों के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ग) क्या केन्द्र द्वारा ऐसे केन्द्रों को कोई सहायता दी जाती है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य आयोजित परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। एक उत्तर प्रदेश (इलाहाबाद) और दूसरा मद्रास में। 100% केन्द्रीय सहायता से यह केन्द्र चल रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रयोजित ऐसे ही तीन केन्द्र केरल राज्य में चल रहे हैं; इनमें लगभग 50% स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र सरकार विश्वविद्यालयों द्वारा यह सुविधायें प्रदान कर रही हैं।

मद्रास सरकार राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के इच्छुक व्यक्तियों के लिये तीन अनुभव-केन्द्र चला रही हैं।

राजस्थान और बिहार सरकार चौथी योजना के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का इरादा रखती हैं।

मैसूर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां

6880. श्री सिद्दय्या : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियों के लिए मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों से कितने आवेदन पत्र मिले थे;

(ख) 31 मार्च, 1967 तक कितने व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां दी गई और कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे; और

(ग) वर्ष 1966-67 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कुल कितनी राशि की छात्रवृत्तियां दी गई ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) अनुसूचित जातियां 4459
अनुसूचित आदिम जातियां 80

कुल योग : 4539

(ख) प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या :
अनुसूचित जातियां 4016
अनुसूचित आदिम जातियां 68

कुल योग : 4084

31.3.67 को विचाराधीन आवेदन पत्रों से सम्बन्धित जानकारी शीघ्र प्राप्य नहीं है।

(ग)	अनुसूचित जातियां	21.76 लाख रुपये
	अनुसूचित आदिम जातियां	0.43 लाख रुपये
	कुल योग :	22.19 लाख रुपये

हरिजन कल्याण सलाहकार बोर्ड, नई दिल्ली

6881. श्री सिद्दय्या : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65, 1965–66 तथा 1966–67 में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में हरिजन कल्याण सलाहकार बोर्ड की कितनी बैठकें हुईं;

(ख) इन वर्षों में इस बोर्ड ने क्या-क्या सिफारिशें की; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क)

1964—65	6 बार
1965 - 66	5 बार
1966—67	3 बार

(ख) और (ग) बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1228/67]**

नये पद बनाना

6882. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गजेन्द्रगड़कर आयोग के इस निष्कर्ष की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि नये पद बनाने की प्रवृत्ति को रोकने के बारे में सरकार के घोषित उद्देश्य के बावजूद, लगभग सभी वर्गों में कर्मचारियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) घोषित उद्देश्यों तथा उनकी क्रियान्वित के अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) इस असंगत स्थिति को दूर करने तथा नौकरशाही के अनावश्यक विकास को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह आयोग का निष्कर्ष नहीं था बल्कि उसके सामने पेश किया गया एक सुझाव था, जिसके गुण-दोषों के बारे में आयोग ने कोई राय व्यक्त नहीं की।

(ख) कर्मचारियों की संख्या में वृदि मुख्यतः रेलवे, सीमा सुरक्षा, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों तथा विकास सम्बन्धी योजनाओं की गतिविधियों के क्रम में वृद्धि के कारण हुई है।

(ग) 1963–66 की अवधि में उन नये पदों के सर्जन पर रोक लगा दी गई थी जो योजना अथवा सुरक्षा की आवश्यकताओं से सम्बन्धित नहीं थे; 1966-67 तथा 1967-68 में गैर–आवश्यक पदों के सर्जन के क्षेत्र को सीमित करने के लिए कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में बजट व्यवस्था कम कर दी गई ; और आजकल उस समय तक रिक्त पदों को भरने पर रोक लगा दी गई हैं जब तक कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी की स्वीकृति संख्या में 3 प्रतिशत कटौती नहीं प्राप्त कर ली जाती। इसके अलावा वित्त मन्त्रालय का "कर्मचारी निरीक्षण एकक" कार्यालयों में कार्य को नापने–तोलने के सम्बन्ध में अध्ययन करता रहता है तथा फालतू कर्मचारियों का पता लगाता रहता है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा कार्य प्रणालियों में सुधार तथा उन्नति लाने का प्रयास भी किया जाता है जिससे कर्मचारियों की बचत हो सके। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

Slum Dwellers in big Cities

6883. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavtar Shastri :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of slum dwellers in Delhi, Calcutta, Bombay, Madras and Kanpur;

(b) whether Government's attention has been drawn to such dirty and unhealthy slum areas in big cities where whole families have to live in hume pipes, dry bridges and under the balconies by the side of big houses; and

(c) if so, the steps Government propose to take to improve the conditions of these slum dwellers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The information is not available.

(b) It is correct that there are bad slum in big cities of India.

(c) Government have already formulated a scheme for clearance and improvement of slums, under which the Central Government give financial assistance to the State Governments to the extent of 87½% of the approved cost of houses and of the improvements– 50% as loan and 37½% as grant. So far a sum of Rs. 29 crores has been spent under this scheme and 58,500 houses have been constructed. The scheme will be continued during the Fourth Plan Period and an outlay of Rs. 58 crores is proposed to be made. The problem is, however, stupendous and it will take a long time to liquidate it.

Usage of Steel in Government Quarters

6884. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that steel is used in large quantity in the construction of Government buildings in Delhi, Calcutta or in other cities;

(b) whether Government have consulted the architects about the ways of constructing more durable houses by using lesser quantity of steel;

(c) whether Government proposed to take any steps for greater use of modern machines in the construction of houses so that labour productivity may also be increased; and

(d) if so, details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) Steel is widely used in modern construction. The architects and engineers of the C.P.W.D. are constantly engaged in study of construction methods in order to ashieve enonomy in design of buildings based on ISI specifications without compromising strength and durability of construction.

(a) and (d) Yes. Proposals are already under examination.

पलाई सेन्ट्रल बैंक

6885. श्री विश्वम्भरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री अदिचन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सेन्ट्रल बैंक के, जिसका परिसमापन हो रहा है, खातेदारों को अब तक किस दर से लाभांश दिया गया है; और

(ख) क्या सरकार यह आशा करती है कि निकट भविष्य में कुछ और लाभांश देने की घोषणा की जायेगी ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अधिमानित 250 रुपये देने के अतिरिक्त बैंकिंग अधिनियम, 1949 की धारा 43 ए (27) के अन्तर्गत प्रत्येक खातेदारों को अब तक निम्नलिखित लाभांश दिया गया है:—

(1) दिसम्बर, 1961 में घोषित पहला लाभांश एक रुपये में से 40 पैसे का ।

(2) अप्रैल, 1963 में घोषित दूसरा लाभांश एक रुपये में से 12 पैसे का ।

(3) जुलाई, 1964 में घोषित तीसरा लाभांश एक रुपये में से 6 पैसे का ।

एक रुपये में से 3 पैसे का चौथा लाभांश भी केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत, परिसमापन अधिकारियों ने जून, 1967 में घोषित किया था ।

फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय का फार्म

6886. श्री विश्वम्भरन :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री अदिचन :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड, अलवाय का एक फार्म है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्षेत्रफल कितना है;

(ग) 1965-66 और 1966-67 में इस फार्म से कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(घ) फार्म में कितने मजदूर काम कर रहे हैं और उनकी मजूरी क्या है; और

(ङ) फार्म से सम्बद्ध कितने अधिकारी हैं और उनके वेतन क्रम क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीरघु रामैया) : (क) और (ख) जी, नहीं। परन्तु औद्योगिक उद्देश्य के लिये अर्जित की हुई और शीघ्र ही निर्माण कार्य के लिये ना चाही जाने वाली भूमि में से लगभग 50 एकड़ अस्थाई तौर पर कृषि योग्य बनाई गई है। इसी प्रकार मैसर्स ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स लिमिटेड और मेसर्ज हिन्दुस्तान टूल्स की 70 एकड़ भूमि अस्थाई लीज पर एफ० ए० सी० टी० द्वारा इसी उद्देश्य के लिए ली गई थी, लेकिन यह वापिस की जा रही है। इसके अतिरिक्त दो एकड़ से कम का एक प्रयोगात्मक प्लाट है जिस पर सस्य-विज्ञान सम्बन्धी परीक्षण किये जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) मांगी हुई सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जायेगी और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

पिछड़े वर्ग सम्बन्धी काका कालेलकर आयोग का प्रतिवेदन

6887. श्री नारायण राव : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों सम्बन्धी काका कालेलकर आयोग के प्रतिवेदन के अनुसरण में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 340 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी एक ज्ञापन 3 सितम्बर, 1956 के दिन लोक सभा को पेश किया गया। लोक सभा में 3 अक्तूबर, 1964 और 8 नवम्बर, 1965 को प्रतिवेदन पर बहस भी हुई।

तेल का निर्यात

6888. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष देश में उत्पादित तेल में से कितने तेल का निर्यात किया जाता है तथा निर्यात किये जाने वाले तेल में से कोचीन तेल शोधक कारखाने से कितने तेल का निर्यात किया जाता है;

(ख) इन निर्यातों से विदेशी मुद्रा की कितनी आय होती है; और

(ग) भारत में इस समय तेल का कितना उत्पादन होता है तथा इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भर बनने के लिये कितनी मात्रा की आवश्यकता है।

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) सम्भवतः सदस्य महोदय का तात्पर्य देशीय शोधन क्षमता के उत्पादों से है। इस अनुमान पर 1964 के बाद निर्यात किये गये उत्पादों का ब्यौरा निम्न प्रकार है; —

	वर्ष	निर्यात किये गये तेल उत्पादों की मात्रा (000 मीटरी टनों में)
	1964	375.2
	1965	344.7
	1966	729.7
	1967 (जून तक)	456.8
	1967 में कोचीन के निर्यात	140.0
		रुपये लाखों में
(ख)	1964	483.72
	1965	391.64
	1966	875.63
	1967 (जून तक)	631.14

(ग) पुनः यह अनुमान लगाते हुए कि इसका तात्पर्य देश में तेल–उत्पादों के उत्पादन से है; इस वर्ष लगभग 14.2 मिलियन मीटरी टन उत्पादन होगा। लगभग 1.1 मिलियन मीटरी टन मिट्टी के तेल; लुबीकेण्टस तथा विमानन गैसोलीन (जिनका आयात आवश्यक है) के सिवाय; उत्पादन के इस स्तर पर हम आत्म-निर्भर होंगे; किन्तु हमारे पास 1 मिलियन मिटरी टन मोटर गैसोलीन और नेफ्था भी फालतू है; जिनका निर्यात किया जा रहा है।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

6889. श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने में निर्धारित क्षमता से उत्पादन होना शुरू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों में तेल शोधक कारखाने को कितनी हानि हुई है; और

(ग) पूरा उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी नहीं। पूर्ण क्षमता 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। वर्तमान उत्पादन की दर प्रतिवर्ष 1.75 मिलियन टन है।

(ख) इसके कारण हैं : कोकिंग यूनिट की कम क्षमता, लो सल्फर हैवी स्टाक (low sulpher heavy stock) के लिए अपर्याप्त बाजार और लूब तेल और बिटूमेन संयंत्र (complexes) के चालू होने में देरी । पिछले 3 वर्षों में शोधनशाला में निम्नांकित लाभ या हानि हुई है :-

1964-65 : इस अवधि में शोधनशाला परीक्षण रूप में शुरू हुई और इसमें कोई लाभ-हानि नहीं हुई ।

1965-66 : हानि – 1,10,49,351,36 रुपये ।

1966-67 : अस्थाई आंकड़ों के अनुसार शोधनशाला का लाभ 30 लाख रुपये अनुमानित है ।

(ग) पूरा उत्पादन करने के लिए की गई कार्यवाहियों में कोकिंग यूनिट परिशोधन, लो सल्फर हैवी स्टाक तेल के लिए मांग निकालना और बिटुमैन तथा लूब के कम्पलैक्स चालू करना शामिल है । ये सुधार चालू वित्तीय वर्ष में फलदायी होंगे ।

भारत में गर्म पानी के सोते

6890. श्री रा० की० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गर्म पानी के कुल कितने सोते हैं;

(ख) क्या सरकार औषधियों के तैयार करने में इनका प्रयोग करती है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में इन सोतों का कारगर उपयोग करने के लिये सरकार का विचार एक योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) भारत में 300 से अधिक गर्म पानी के सोते हैं ।

(ख) जी नहीं, किन्तु जनता उनका बहुधा प्रयोग करती है ।

(ग) और (घ) सोहना (गुड़गांव) के सोते के विकास करने की सम्भावना पर अन्वेषण किया गया था किन्तु इस परियोजना को लाभकारी नहीं पाया गया । राजगिर के गरम सोते के विकास के प्रस्ताव को कानूनी अड़चनों के कारण छोड़ दिया गया । इस विषय पर कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है ।

महाराष्ट्र की सिंचाई योजनाएं

6892. श्री देवराव पाटिल :
श्री रा० दो० भण्डारे :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रस्तावित कई सिंचाई योजनाओं पर केन्द्रीय सरकार ने अभी निर्णय नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर केन्द्र ने अभी तक निर्णय नहीं किया है ?

सिंचाई और बिजली मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) तीनों योजनाओं में निहित समस्त योजनाओं पर निर्णय ले लिये गये हैं।

सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता

6893. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने अब यह बताया है कि आर्थिक अथवा अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कों को केन्द्र प्रायः कुल पूंजी का एक-तिहाई भाग देगी तथा शेष दो-तिहाई भाग सम्बन्धित राज्य सरकारें वहन करेंगी।

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस निर्णय से राज्यों पर भारी वित्तीय दायित्व आ जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सहयता करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) केन्द्रीय संचालित योजना के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति प्रणाली के अनुसार "आर्थिक अथवा अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कों" के कुछ परिव्यय के सामान्यतया एक-तिहाई भाग को केन्द्रीय अनुदानों से पूर्ति की जायेगी और बाकी दो-तिहाई भाग सम्बन्धित राज्य सरकारें वहन करेंगी।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् की उपसमिति, जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी थे, द्वारा सहायता की प्रणाली स्वीकृत किये जाने के बाद, इस बात की सूचना राज्य सरकारों को दे दी गई थी। अतः अभी और कोई कार्रवाई आवश्यक प्रतीत होती।

एडमलयार पन-बिजली परियोजना

6894. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एडमलयार नदी पर एडमलयार पन-बिजली परियोजना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और बिजली मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत एक 275 फुट ऊंचा बांध, एक 7.2 फुट व्यास की एक मील लम्बी सुरंग, 50 मिलीमीटर क्षमता का एक बिजलीघर और अनुमानतः 805 लाख रुपये की लागत से परियर घाटी के निचले भाग में बिजली और पानी सप्लाई किये जाने के लिये किये जाने वाले संचार-कार्य का किया जाना भी इसमें शामिल है।

Low-Income Housing Scheme of Madhya Pradesh

6895. **Shri J. Sundar Lal :** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pased to state :

(a) the amount allocated to Madhya Pradesh for the Low Income Group Housing in the Third Five Year Plan and the amount utilised thereform;

(b) the number of houses constructed under the scheme;

(c) the amount allocated for this purpose during 1967-68 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Amount allocated was Rs. 216.50 lakhs from plan funds and the amount utilised was Rs. 112.88 lakhs.

(b) During the Third Five Year Plan the Government of Madhya Pradesh constructed 2724 houses under the Scheme.

(c) The amount allocated for 1966-67 was Rs. 10.00 lakhs. The amount proposed for allocation for 1967-68 is Rs. 40.00 lakhs.

इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में अस्वास्थकर वातावरण

6896. **श्री ओ० प्र० त्यागी :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री म० ला० सोंधी : **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री बृज भूषण लाल : **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इर्विन अस्पताल नई दिल्ली में बहुत गन्दगी रहती है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर वार्डों में रोगियों को निजी पंखों की व्यवस्था करनी पड़ती है क्योंकि अस्पताल के हाल में लगाये गये सीलिंग पंखे रोगी शय्याओं के ऊपर न होकर मार्ग (पैसेज) के ऊपर हैं; और

(ग) रोगियों की शिकायतों को, विशेषतः इमर्जेंसी वार्डों में, दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) इस अस्पताल में रोगियों और उनके सम्बन्धियों के अत्यधिक आवागमन के बावजूद इसे तथा इसके आस पड़ौस के क्षेत्र को साफ रखने का पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है।

(ख) पंखे वार्ड के बीच में लगाये गये हैं ताकि उनकी हवा अधिक से अधिक स्थान तक पहुँच सके। वैसे रोगियों को अपने टेबल फेन इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी जाती है।

(ग) कैजुअल्टी डिपार्टमेंट के कार्य संचालन को सुधारने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

Assistance to Punjab

6897. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether Government have received any representation from the Punjab Government alleging discrimination against the Punjab State regarding assistance provided by the Centre as compared to other States;

(b) If so, the details thereof; and

(c) The reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) No representation of this nature has been received. However, the State Government had requested for additional Central assistance for the Fourth Five Year Plan as well as for the current year's plan.

(c) As the total amount of Central assistance provisionally worked out for the Fourth plan and also the amount provided in the Central Budget for Central assistance for the State plan in the current year have already been distributed among the States, the state Government were informed that no increase in the Central assistance was possible.

Five Year Family Planning Scheme.

6898. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) Whether a Five Year Family Planning Scheme has been formulated by U.N.O. ;

(b) If so, the details thereof; and

(c) The extent of aid to be received by India under the said scheme ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) to (c) Certain reports have appeared in the press to this effect and some information has been received. Fuller information with details is being obtained so that the schemes for the use of our country could be formulated.

Rajasthan Canal Project

6899. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state ;

(a) Whether Governmet have decided to give a loan of rupees four crores and twenty lakhs for the Rajasthan Canal Project during the current year, while a loan of rupees Six crores was advanced therefor during the last year;

(b) If so, the reasons for reducing the quantum of assistance;

(c) Whether it is likely to affect the progress of the Project; and

(d) Whether the work of the Project is going ahead according to the Schedule and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) Yes.

(b) The main reason is the difficulty of adjusting the provision for this Project under the Rajasthan State Annual plan ceiling.

(c) Yes, to a certain extent.

(d) So far the progress has been generally in accordance with the Schedule.

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र

6900. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में प्रतिदिन कितने तेल का उत्पादन होता है;

(ख) क्या सरकार का विचार तेल का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ग) अंकलेश्वर में कितनी मात्रा में गैस का उत्पादन होता है;

(घ) क्या तेल उत्पादन में वृद्धि के साथ गैस का उत्पादन भी बढेगा और यदि हां, तो कितना; और

(ङ) गैस तथा तेल के उत्पादन का न्यूनतम लक्ष्य कितना है तथा यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ङ) भारतीय रक्षा नियमावली, 1962 के नियम 52 के अन्तर्गत यह प्रतिबन्धित सूचना है, इसलिये बताई नहीं जा सकती। तो भी तेल के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। तेल की बढ़ोतरी के साथ सम्बद्ध गैस के उत्पादन में भी 120 घन मीटर प्रति मीटरी टन तेल के अनुपात में तदनुरूप वृद्धि होगी।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कार्य-भारित कर्मचारी

6901. श्री हरदयाल देव गुप्त : क्या **निर्माण, आवास तथा पुर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग के जिन कार्य प्रभारित कर्मचारियों ने पाकिस्तान से आकर भारत सरकार की नौकरी कर ली थी उनकी पहली सेवा वरिष्ठता तथा वेतन निर्धारण की दृष्टि से गिनी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारियों को उनकी पूर्व-विभाजन अवधि की सेवा के आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया है, उनमें से कितने कर्मचारी अपने वर्तमान पदों पर स्थायी किये गये हैं तथा कितने कर्मचारी अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं और उनका वेतन अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है;

(ग) क्या जिन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों ने पश्चिम पाकिस्तान से आकर भारत सरकार की नौकरी कर ली थी उन्हें निश्चित समय के बाद काम कराये जाने पर समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Absorption of Ex-Servicemen in Civil Service

6902. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) The number of ex-servicemen absorbed in the Civil Service who are given new pay Scales after counting their previous Service and promotion there;

(b) The number of ex-servicemen who are not given these pay scales; and

(c) If so, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Ex-servicemen re-employed in Central Civil Department are not given any "new pay scales", They are given the same scales of pay as are allowed to other fresh recruits in Central Government Service. The pay of ex-servicemen is fixed, in the scales of pay which they are re-employed, in accordance with the general policy instructions governing the cases of different categories.

(b) and (c) Do not arise

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में उतारचढ़ाव

6903. श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांग्रेसी राज्यों तथा गैर-कांग्रेसी राज्यों में अत्यावश्यक वस्तुओं के, जिसमें खाद्य वस्तुएं शामिल हैं, मूल्यों में उतार-चढ़ाव का तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ख) क्या यह सच है कि गैर-कांग्रेसी सरकारों द्वारा जमाखोरी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही मूल्यों को कम करने में प्रभावी सिद्ध हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का अभिप्राय कांग्रेसी सरकारों को जमाखोरी के विरुद्ध कार्यवाही करने की सलाह देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जब जरूरी होता है, तब कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी दोनों प्रकार की सरकारें जमाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं । हाल के महिनों के मूल्यों के राज्यवार आंकड़ों से यह प्रकट नहीं होता कि जिन राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं उनकी स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी है ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

Smuggling on Indo Nepal Border

6904. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tewari :

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that complaints have been received against the Central checkpost situated on the Indo-Nepal border at Raxaul (District Champaran, Bihar) that it plays an effective role in the smuggling of goods; and

(b) If so, the a ction Government propose to take to check it ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Some complaints of smuggling of goods of third country origin through Raxaul and other checkposts on the Indo—Nepal border have been received, The Treaty of Trade and Transit between India and Nepal, 1960, envisages free movement of goods of either country across the border and, therefor, no regular customs cordon has been set up. However, there are 17 checkposts on this border which have been set up mainly to identify and certify goods of Indian origin on which rebate of excise duty is payable to HMG of Nepal or foreigen goods which move under customes bond. It is understood that Nepal has been recently importing consumer goods from other countries some of which have found their way to India across the border. Though every effort is being made to prevent such smuggling, in the absence of a regular Customs cordon, and which the limited staff on the border, occasional smuggling connot be ruled out. As far as the Government are aware, such smuggling has been only on a small scale, mostly by persons living near the border. The Customs officers at Raxaul and other points on the Indo-Nepal border have been alerted and have been asked to intensify vigilance against smuggling.

कोचीन के गैर-सरकारी तेल समवायों द्वारा कर्मचारियों की छंटनी

6905. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 24 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3133 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : कोचीन में गैर-सरकारी तेल

समवायों द्वारा छंटनी किये गये कर्मचारियों में से शेष 319 व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : तेल समवायों ने कोचीन में अपने किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की, क्योंकि फिलहाल 31-12-67 तक संस्थानों और टिन सन्यन्त्रों को चालू रहने के कदम उठाये गये थे।

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

6906. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक सेवा से मुक्त होने के बाद एक असैनिक विभाग में सेवा करने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों, जिनमें अफसर तथा सैनिक दोनों शामिल हैं को प्रतिरक्षा लेखा विभाग से पेंशन मिलती है और साथ ही उसे असैनिक सेवा अवधि के लिये भी पेंशन मिलती है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने सैनिक तथा असैनिक दोनों सेवाओं में काम किया हो केवल असैनिक पेंशन देने का है;

(ग) क्या यह भी सच हैं कि ऐसे अधिकारियों को एक ही मंत्रालय में सैनिक तथा असैनिक पेंशन दोनों ही पेंशन मिलती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सैनिक सेवा से निवृत्त किये जाते समय प्राप्त बोनस, उपदान(ग्रेच्युटी) अथवा पेंशन वापस करने पर, नियमों के अधीन, इन अधिकारियों को उनकी इच्छानुसार असैनिक पेंशन पाने के लिए अपनी सैनिक सेवा को असैनिक सेवा में जोड़ने की अनुमति दी जाती है : जो ऐसी इच्छा व्यक्त नहीं करते वे सैनिक सेवा के लिए सैनिक-पेंशन पाते रहते हैं तथा असैनिक पेंशन के लिए असैनिक सेवा काल अलग से गिना जाता हैं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

चाय पर उत्पादन शुल्क

6907. **श्री ह० प० चटर्जी :**
श्री दत्तात्रेय कुडे :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह चाय पर उत्पादन-शुल्क से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिये आसाम और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने के लिये सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा क्या भिन्न भिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं ;

(ग) क्या चाय को लाने-लेजाने पर आसाम सड़क परिवहन कर पर भी पुनर्विचार किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से घ) यह मामला अभी विचाराधीन है और ऐसी हालत में अभी उसके ब्यौरे देना लोक हित में वांछनीय नहीं होगा ।

श्री हरिदास मून्दड़ा के विरुद्ध मामले

6908. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेंडीज

क्या वित्त मंत्री 1 दिसम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री हरिदास मून्दड़ा से उस 'कारण बताओ' नोटिस का कोई उत्तर मिल गया है जो उसे ब्रिटेन के व्यापार बोर्ड के निरीक्षक के प्रतिवेदन के जिसमें विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के बारे में बताया गया है, आधार पर दिया गया था;

(ख) क्या इस प्रतिवेदन में उल्लिखित कर अपवंचन के मामले की जांच भी इस बीच पूरी कर ली गई है; और

(ग) क्या ज्ञापन के दिये गये उत्तर के आधार पर कोई कानूनी कार्यवाही तथा कर-अपवंचन के मामलों की जांच की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किये गये "कारण बताओ" ज्ञापन का श्री हरिदास मून्दड़ा से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन "कारण बताओ" ज्ञापन में उल्लिखित कतिपय लेन-देनों के बारे में श्री मून्दड़ा ने प्रवर्तन निदेशक के सामने कुछ कागजात पेश किये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) फिलहाल यह सवाल नहीं उठता । लेकिन यह कहा जा सकता है कि श्री मून्दड़ा द्वारा पेश किये गये कागजात के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आगे जांच-पड़ताल की जा रही है ।

फरक्का बांध

6909. श्री मधु लिमये : श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री स० मो० बनर्जी : डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध परियोजना में श्रमिक विवाद की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इससे काम का नुक्सान हुआ है, और

(ग) इस परियोजना का पश्चिम बंगाल में सिंचाई और कलकत्ता बन्दरगाह में रेत जमा हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। परियोजना के एक ठेकेदार को कुछ श्रमिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। फरक्का में पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे बिजली घर में भी कुछ आन्दोलन हुए हैं।

(ख) पिछले चार दिन से परियोजना के कुछ भाग पर काम धीमा पड़ गया है।

(ग) पश्चिमी बंगाल में सिंचाई पर इस परियोजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और उपयोगों के अतिरिक्त इसका मुख्य उद्देश्य कलकत्ता बन्दरगाह पर रेत जमा होने से रोकना है।

सिंचाई योजनाएं

6910. श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री जार्ज फरनेंडीज :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि विदेशी मुद्रा का खर्च बचाने तथा थोड़े समय में ही अधिक भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये वे बड़े पैमाने की सिंचाई योजनाओं की बजाय मध्यम तथा छोटी सिंचाई योजनाओं पर अधिक ध्यान दें; और

(ख) यदि हां तो इसके बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं। यह सुझाव दिया गया है कि लम्बी अवधि की योजनाओं के मुकाबले ऐसी योजनाओं को जिनसे शीघ्र लाभ हो, प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Seizure of Gold at Jabalpur

6911, Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 195 on the 30th March, 1967 and state :

(a) whether the proceedings in the case of seizure of gold at Jabalpur have since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The person from whom the gold was seized is also being prosecuted in a court of law. Departmental adjudication proceedings will be completed after the court case is over.

Contraband Gold Seized at Nizammuddin Railway Station Question

6912. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayar al :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 194 on 30th March, 1967 and state :

(a) whether the investigations regarding the seizure of contraband gold at Nizammuddin Railway Station, New Delhi has since been completed;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of persons against whom action has been taken and the nature of action taken; and

(d) if not, the time likely to be taken further to complete the same ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Investigations have revealed that one of the two persons arrested in this case was engaged in the past also in bringing smuggled gold from Bombay for disposal in Delhi. Departmental proceedings have been initiated against both the persons arrested. After departmental adjudications are over the question of prosecution of the persons concerned in a court of law will be considered.

(d) Does not arise.

Customs Raids in Calcutta

6913. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 28 on the 23rd March, 1967 and state :

(a) whether the investigations regarding cloth and gold seized by the Customs authorities in Calcutta have since been completed:

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken in completing the investigation ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Yes, Sir. The remaining two cases regarding cloth have also been adjudicated and

the goods have been confiscated, with option to pay in lieu of confiscation a fine of Rs. 2,445/-.

In the case of seizure of gold, necessary investigations have been completed and a show cause notice to the party is under issue.

(a) Does not arise.

Diamonds seized in Calcutta

6914. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of Finance be pleased to state ?

(a) the names and other particulars of persons connected with the smuggling of diamonds worth Rs. 1,50,000 seized in Calcutta on the 28th March, 1967; and

(b) the steps being taken by Government to check recurrence of such cases in future ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Diamonds and precious stones valued approximately at Rs. 1.29 lakhs were seized from M/s Rashiklal Ratanlal & Co., Calcutta on the 27th March, 1967 and not on the 28th March, 1967. As the investigations are still in progress, it is not possible to state at this stage who the persons connected with the smuggling are.

(b) The preventive machinery of Customs Department is always on the alert to prevent smuggling. Among the important steps taken to check smuggling are: systematic collection and follow-up of information, rummaging of suspected vessels and aircraft, patrolling of vulnerable sections of the coastline and land frontiers and launching of prosecution in suitable cases in addition to imposition of heavy penalties under the Customs Act and confiscation of contraband in departmental adjudications. In the field of legislation, the Customs Act now provides for imposition of heavier sentences of imprisonment as a result of prosecution where the Market price of the goods seized is more than one lakh of rupees. In the case of seizures of gold, diamonds and watches provisions has also been made in the Customs Act for placing the burden of proof that these goods are not smuggled on the persons from whom they are seized.

Cattle Colony in Delhi

6915. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the period for which the scheme for setting up a cattle colony in Delhi has been pending;

(b) the details thereof and when it will be completed; and

(c) whether Government have appointed a Committee in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) to (c) A statement giving the required information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See. No. LT-1229/67]**

कराची में कोलम्बो योजना के सदस्य देशों का सम्मेलन

6916. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कराची में कोलम्बो योजना के सदस्य देशों के अन्तिम सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सम्मेलन के बाद भारत को कोई नयी सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता मिली है तथा किस देश से मिली है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कोलम्बो आयोजना की सलाहकार समिति ने, जिसकी बैठक 28 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1966 तक कराची में हुई थी, कोलम्बो आयोजना सम्बन्धी क्षेत्र में 1964-65 और 1965-66 में हुए आर्थिक विकास की समीक्षा करने के बाद ये सिफारिशें की थीं :

(1) ताकि विकास शील देश आधुनिक प्रोद्योगिकी-विज्ञान (टेक्नोलाजी) और कौशल के बढ़ते हुए साधनों से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें, इसलिए बड़े पैमाने पर तकनीकी सहायता जारी रखना आवश्यक होगा,

(2) कोलम्बो आयोजना में सम्मिलित देशों को चाहिए कि जिस रूप में अन्तःक्षेत्रीय प्रशिक्षण देने का निश्चय सम्बद्ध देशों द्वारा अपनी खास परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाय उसमें वे अपना सक्रिय सहयोग दें,

(3) कोलम्बो आयोजना के देशों को तीसरे देश के तकनीकी सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए जिसके अन्तर्गत एक विकासशील देश को, जिस के पास अपनी संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने या दूसरे विकासशील देशों को परामर्श देने के लिए अपने विशेषज्ञ भेजने की क्षमता हो, पर जो इन कामों का खर्च उठाने की स्थिति में न हो, उसे दी गयी सुविधाओं के खर्च की पूर्ति के लिए विकसित देशों में से किसी अन्य देश द्वारा सहायता दी जा सकती है ।

(4) सदस्य देशों द्वारा विकास के क्षेत्र में प्राप्त की गई सफलताओं के बारे में और अधिक व्यापक रूप से जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है और कोलम्बो आयोजना दिवस (पहली जुलाई) को अधिक धूमधाम से मनाया जाना चाहिए ।

(ख) और (ग) कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत तकनीकी सहायता का दिया जाना ऐसा काम है जो जारी रहेगा । भारत ने, दिसम्बर, 1966 से मार्च, 1967 तक जो तकनीकी सहायता प्राप्त की हैं, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

देश	प्रशिक्षण प्राप्त करने के स्थान	विशेषज्ञ
आस्ट्रेलिया	33	–
कनाडा	15	2
जापान	21	–
ब्रिटेन	31	5

ऊपर जिस तकनीकी सहायता का जिक्र किया गया है मुद्रा के रूप में उसका मूल्य आंका नहीं जा सकता ।

इसके अलावा, कोलम्बो आयोजना के कुछ देशों ने भारत सहायता संघ आदि जैसी अन्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की है।

योजना आयोग पर खर्च

6917. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मीठा लाल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग पर होने वाले खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस खर्च को घटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री प्रकाश वीर शास्त्री) (क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग में खर्चे की बढ़ोतरी का लोक लेखा समिति द्वारा, अपने 68वें प्रतिवेदन (पैरा 5.54) में समीक्षा की गई।

हाल ही में, वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा, योजना आयोग के प्रशासनिक तथा प्रबन्ध (हाउस कीपिंग) प्रभागों का विस्तृत अध्ययन किया गया और उसकी सिफारिशों के आधार पर, अधिकारी तथा लिपिक वर्ग के 45 पद समाप्त कर दिए गये हैं।

वित्त मंत्रालय से सलाह मशवरा कर, योजना आयोग के बजट का पुनरीक्षण किया गया है और उक्त मंत्रालय द्वारा दर्शाये गये घटे बजट प्रावधान के अनुरूप खर्चा कम किया जा रहा है।

योजना आयोग के कार्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक सुधार आयोग कर्मचारियों की पद्धति, काम के द्विगुणन के क्षेत्र, कर्मचारियों की संख्या और गठन पर विचार कर रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर निर्णय होने के बाद, योजना आयोग के तकनीकी और प्रशासनिक पक्षों के पुनर्निधारण तथा पुनर्गठन पर आगे कार्यवाई की जायेगी।

बैंकों द्वारा खाद्यान्नों पर अग्रिम राशि का दिया जाना

6918. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री रा० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों, भारत के खाद्य निगम, तथा सहकारी रूप से खाद्यान्न तैयार करने वाली और बिक्री करने वाली समितियों के अलावा अन्य

करने वाले खाद्य निगम के एजेन्टों के अतिरिक्त किसी भी अन्य पार्टी को धान और चावल के लिये अग्रिम राशि देने पर नये प्रतिबन्ध लगा दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उत्पादकों के लिए यह कितना सहायक सिद्ध होगा ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) रिजर्व बैंक ने 13 अप्रैल, 1967 के निदेश के अन्तर्गत, धान और चावल रख कर पेशगियां देने की राज्य सरकारों, भारत खाद्य निगम तथा उसके एजेन्टों तथा सहकारी विक्रय तथा/अथवा माल तैयार करने वाली समितियों को ऋण देने के अधिकतम सीमा आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के मामलों में 1964–65 के दौरान इन्हीं दो महीनों की अवधि में वास्तविक औसत कुल अग्रिम धन का 65 प्रतिशत कर दिया गया है । आंध्र प्रदेश के लिये यह सीमा 75 प्रतिशत से घटा कर 55 प्रतिशत कर दी गई है और महाराष्ट्र के मामले में 50 प्रतिशत की पहले वाली सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(ख) साख नियंत्रण का उद्देश्य बैंक से प्राप्त धन की सहायता द्वारा धान और चावल की जमाखोरी को रोकना है । इससे उन उत्पादकों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इन गतिविधियों में लगे हैं ।

Prices of Land in Delhi

6919. **Shri S. C. Samanta :**
Shri A. K. Kisku :
Shri S. N. Maiti :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Virendrakumar Shah ;

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to State :

(a) whether there is any scheme under consideration to bring down the prices of land in Delhi;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the steps taken to implement it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (c) The Government have already taken suitable steps to control and stabilise land prices in the urban areas of Delhi. In order to prevent speculation 56.000 acres of land have been notified for acquisition. Residential plots are allotted to (i) individuals in low income group at predetermined rates by draw of lots: (ii) to individuals, whose land has been acquired at fixed rates, and (iii) to Cooperative House Building Societies at cost of acquisition and development plus certain additional charges.

The Government have under consideration a proposal to allot residential plots to (a) individuals in middle income group at pre-determined rates and (b) to slum dwellers with income upto Rs. 250/- p.m., i, e. persons living in slum areas of Delhi which are declared as clearance areas.

There is already a downward trend in the land prices and it is hoped that the prices will come down further in the near future as a result of the increased pace of auctions and allotments of smaller plots by the Delhi Development Authority.

D. A. to State Government Employees at Central Government Rates

6920. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain State Governments have decide to grant Dearness Allowance to their non-gazetted employees at the Central Government rates; and

(b) if so, the names thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) According to available information, the rates of Dearness in Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Kerala, Madras, Maharashtra, Mysore, Punjab and Rajasthan (except for minor variations in some cases) are the same as the the current rates of Dearness Allowance at the Centre. Madhya Pradesh has decided to allow current Central rates of Dearness Allowance to its Class III & IV employees.

Chit Fund Companies in Delhi

6921. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of complaints received so far against the Chit Fund Companies in Delhi with their names; and

(c) the action taken against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

दामोदर घाटी निगम

6922. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के भावी कार्य-संचालन के बारे में मंत्री स्तर पर कोई सम्मेलन बुलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वह सम्मेलन कहां और कब बुलाया जायेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल और बिहार के सिंचाई मंत्री इस बात के लिये सहमत हो गये हैं कि महानदी के दोनों ओर कारगर बाढ़ नियंत्रण के लिये संयुक्त कार्यवाही की जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मंत्री की पश्चिमी बंगाल और बिहार के

सिंचाई और बिजली मंत्रियों से 21 मई, 1967 को प्रारम्भिक चर्चा हुई। इस प्रश्न पर पश्चिमी बंगाल और बिहार सरकार के प्रतिनिधियों से आगे विचार विमर्श किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) यह सम्मेलन कहां और कब बुलाया जायेगा इस सम्बन्ध में अभी निश्चय किया जाना है।

(ग) और (घ) 30 अप्रैल, 1967 को पश्चिमी बंगाल और बिहार के सिंचाई मंत्रियों में हुई बैठक में इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि पहले सहमत राज्यों के मुख्य इन्जीनियरों के कार्यक्रम के अनुसार, महानदी की बाढ़ को रोकने के लिये बांध और दूसरे निर्माण करने के लिये दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिये। दोनों राज्यों द्वारा इस प्रयोजन के लिये बनाई गई योजनाओं का केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने पहले ही संवीक्षण कर लिया है और आयोग द्वारा दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें इसको नया रूप दे रही है।

National Development Council

6923. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the date on which the last meeting of the National Development Council was convened and the decisions taken at the meeting;

(b) the reasons for not convening any meeting thereafter; and

(c) when the next meeting will be convened and the matters likely to be discussed at the meeting ?

The Minister of Planning Petroleum and Chemical and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a)The last meeting of the National Development Council was held on August 20 & 21, 1966. The Council gave its general approval to the Draft Outline of the Fourth Five Year Plan so that it may form the basis of further detailed work in the States and at the Centre.

(b) The work relating to the review of the Draft Outline in the light of the changes that have taken place since it was published in August 1966 is in progress and the final draft of the Fourth Five Year Plan is not yet ready for placing before the Council. Further, the reorganisation of the Planning Commission is under way.

(c) No date for the next meeting of the Council has so far been fixed and hence no agenda has been drawn up.

हिरण्य केसी नदी पर बांध

6924. **श्री अगाडी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर-महाराष्ट्र सीमा पर अन्तर्राज्यीय हिरण्य-केसी नदी पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ बांध (एनिकट) बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने बांध बनाये गये हैं;

(ग) क्या ऐसी अन्तर्राज्यीय नदियों पर ऐसे बांध बनाने के लिये सम्बन्धित राज्य सरकार की पूर्व अनुमति या स्वीकृति ली जाती है; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कोई आपत्तियां उठाई है ?

सिचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने यह सूचना दी है कि मैसूर महाराष्ट्र सीमा पर अन्तर्राज्यीय हिरण्य-केसी नदी पर, 1956 में हुए राज्यों के पुर्नगठन के पश्चात, उसने वहां कोई नये बांध (एनिकट) नहीं बनाये हैं। पुर्नगठन से पूर्व इस प्रकार के दो बांध बनाये जाने की सूचना मिली है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में हिरण्य-केसी नदी पर कोल्हापुर की तरह के पांच बांधों का निर्माण किया गया है। इसमें से तीन तो राज्यों के पुर्नगठन के पूर्व मे बन रहे हैं। मैसूर सरकार ने इन निर्माणों के सम्बन्ध कुछ आपत्तियां उठाई हैं और मामले की जांच हो रही है।

ताल सिचाई योजना

6925. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पड़े भयंकर सूखे को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार ताल सिचाई योजना को स्वीकार करने तथा उसकी क्रियान्वित के लिये वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना से इस योजना पर कभी कोई विचार नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या बिहार में भयंकर अन्न संकट को दृष्टि में रखते हुए बिहार की भावी सिचाई योजनाओं में इस योजना को सर्वोपरि वरीयता दी जाने की संभावना है ?

सिचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) बिहार में ताल क्षेत्र के विकास के लिये बनाई गई मोकामे योजना जल निकास योजना है और इसका उद्देश्य ताल क्षेत्र के निचले भाग से पानी निकालना है ताकि रबी की फसल बोने के लिये समय पर भूमि दी जा सके। बिहार सरकार ने अनुमानत: 1.87 करोड़ रुपये की एक योजना को अतिरिक्त नई योजना के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया है। स्त्रोतों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने उन्हें यह सलाह दी थी कि इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया जाना चाहिये। तीसरी योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लाभ के लिये लघु सिचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत दो छोटी निकास योजनाओं, जिनकी लागत क्रमश: 7.81 9.12 लाख रुपये है, पर कार्य आरम्भ किया।

मोकामे ताल योजना के प्रथम चरण, जिस पर 26.54 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है और जिसके लिये केन्द्र सरकार ने वित्तीय सहायता दी है, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के के अन्तर्गत, कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। पहले चरण के परिणामों को देखने के पश्चात, और कार्यों पर भी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में कार्य किये जाने का सुझाव है। ताल के जो क्षेत्र ताल भूमि के मुकाबले में ऊंचे हैं, उन क्षेत्रों में नलकूप लगाकर किसी सीमा तक सिचाई की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

Seizure of Gold at Palam Airport

6926. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 687 on the 6th April, 1967 regarding seizure of gold at Palam Airport from a woman and state :

(a) whether investigations in regard to the seven persons arrested at Palam Airport have since been completed;

(b) if not, the further time likely to be taken in this regard; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) In this case besides the lady from whom the gold was seized, another person was arrested at Palam airport. Six other persons were arrested at other places in Delhi and Bombay. Investigations are still in progress.

(b) Efforts are being made to complete the investigations as early as possible.

(c) Does not arise.

M/s Pyarelal and Sons Ltd., Delhi

6927. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total Income-tax deposited with Government by M/s Pyare Lal and Sons Ltd., Delhi during the last five years;

(b) the number of branches of this Company and the names under which they are run;

(c) whether it is a fact that these Companies maintain forged book-accounts and evade income-tax worth thousands of rupees; and

(d) if so, whether Government have conducted any enquiry into the affairs of this Company ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Rs. 1,11,058/-.

(b) The company has no branches, but the following are some of its allied concerns;

(i) M/s Ghaziabad Engineering Co. (P) Ltd.
(ii) M/s Koolaire (P) Ltd.
(iii) M/s Harsha Electric & Appliance Co. (P) Ltd.
(iv) M/s Delhi Universal Plastics (P) Ltd.
(v) M/s Pyarelal Workshop (P) Ltd.

(c) In the case of M/s Pyarelal and Sons Ltd. it has been found that receipts for repair work were being suppressed.

(d) The Income-tax Department has made enquiries from the tax angle in regard to M/s Pyarelal and Sons Ltd.

मृत्यु दर

6928. श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीने की आयु अब भारत में बढ़ कर 50 वर्ष हो गई है जो 1920 में 27 वर्ष थी; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों अवधियों के बीच मृत्यु दर के तुलनात्मक आंकड़े क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जीने की आयु के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1921-30		1961-65×		1968	
पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
26.91	26.56	48.7	47.4	53.2	51.9

× विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रतिपादित ×× अनुमानित

(ख)

जनगणना वर्ष	मृत्यु दर प्रति हजार
(1)	(2)
1921–30	36·3
1931–40	31.2
1941–50	27.4
1951–60	22.8
1961–65	17.2
1966–70	14.0 अनुमानित

पश्चिम बंगाल में आदिवासी लोगों में क्षय रोग और कुष्ठ रोग

6929. श्री अ० कु० किस्कू :
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में आदिवासी लोगों में क्षय रोग और कुष्ठ रोग तेजी से फैल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन रोगों के निवारण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) मूल-जानकारी की अनुपस्थिति में यह कहना संभव नहीं है कि बंगाल के आदिवासियों में क्षय-रोग तथा कुष्ठ रोग व्यापक रूप से फैल रहे हैं ।

(ख) राष्ट्रीय क्षय-रोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कुष्ठ-रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सारे देश में क्रियान्वित किये जा रहे हैं । पश्चिम बंगाल में जनजातीय लोगों को इनके अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधायें दी गई हैं :—

(1) विभिन्न टी० बी० अस्पतालों में जन-जातीय रोगियों के उपचार के लिये 37 पलग अलग रखे गये हैं ।

(2) राज्य के करीब करीब उन सभी जिलों तथा सब-डिवीजनों में, जहां जन-जातीय लोगो की अधिकता है, क्षय रोग पीड़ितों की जांच तथा निःशुल्क चिकित्सा के लिये वक्ष-क्लीनिक एवं गृहोपचर्या एककों की स्थापना की गई है ।

(3) अत्यधिक आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहां यह रोग एक स्थानीय रोग बन गया है 5 कुष्ठ नियन्त्रण एकक तथा 8 कुष्ठ-क्लीनिक स्थापित किये गये हैं ।

(4) पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने वहां के दूसरे स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में भी 18 कुष्ठ नियन्त्रण एककों की स्थापना की है जहां दूसरे रोगियों के साथ साथ आदिवासी कुष्ठ रोगी भी चिकित्सा प्राप्त करते हैं ।

खम्भात में समुद्रतट में तेल की खोज

6930. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री रा० बरूआ :
श्री सुदर्शनम :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 285 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात की खाड़ी में समुद्र तट पर तेल की खोज करने में सहयोग के लिये अमरीकी तेल समवायों से इस बीच बातचीत पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं, बातचीत अभी जारी है ।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

अल्वाय स्थित डी० डी० टी० कारखाना

6931. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री अदिचन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्वाय स्थित डी० डी० टी० फैक्टरी के विस्तार के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च आयेगा और उसमें कितने कर्मचारी नियुक्त होंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० को अल्वाय स्थित डी० डी० टी० कारखाने में प्रति वर्ष 3,000 मीटरी टन बेंजीन-हैक्सा क्लोराइड के निर्माण के एक संयंत्र को लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेन्स मंजूर किया गया है। कार्यकारी पूंजी को शामिल करते हुए इस नई परियोजना पर निवेश लगभग 54 लाख रुपये होगा और संयंत्र को चलाने के लिए लगभग 150 श्रमिकों की आवश्यकता होगी ।

बम्बई में अन्य देशों के निशानों वाला सोना पकड़ा जाना

6932. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जून, 1967 को बम्बई केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के अधिकारियों ने सेन्ट्रल बम्बई में एक होस्टल (लांज) में ठहरे हुए एक व्यक्ति के पास से 110 तोले सोना पकड़ा था, जिस पर अन्य देशों के निशान लगे हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय, बम्बई के अधिकारियों ने 2 जून 1967 को बम्बई में एक लाज में ठहरे हुए एक आदमी के पास से विदेशी मार्का का 110 तोला सोना पकड़ा ।

(ख) उस आदमी को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया । मामले की जांच-पड़ताल चल रही है ।

बिहार राज्य आयोजन तथा विकास बोर्ड

6933. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री आत्म दास :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने आयोजन तथा विकास सम्बन्धी राज्य बोर्ड समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में जिन बोर्डों का गठन किया गया था, बिहार सरकार ने हाल ही में उन सब का पर्यवेक्षण किया और किफायतसारी के उपाय के रूप में उनमें से आयोजन और विकास राज्य बोर्ड सहित, कइयों को भंग कर दिया ।

(ग) इस प्रकार गठित, यह बोर्ड सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा था, अतः बिहार सरकार ने जो कार्रवाई की है, उसके बारे में केन्द्रीय सरकार को कुछ नहीं कहना हैं ।

Charges Against Officers of Government of India Press, Aligarh

6934. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that character rolls of many of the employees of the Government of India Printing Press, Aligarh who made charges of corruption against former officers of the Government of India during the years 1965 and 1966 have been tarnished;

(b) whether it is also a fact that those employees are not being confirmed on that account;

(c) whether Government have issued orders to institute an enquiry against officers against whom charges were made; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) No.

(c) and (d) Investigation into the charges made against the officers has been completed and examination of the reports of investigation is in progress.

Impact of Foreign Aid on National Income

6935. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with the gradual increase in the quantum of foreign aid, the rise in national income is slowing down; and

(b) the amount of total foreign aid received during First, Second and Third Plans respectively and the rate of rise in national income during the Plan periods respectively ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Aid disbursements have increased over time and so has the rate of growth of national income, except for the last two years when on account of the drought, agricultural production was adversely affected.

(b) External assistance utilised was Rs. 202 crores in the First Plan, Rs. 1433 crores in the Second Plan and Rs. 2880 crores in the Third Plan. The percentage increase in the national income at constant prices during the three Plans was 18.4, 21.5 and 13.8.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सिफारिशें

6936. श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा 1964–65 के लिये दी गई रिपोर्ट में प्रतिपादित सिफारिशों को आंशिक रूप से भी क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) कितनी सिफारिशों को अब तक क्रियान्वित किया गया हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदनों में जो सिफारिशें की जाती हैं वे परामर्शात्मक होती हैं और राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र और जिम्मेदारी के अन्तर्गत आ सकती हैं। आयुक्त द्वारा प्रकट किये गये विचारों पर सरकार अच्छी तरह ध्यान देती है तथा पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध के अन्य सलाहकार संगठनों द्वारा प्रकट किये गये विचारों को भी नीति-निर्धारण और कार्यक्रम निश्चित करते समय ध्यान में रखा जाता है। जो सिफारिशें राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखती हैं उन्हें राज्य सरकारों के पास उनके विचार हेतु भेज दिया गया है।

भारत में लू लगने के मामले

6937. श्री रवि राय :
श्री आत्म दास :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष देश में लू लगने से मरने वाले व्यक्तियों की राज्य वार और संघ राज्य-क्षेत्रवार संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : अभी तक प्राप्त सूचना नीचे दी गई है :—

राज्य/संघ क्षेत्र	लू लगने से मौतें
हरियाणा	शून्य
केरल	शून्य
महाराष्ट्र	11

नागालैण्ड	शून्य
उड़ीसा	शून्य
पंजाब	शून्य
पश्चिम बंगाल	1
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
चण्डीगढ़	शून्य
दादर और नगर हवेली	शून्य
दिल्ली	7
गोवा, दमन और दीव	शून्य
हिमाचल प्रदेश	शून्य
नेफा	शून्य
पाण्डिचेरी	शून्य
मणिपुर	शून्य
त्रिपुरा	शून्य

बाकी राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सूत पर उत्पादन शुल्क तथा विक्रय कर लगाना

6938. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री मि० स० मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाली सूत पर उत्पादन शुल्क तथा केन्द्रीय और राज्य दोनों के विक्रय कर लगते हैं जबकि उन मिलों द्वारा, जिनमें सभी प्रकार का कपड़ा बनता है, इस्तेमाल होने वाले सूत पर ऐसे शुल्क नहीं लगते; और

(ख) यदि हां, तो क्या हथकरघों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सूत पर से उत्पादन शुल्क को हटाने का कोई प्रस्ताव है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जहां तक विक्री-कर का सम्बन्ध है, जो मिल कपड़ा बनाने में अपना ही काता हुआ सूत काम में लाते हैं उनके ऐसे सूत पर विक्री-कर नहीं लगता है क्योंकि इसमें बिक्री का कोई सवाल नहीं आता लेकिन, बाहर से खरीदे गये सूत पर, चाहे वह सश्लिष्ट मिल द्वारा खरीदा जाय चाहे किसी हथकरघा बुनकर द्वारा, राज्य का अथवा केन्द्र का विक्री-कर लगता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह खरीद राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान की गई है ।

जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है, वह हथकरघों अथवा संश्लिष्ट मिलों द्वारा इस्तेमाल किए गये तथा बिजली की मदद से बनाने योग्य रेयन तथा संश्लिष्ट सूत पर ऊनी सूत तथा सूती सूत पर उचित शुल्क लगाया जाता है । लेकिन सूती कपड़े का निर्माण

करने वाली संश्लिष्ट मिलों के सम्बन्ध में सम्मिलित शुल्क (कम्पाउन्डेड लेवी) लगाने की योजना है जिसके आधार पर मिलें कपड़े की निकासी के समय सूत पर शुल्क की अदायगी कर सकती हैं। यह शुल्क कपड़े के वर्ग मीटर तथा प्रयोग में लाये गये सूत के काउन्ट पर निर्भर करता है। अतएव यह कहना सही नहीं है कि संश्लिष्ट मिलों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सूत पर शुल्क नहीं लगता है।

(ख) वैसे तो हथकरघों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सूत पर से उत्पादन शुल्क हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु हथकरघों द्वारा ज्यादातर काम में लाये जाने वाले अंटी के आकार के, 29 एन एफ से नीचे के काउन्ट तक के सूती सूत पर शुल्क नहीं लगता और उससे ऊपर के काउन्ट के सम्बन्ध में भी रियायती पर लागू होती है।

विद्युत् चालित करघों के कपड़े पर उत्पादन शुल्क

6939. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि मिलों के विद्युत् चालित करघों के अतिरिक्त अन्य विद्युत् चालित करघों को भी उनके द्वारा तैयार किए गए कपड़े पर उत्पादन-शुल्क लगाने के मामले में एक समान समझा जाये ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जी, नहीं।

तेल का डिपो

6940. **श्री चित्ति बाबू :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 से लेकर अब तक कितने व्यक्तियों को तेल के डिपो आवंटित किये गये हैं; और

(ख) तेल के डिपो किस आधार पर आवंटित किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम ने अब तक 50 किलों लीटर के टैंक की क्षमता के डिपो 50 व्यक्तियों को आवंटित किये हैं। ये सामान्यतः रेल सीमा पर उन व्यापारियों को, जो प्रतिमास न्यूनतम 50 किलोमीटर मिट्टी के तेल की खप्त की गारन्टी दें, आवंटित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 28 ऐसे भी हैं जिनमें 15 किलोलीटर के टैंक की क्षमता के छोटे डिपो रेल सीमा से दूर स्थानों पर उन व्यक्तियों को, जिन्होंने प्रतिमास न्यूनतम 25 किलोलीटर की खप्त की गारन्टी दी है, आवंटित किये गये हैं।

राजस्व विभाग में कर्मचारियों की छंटनी

6941. **श्री चित्ति बाबू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के अधीन राजस्व विभाग में लिपिक संवर्ग के कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(ख) उससे सरकार को कितनी बचत हुई;

(ग) इसी अवधि में उक्त विभाग के क्लर्क कर्मचारियों को कुल कितनी राशि का समयोपरि भत्ता दिया गया;

(घ) क्या छंटनी किये गये कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों में नियुक्त करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है;

(ङ) यदि हां, तो छंटनी किये गये कर्मचारियों में से कितने लोगों को अब तक नियुक्त किया गया है; और

(च) क्या उन व्यक्तियों को, जिन्हें अभी तक सरकारी सेवा में नहीं लगाया गया है, कोई प्रतिकर दिया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (च) मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

Central Government Ayurvedic Dispensaries in Delhi

6942. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be please to state :

(a) whether it is a fact that the condition of Ayurvedic dispensaries managed by the Central Government in Delhi is deteriorating in regard to medicines and accommodation ; and

(b) if so, the amount earmarked for their improvement during the current Plan ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : There had been some shortage of medicines in the Central Government Health Scheme Ayurvedic dispensaries in relation to varying demand. The position has improved now. The present accommodation for the C. G. H. S. Ayurvedic dispensaries is considered adequate for the present.

(b) A sum of Rs. 2 lakhs has been earmarked for the purchase of medicine/stores/ equipment for the Ayurvedic dispensaries under the Scheme during the current financial year 1967-68.

Family Planning Week in Delhi

6943. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Family Planning week is clebrated in Delhi and other places once a year.

(b) if so, the number of loops inserted and operations performed in Delhi and amount paid to the persons who were operated upon during this week this year;

(c) whether the target fixed for the work was achieved ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minster of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes. a National Family Planning fortnight during this year will be celebrated from 16th September, 1967.

(b) to (d) Do not arise, as the National Family Planning fortnight this year has still not been celebrated.

भिखारी

6944. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री प्र० ना० सोलंकी :
श्री बृज राज सिंह कोटा :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० कु० नायर :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि कलकला, बम्बई तथा दिल्ली जैसे कुछ बड़े नगरों में भिखारी गलियों में घूमते रहते हैं और विदेशी आगन्तुकों तथा स्थानीय लोगों को भिक्षा मांग कर तंग करते रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भिखारी सदन स्थापित करने और उन्हें रोजगार दिला कर इस समस्या को दीर्घ-कालीन आधार पर हल करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) राज्यों सरकारों को वित्तीय-सहायता और परामर्श के रूप में भारत सरकार इस काम में सहायता करती है; क्योंकि यह विषय राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है। भिक्षा-वृत्ति रोकने के लिए अधिकांश राज्यों के अपने कानून हैं। भिखारियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए भिखारी सदन, आवारा-सदन प्राप्ति-केन्द्र और कार्य केन्द्रों के रूप में संस्थानीय सेवाएं हैं।

भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए गैर संस्थानीय सेवाओं की एक परियोजना कुछ शहरों में कार्यान्वित की गई हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सेवाओं के प्रसार का सुझाव है। राज्य सरकारों से सलाह करते हुए इस सम्बन्ध में निश्चय परियोजनायें तैय्यार की जा रही हैं।

पोचमपाद परियोजना

6945. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोचमपाद परियोजना के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई है और यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ला० राव) : (क) पक्के बांध, मिट्टी के बने बांध और मुख्य नहर पर खुदाई का कार्य चल रहा है। जून, 1967 तक 72 लाख क्यूबिक फीट पर चुनाई (जो की कुल कार्य का 47.7% भाग है) 2 लाख फुट से अधिक पर बजरी,

746 लाख क्यूबिक फुट पर मिट्टी का बांध (जोकि कुल कार्य का 21.3% भाग है) और मुख्य नहर के 1184 क्यूबिक फुट पर खुदाई का कार्य पूरा हो चुका था। इस पर अनुमान किये गये 6.72 करोड़ खर्च होने की बजाए 40.10 करोड़ रु० खर्च हुए।

(ख) परियोजना को योजना के लिये दिये जाने वाले विभिन्न विकास ऋणों के द्वारा सहायता प्राप्त हुई।

हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड

6946. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री नम्बियार :
श्री नायनार :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री दिल्ली की डी० डी० टी० फैक्टरी के बारे 8 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1823 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस लिमिटेड ने वर्ष 1966-67 में दिल्ली क्लाथ मिल्स को उससे कच्चा माल खरीदने तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए लगभग 26 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भावी दस वर्षों के लिए दिल्ली क्लाथ मिल्स से हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस के वर्तमान कारखाने के लिए कच्चे माल और सेवाओं की सप्लाई के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस द्वारा पक्का वचन दिये जाने पर की गई कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप दिल्ली कारखाने का विस्तार पूरा हो जाने के पश्चात हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस लिमिटेड को दिल्ली क्लाथ मिल्स के माल की बिक्री दुगुनी हो जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस लिमिटेड के प्रबन्धकों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि उसने ऐसे ढंग से काम किया है जिससे कम्पनी को तो हानि होगी और दिल्ली क्लाथ मिल्स को लाभ होगा ?

पेट्रलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) कम्पनी ने यह प्रबन्ध किया है क्योंकि ये उसके हित में है। इस समय सरकार के पास यह धारणा बना लेने का कोई कारण नहीं है कि मामला इसके विपरीत है, किन्तु मामले की और जांच की जायेगी।

तीन बच्चों के बाद अनिवार्य नसबन्दी

6947 **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तीन बच्चों के पश्चात अनिवार्य नस-बन्दी के लिये कानूनी उपबन्ध करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) कब तक इसके लागू हो जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : जी नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को सिफारिश की है कि उन सभी नागरिकों के लिए नसबन्दी अनिवार्य कराने के लिए कानूनी और अन्य कदम उठाए जायें जिनके तीन या अधिक बच्चे हैं। इस सिफारिश की जाँच पड़ताल की जा रही है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

Patients at Willingdon and Safdarjang Hospital, New Delhi

6948. **Shri Molahu Prasad :** **Shri J. H. Patel:**
Shri Maharaj Singh Bharati : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) the total number of patients admitted into the Willingdon and Safdarjang Hospitals during 1965-66 and 1966-67 ;

(b) the number of patients whose surgical operation was made ; and

(c) the number of patients who died as a result of these surgical operations ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) to (c) The requisite information is furnished below seriatim :—

	1965-66		1966-67	
	Willingdon Hospital	Safdarjang Hospital	Willingdon Hospital	Safdarjang Hospital
(a)	11466	48370	13948	50333
(b)	4545	22234	5378	26372
(c)	Nil	250	Nil	293

सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने

6949. **श्री रा० बरुआ :** **श्री देवराव पाटिल :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री मरंडी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के तीन सहकारी उर्वरक विशेषज्ञों ने. इस देश में कुछ उर्वरक कारखानों का निर्माण करने के लिये सरकार और भारतीय सहकारी समितियों के साथ परियोजना सम्बन्धी अध्ययन करने हेतु, जून 1967 में भारत का दौरा किया था ;

(ख) क्या उन अमरीकी विशेषज्ञों ने सरकार को इसके बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Expenditure on Decoration of Minister's Residences Vis-A-Vis Residence of Members of Parliament

6950 **Shri Ram Charan** : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the average annual expenditure per Minister on the decoration, supply of furniture and other maintenance works of the bungalows allotted to the Ministers;

(b) the average annual expenditure per Member of Parliament of furnishing and maintenance of their quarters and bungalows ; and

(c) the action which Government propose to take to remove the disparity between the expenditure on the residences of Members of Parliament and those of the Ministers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) The average annual expenditure on the decoration, supply of furniture and other maintenance works in respect of a Minister's residence and an M.P.'s residence is as below

	Building	Furniture	Electrical	Horticulture
(i) Minister's residence	Rs. 3076/-	Rs. 2382/-	Rs. 7969.38	Rs. 5293/-
(ii) M. P's residence	Rs. 738/-	Rs. 264/-	Rs. 202/-	Rs. 490/-

(c) The expenditure on decoration, supply of furniture, etc., is basically related to the plinth area of the house and the houses of Ministers are generally bigger than that of M. Ps. In the same manner, expenditure on horticulture is related to the size of the compound. Thus, for instance, the expenditure on account of horticulture in the case of M. Ps. residences is Rs. 253.22 for flats on North and South, Avenues, Vinay Marg and Meena Bagh, Rs. 594.10 for flats on Ferozshah Road, Windsor Place, Dr. Rajendra Prasad Road, etc., and as high as Rs. 2,444.00 in the case of bigger bungalows. The cost of maintenance differs from residence to residence on account of size and furniture supplied according to prescribed scales also varies.

Central Power Council

6951. **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a Central Power Council ; and

(b) if so, its composition and functions of the Council ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) There is a proposal to set up a Central Electricity Consultative Council.

(a) The composition of the Central Electricity Consultative Council is being worked out. This Council will be an Advisory Body and will make recommendations on matters relating to generation, supply and distribution of electricity, rural electrification programmes and other policy matters referred to it for consideration.

Provision For Medical Facilities and Population Control in the Fourth Plan

6952. **Shri Onkar Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have provided a large amount in the Fourth Plan for checking the increasing population ;

(b) if so, the amount provided therefor ; and

(c) the number of loops and other devices proposed to be made use of during the plan period ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes.

(b) Rs. 229.31 crores.

(c) During the years 1967-68 to 1970-71, the targets are as follows :-

(i) IUCD insertions to 22 persons for every 1000 population.

(ii) Sterilisation operations on 18 persons per 1000 population.

(iii) Additional users of conventional and other contraceptives-23 per 1000 population.

'शान्ति के लिये जल' सम्मेलन

6953. **श्री उमानाथ :** **श्री नायनार :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री अनिरुद्धन :**
श्री नम्बियार : **श्री गणेश घोष :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन में हाल ही में हुए "शान्ति के लिए जल" सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था ;

(ख) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) इस सम्मेलन के संयोजक संगठन का नाम क्या है और सम्मेलन पर खर्च होने वाला धन कैसे जुटाया गया ; और

(घ) इस सम्मेलन में क्या क्या निर्णय किये गये ?

सिंचाई और बिजली मन्त्री (डा० कु० ल० राव) । (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण, जिसमें भाग लेने वाले देशों के नाम दिये गये हैं, सभा पटल पर रख दिया गया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया है । देखिये संख्या एल० टी० 1230/67**]

(ग) इस सम्मेलन का संयोजन अमरीका सरकार ने किया था। भारतीय प्रतिमंडल पर हुआ खर्चा भारत सरकार ने सहन किया।

(घ) इस सम्मेलन का उद्देश्य मंत्री और विशेषज्ञ स्तर पर विचारों का आदान प्रदान करना विश्व की जल सम्बन्धी समस्याओं अन्तरराष्ट्रीय का पता लगाना तथा स्थानीय राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से चलाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सम्भावनाओं की खोज करना था। उससे कोई निर्णय नहीं लिये गये। सम्मेलन इस सुझाव के साथ समाप्त हो गया कि वैज्ञानिक आधार पर तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान किया जाना चाहिये और जल का पता लगाने और उसका प्रयोग करने के लिये आधुनिक टैक्नोलौजी का प्रयोग किया जाना चाहिये ताकि आने वाली पीढ़ी का जीवन और अच्छा और सुखदायी हो।

विकासशील देशों के व्यापार में घाटा

6954. **श्री उमानाथ :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री गणेश घोष :
श्री अनिरुद्धन :
श्री नम्बियार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलंबो योजना परामर्शदायी समिति द्वारा तैयार किये गये चौदहवे वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कोलम्बो योजना क्षेत्र के सदस्य विकासशील देशों में व्यापार में उत्तरोत्तर घाटा होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह घाटा कितना है ; और

(ग) वर्ष 1963 और 1965 में व्यापार में हुए घाटे में से भारत में कितना घाटा हुआ था ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) कोलम्बो आयोजना क्षेत्र के देशों के प्रत्यक्ष व्यापार में होने वाला घाटा, जो 1963 में 19,680 लाख डालर था, 1965 में बढ़ कर 22,810 लाख डालर हो गया।

(ग) व्यापार में हुए कुल घाटे में भारत का हिस्सा 1963 में 8 540 लाख डालर और 1965 में 12,350 लाख डालर था।

Family Planning in Madhya Pradesh

6955. **Shri G. C. Dixit :**
Shri J. Sundar Lal :

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) the number of vasectomy operations performed in Madhya Pradesh during the period from January, 1966 to April, 1967 ;

(b) the number of loops inserted during ths above period ;

(c) the amount spent under this programme so far and the amount likely to be spent in future ; and

(d) whether the progress of family planning is slow in the state due to shortage of doctors there ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) (a)and(b) 85,907 vasectomy operations were performed and 49,644 IUCD were inserted in Madhya Pradesh during the period from January, 1966 to March, 1967. Figures for April, 1967 have not yet been furnished by the State Government.

(c) The amount spent during the 3rd Plan under this programme was Rs. 91.10 lakhs. The Central assistance sanctioned for the year 1966-67 was Rs. 71 lakhs, and the amount so far allocated for the year 1967-68 is Rs. 150.67 lakhs.

(d) Yes, to some extent.

Purchasing of Shares By Cooperative Banks in Madhya Pradesh

6956. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India has issued directives to the Cooperative Banks of Madhya Pradesh that they cannot purchase shares of any Cooperative Society worth more than five thousand rupees ;

(b) if so, whether such directives have been issued to each State ;

(c) whether it is also a fact that although the Cooperative Banks of Madhya Pradesh have not purchased the shares of the Cooperative Societies, yet they have contributed Rupees one lakh and twenty eight thousand to a birth-day celebrations fund; and

(d) whether any action is bening taken against these banks ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) The Reserve Bank has in pursuance of Section 19 of the Banking Regulation Act, 1949 (As applicable to Co-operative Societies), issued a direction on 1.3.1966 to Cooperative banks in all the States which requires :-

(i) that the total investments of a cooperative bank in the shares of cooperative institutions should not exceed 2% of its owned funds; and

(ii) that the total investment in the sheres of any cooperative institution by the cooperative banks should not exceed 5% of subscribed capital of that institution.

The investment are, however, not restricted to any specified sum. Furthermore these restrictions are not applicable in cases covered by the first proviso to Section 19 ibid, namely—

(i) shares acquired through funds provided by the State Government for that purpose ;

(ii) in the case of a central cooperative bank, the holding of shares in the State co-operative bank to which it is affiliated ;

(iii) in the case of a primary co-operative bank, the holding of shares in the central co-operative bank to which it is affiliated or in the State co-operative bank of the State in which it is registered.

(c) Government of India have no information in the matter.

(d) Does not arise.

Central Assistance at Madhya Pradesh

6957. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Planning be pleased to state ;

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Centre to grant additional amount to the State for the year 1967-68 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Planning, Petroleum Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) Central assistance amounting to Rs. 49.5 cro es has been intimated to the State Government for the Annual Plan 1967-68. No request has been received so far from the State Government seeking enhancement of the Plan assistance for 1967-68.

(b) and (c) Do not arise.

अफीम का तस्कर व्यापार

6958. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्कर व्यापारियों के संगठित गिरोहों द्वारा करोड़ों रुपये के मुल्य की अफीम चोरी छिपे देश से बाहर भेजी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो तस्कर व्यापार करने वाले लोगों, उनके ठिकानों का पता लगाने और इस अवैध व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) इस देश से अफीम का चोरी छिपे रूप में बाहर ले जाया जाना नगण्य हैं। पिछले तीन वर्षों में तथा 1967 में अब तक निर्यात का प्रयत्न किये जाते समय पकड़ी गई अफीम की मात्रा नीचे लिखे अनुसार है :–

वर्ष	पकड़ी गई मात्रा (कि० ग्रा०)
1964	23
1965	96
1966	36
1967	1

अफीम के अवैध व्यापार के दमन से सम्बन्धित सभी प्रवर्तन विभाग, जैसे सीमा शुल्क विभाग, उत्पादन शुल्क विभाग, पुलिस तथा नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारी, निर्यात-स्थलों पर तथा देश के भीतरी भागों में, दोनों ही जगह सतर्क रहते हैं और अफीम के चोरी छिपे रूप में लाने ले जाने को रोकने के लिए उचित कार्यवाही करते हैं।

ब्रिटिश गैर-सरकारी पूंजी

6959. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कुल कितनी ब्रिटिश गैर सरकारी पूंजी लगी हुई है ; और

(ख) उद्योगवार इसके आंकड़े क्या हैं और वर्ष 1947 में उद्योगवार, कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) भारत में लगी विदेशी पूंजी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये सबसे पहले और बिलकुल हाल के सर्वेक्षण क्रमशः जून, 1948 और मार्च, 1965 के अन्त की स्थिति के सम्बन्ध में हैं। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1231/67**] जिसमें ब्रिटेन की उस गैर सरकारी पूंजी के आंकड़े, जो इन तारीखों को बकाया थी, उद्योगों की स्थूल श्रेणियों के अनुसार दिए गए हैं। 1965-66 और 1966-67 में मंजूर किए गये ब्रिटेन के निवेशों के उद्योगवार आंकड़े भी इस विवरण में शामिल किये गये हैं।

Removal of Jhuggis From Jamuna Bazar Delhi

6960. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ramavatar Sharma -
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5580 on the 13th July, 1967 and state the position in regard to the removal of Jhuggis from Jamuna Bazar, Delhi and the rehabilitation of the people living there particularly in regard to the selling of land at cheaper rates and provisions of financial assistance by the administration to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): The families who are still squatting on Government and public lands in Jamuna Bazar area will be dealt with in accordance with the provisions of Jhuggis and Jhopris Removal Scheme as and when this area is taken up for clearance. Under the Scheme, those persons who squatted on Governmet and public lands prior to the 31st July 1960 are eligible for alternative accommodation on rental basis. The Scheme does not provide for sale of plots nor does it envisage grant of financial assistance to squatter families.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के पद को स्वतन्त्र हैसियत

6961. **श्री अ० कु० किस्कु :**
श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने 1951 सम्बन्धी अपनी सर्व प्रथम रिपोर्ट में यह प्रश्न उठाया था कि किसी अन्य संविहित पद के समान ही उनकी अपनी स्वतन्त्र हैसियत होनी चाहिये और उन्होंने यह मांग भी की थी कि उनके अधीन काम करने वाला एक "स्वतन्त्र और निष्पक्ष अभिकरण" होना चाहिये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अगले वर्ष उन्होंने यह कहा था कि ऐसा निर्णय किया जा चुका है कि उनके पद की हैसियत किसी अन्य संविहित पद की हैसियत के समान है ;

(ग) क्या उनकी बाद की वार्षिक रिपोर्टों में भी यही स्थिति बताई जाती रही थी, परन्तु केवल 1956-57 तक ही ;

(घ) क्या 1957-58 से आयुक्त पद की हैसियत के सम्बन्ध में सरकार के पहले निर्णय को बदल दिया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं ।

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) हां ।

(घ) नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कम्पनियों में प्रतिनियुक्त भारतीय लेखा पालन तथा लेखा-परीक्षा सेवा के अधिकारी

6962. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय लेखा पालन तथा परीक्षा विभाग से भारतीय लेखापालन तथा लेखा परीक्षा अधिकारियों को प्रति नियुक्ति पर सरकारी कम्पनियों में भेजे जाने के औचित्य के प्रश्न की ओर दिलाया गया है, जो सम्बन्धित कम्पनियों में वित्त और हिसाब किताब के प्रभारी बनते हैं और ऐसी भी संभावनाएं रहती हैं कि वही अधिकारी उन्हीं कम्पनियों की लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ लेखा-परीक्षा कार्यालय में नियुक्त किये जायें ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है ; और ऐसे मामलों में लेखा परीक्षा में निष्पक्षता कहां तक कायम रह सकती है ; और

(ग) भारतीय लेखा पालन तथा लेखा परीक्षा सेवा के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो वर्ष 1964, 1965 और 1966 में प्रतिनियुक्तियों पर सरकारी कंपनियों में भेजे गये थे?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) प्रश्न में औचित्य सम्बन्धी मूल बात, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की जानकारी में ला दी गई है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारियों की अपने विभाग में वापसी के तुरन्त बाद नियुक्ति करते समय, इस बात का ध्यान रखेगा कि कम्पनी अथवा अधिकारी संकोच भरी स्थिति में न पड़ जावें ।

(ग) मांगी गई सूचना इकट्ठी की जायगी और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

भारत अमरीकी कोआपरेटिव लीग के साथ सहयोग

6963. श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री नायनार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी कोआपरेटिव लीग ने उर्वरक तथा कृषि-उत्पादन परिष्करण उद्योग स्थापित करने में भारतीय सहकारी संस्था के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो अमरीकी प्रस्ताव की मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी विकास संघ अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से सहकारी क्षेत्र में रासायनिक खाद का एक कारखाना खोलने का प्रस्ताव है। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी विकास संघ का एक तकनीकी दल सहकारी क्षेत्र में एक संयंत्र या कई संयंत्रों की स्थापना करने के सम्बन्ध में आर्थिक और तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जून 1967 में भारत आया था। कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की सहकारी संस्थाओं के साथ करार की शर्तों के बारे में बातचीत यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद शुरू की जायगी।

कृषि-वस्तुओं का परिष्करण (प्रोसेसिंग) करने के उद्योग स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सहकारी संघ ने सहयोग का कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

उड़ीसा के लिए बाढ़ नियन्त्रण योजनायें

6964. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 के लिए उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी तथा पानी के जमाव को रोकने सम्बन्धी उपायों के लिए कोई राशि नियत की गई है;

(ख) उड़ीसा को किन-किन मुख्य नदियों से अभी भी बाढ़ का खतरा बना रहता है।

(ग) क्या उड़ीसा की सभी मुख्य नदियों में बाढ़ पर पूर्ण नियंत्रण के लिए कोई दीर्घकालीन योजनाएं तैयार तथा स्वीकार की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 1967-68 के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं के लिये परिव्यय और केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता अभी निर्धारित नहीं की गई है। कार्यकारी दल ने बाढ़ नियंत्रण, जल निकास और जल विभाजन विरोधी परिव्यय के लिये 100 लाख रुपये की सिफारिश की है।

(ख) मुख्य नदियां, जिन पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है उनके नाम है—महानदी, ब्रह्माणि बेतरणी और सुबरना रेखा।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने अभी कोई दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत नहीं की है। राज्य सरकार ने महानदी, ब्रह्माणि और बेतरणि नदियों पर बहुपरियोजनीय बांध निर्माण

की व्यवस्था की है ताकि बाढ़ पर्याप्त जल एकत्रित किया जा सके और डेलटा क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सके। इन सब बांधों के निर्माण के पश्चात राज्य सरकार विभिन्न चैनलो का प्रशिक्षण देने का और जहां भी संभव हो इनकी संख्या कम करने का विचार रखती है।

मद्रास के निकट सर्जिकल इंस्ट्रमेंट प्लांट

6965. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के निकट स्थित सर्जिकल इंस्टरूमेंट प्लांट में अच्छी तरह काम काज न चलने के क्या क्या कारण हैं;

(ख) उस पर कुल कितनी लागत लगी है;

(ग) जब से वह कारखाना बना है तब से लेकर अब तक उसके माल की कुल कितनी बिक्री हुई है;

(घ) इस कारखाने का काम सुचारु रूप से हो इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) बिन बिके उपकरण जमा न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) फैक्टरी योजना में निर्धारित उत्पाद मिश्रण और भिन्न मदों के बनने का मान देश के औजार की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रतीत नहीं होता।

(ख) संयंत्र की कुल पूंजी लागत 476,69 लाख रुपये है।

(ग) 30 जून, 1967 तक, बिक्री का कुल मूल्य 3.2 लाख रुपये है।

(घ) और (ङ) उत्पाद मिश्रण और तैयार किये जाने वाले विभिन्न औजार दोनों बदले जा रहे हैं और नये किस्म के औजार निर्माण के लिए लिए जा रहे है। विक्रय को उन्नत करने के लिए संगठित आधार पर प्रबल प्रयत्न किये गये हैं; ओर निर्यात के गुंजाइस की जांच की जा रही है।

सेवा-निवृत्त अधिकारियों की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्ति

6966. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा-निवृत्त अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : प्रबन्धक कार्य के लिए योग्य व्यक्तियों की सामान्यरूप से कमी है, इसलिए व्यावहारिक तरीका यही

होगा कि सभी सम्भव जरियों से सर्वोपयुक्त व्यक्तियों की तलाश की जाय। सरकारी उद्योगों में प्रबन्ध के जिन सर्वोच्च पदों पर सरकार द्वारा अथवा सरकार के अनुमोदन से नियुक्तियां की जाती है उनके सम्बन्ध में सेवा-निवृत्ति-काल तथा सेवाकाल में वृद्धि के वही सिद्धान्त लागू होते हैं जो सरकारी नौकरी में नियुक्त व्यक्तियों पर होते हैं। जिन अन्य पदों पर नियुक्तियां स्वयं सरकारी उद्योगों द्वारा की जाती हैं उन पदों के बारे में इन सिद्धान्तों को लागू करने की बात उनके ध्यान में लाई जा रही है।

सरकार द्वारा अपनाये गए सिद्धान्त ये हैं कि जिन पदों के लिए वैज्ञानिक अथवा तकनीकी योग्यता अपेक्षित न हो, उन पर 60 वर्ष की आयु के बाद कोई सेवावृद्धि नहीं होनी चाहिए। किन्तु यदि इन पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति न मिलें, तो 62 वर्ष की आयु तक सेवा-वृद्धि की जा सकती है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को इन सीमाओं से आगे सेवावृद्धि मंजूर करने के मामलों में भी, सेवावृद्धि स्वतः ही नहीं हो जानी चाहिये बल्कि इन पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में ले लिया जाना चाहिए।

जीवन बीमा निगम की पालिसी के फार्मों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया जाना

6967. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम को इस आशय की हिदायतें देने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है कि वह निगम अपने पालिसी फार्मों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले से कब तक निर्णय कर लिये जाने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : बीमा पालिसी फार्म में निगम तथा पालिसीधारकों के बीच के करार का समावेश होता हैं और इसलिए यह एक कानूनी दस्तावेज है। इस दृष्टि से तथा इस बात को भी देखते हुए कि इसमें बहुत से तकनीकी शब्द होते हैं, निगम ने यह निर्णय किया है कि बीमा-पालिसी फार्म तो अंग्रेजी में ही रहेगा, लेकिन जिन मामलों में बीमा-पालिसी के लिए प्रस्ताव-पत्र अंग्रेजी के अलावा किसी दूसरी भाषा में भरा जायगा उनमें पालिसी के साथ उसका उसी भाषा में स्वतंत्र अनुवाद नत्थी कर दिया जायगा जिस भाषा में प्रस्ताव-पत्र भरा गया होगा। आशा है यह कार्यप्रणाली शीघ्र लागू कर दी जायगी।

विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता

6968. **श्री नम्बियार** :
श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रमानी :
श्री मोहम्मद इस्माइल :
श्री चक्रपाणि :
श्री गणेश घोष :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बढ़े हुए निर्वाह व्यय को पूरा करने हेतु उनके लिये 1957 में विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता मंजूर किया गया था;

(ख) क्या आसाम के वर्गीकृत कस्बों तथा नगरों में जहां मकान किराया भत्ता तथा प्रतिकरात्मक भत्ता दिये जाते हैं, कर्मचारियों को या तो आसाम विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता दिया जाता है अथवा मकान किराया भत्ता और प्रतिकरात्मक भत्ता;

(ग) यदि हां, तो उन वर्गीकृत कस्बों तथा नगरों में मकान किराया भत्ता तथा प्रतिकरात्मक भत्ते को साथ साथ आसाम विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आसाम में मूल्य स्तर वर्ष 1957 की तुलना में बढ़ गया है;

(ङ) क्या कर्मचारियों ने आसाम विशेष प्रतिकरात्मक भत्ते में वृद्धि की जाने की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । असम के मैदानी जिलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 मार्च 1957 से एक विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता मंजूर किया गया था ।

(ख) जी, नहीं । असम के मैदानी जिलों में केवल गौहाटी तथा डिब्रूगढ़ 'सी" श्रेणी के नगरों में आने की योग्यता रखते हैं । उन नगरों में कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता, दोनों ही भत्ते दिये जाते हैं ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) : जी, हां ।

(च) सरकार ने भत्ते में वद्धि नहीं करने का फैसला किया है । जीवन निर्वाह के खर्चे में होने वाली वृद्धियों की प्रतिपूर्ति समय-समय पर मंहगाई भत्ता बढ़ा कर अलग से की जाती है ।

कोयम्बटूर नगर का दर्जा बढ़ाना

6969. **श्री रमानी :**
श्री चक्रपाणि :
श्री उमानाथ :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कायम्बटूर नगर का दर्जा बढ़ाकर उसे "बी" दर्जे का नगर बनाने के बारे में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठनों की ओर से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और सरकारी निर्णय कब घोषित कर दिया जायेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। नगर निवास पूर्ति भत्ता तथा मकान किराया भत्ते के प्रयोजन के लिए कोयम्बतूर नगर का दर्जा बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) 1961 की जनगणना के अनुसार यदि किसी नगर की जनसंख्या 4 लाख से अधिक होती है तो उसका दर्जा बढ़ाकर 'बी–2' कर दिया जाता है। चूंकि 1961 की जनगणना के अनुसार कोयम्बतूर की जनसंख्या केवल 2,86,305 थी इसलिए उसकी 'बी–2' श्रेणी का नगर बनने की योग्यता नहीं है।

केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, खड़कवासला (पूना) द्वारा अर्जित भूमि

6970. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, खड़कवासला (पूना) द्वारा अपने लिये अर्जित की गई भूमि का कुछ भाग कुछ श्रमिकों को खेती के लिए पट्टे पर दे दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए सार्वजनिक रूप से कोई नीलामी की गई थी; और

(ग) कितनी भूमि पट्टे पर दी गई है और कितने व्यक्तियों को ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) 1955 में, एक अधिसूचना द्वारा अधिक अन्न उपजाने के उद्देश्य से, 20 एकड़ भूमि पर, जो प्रयोग में नहीं आती थी, उस पर कृषि करने के लिए सार्वजनिक नीलाम किया गया था। क्योंकि जनता से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ, चार व्यक्तियों को (जो अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारी नहीं थे) किराये पर, खेती करने के लिये रजामन्द किया गया। अन्य 120 एकड़ भूमि भी जो कर्मचारियों की बस्ती के लिये अर्जित की गई थी, खाली पड़ी थी क्योंकि धन की कमी के कारण अभी तक भवन नहीं बनाये जा सके हैं। 50% भूमि खेती योग्य नहीं है। अधिक अन्न उत्पादन करने के उद्देश्य से भूमि के मूल स्वामियों को उस क्षेत्र में खेती करने के लिए रजामन्द किया गया। ये प्रबन्ध पूर्णतया अस्थायी हैं।

दिल्ली के लिये झुग्गी झोंपड़ी योजना

6971. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री मरंडी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि झुग्गी-झोंपड़ी योजना को क्रियान्विति का कार्य उसे सौंप दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : जी हां । प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

लक्कद्वीव द्वीपसमूह में कोढ़ियों की चिकित्सा

6972. **श्री श्रीधरन :**
श्री अदिचन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीव द्वीपसमूह के संघ राज्यक्षेत्र में कोढ़ियों की बस्तियों में अब कितने कोढ़ियों की चिकित्सा हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्यक्षेत्र में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिये जो कार्यवाही की गई है वह अपर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) लक्षदीवि संघ क्षेत्र की तीन बस्तियों में लगभग 600 कुष्ठ रोगियों का इलाज किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) एक सर्वेक्षण दल इस द्वीप में गया था किन्तु मानसून शुरू हो जाने के कारण यह काम पूरा नहीं कर सका । शीघ्र ही एक और दल इन द्वीपों में जायेगा और कुष्ठ के उन्मूलन के लिये क्या क्या ठोस उपाय बरते जायें इस पर स्थानीय अधिकारियों से विचार-विमर्श करेगा ।

गांवों में प्रदर्शनीय मकान बनाने की योजना

6973. **श्री श्रीधरन :**
श्री अदिचन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गांवों में प्रदर्शनीय मकान बनाने की योजना को चलाने हेतु फोर्ड फाउंडेशन द्वारा दिये गये अनुदानों की केवल 40 प्रतिशत राशि का ही इस्तेमाल किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) निकाले गये 3,77,700 रुपयों में से 2,61,784 रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है ।

(ख) निधियों का पूरा उपयोग निम्नांकित कारणों से नहीं किया जा सका :—

(i) इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोगात्मक मकानों के निर्माण के लिए यह कल्पना की गई थी कि अनुसंधानात्मक प्रदर्शनेय मकानों को बनाने के लिए राज्य सरकारों अथवा पंचायतों के द्वारा भूमि निःशुल्क मिल जायेगी। किन्तु व्यवहार में भूमि बड़ी कठिनाई तथा देरी से प्राप्त हुई।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उपयुक्त तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे, तथा दूरस्थित असुविधाजनक ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मकानों के निर्माण का पर्यवेक्षण करने तथा उपक्रम को उचित रूप से संगठित करने में भी पर्याप्त समय लगा।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए गृह-निर्माण योजना

6974. **श्री श्रीधरन :**
श्री अदिचन :

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए गृह-निर्माण योजना के हेतु रखा गया धन पूरा खर्च नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फुलरेणु गुह) : (क) और (ख) : तृतीय पंच वर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित आदिम जातियों के गृह-निर्माण हेतु जो राशियां दी गई उनका पूरा उपयोग किया गया। अनुसूचित जातियों के गृह-निर्माण के मामले में उपयोग की प्रतिशतता 66 है। कम उपयोग के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) आपात स्थिति।

(2) अधिक आवश्यक क्षेत्रों की ओर राशियों का मोड़ दिया जाना।

(3) राज्य सरकारों की वित्तीय-स्थिति सम्बन्धी कमी।

राज्यों में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के कामों के लिये सहायता

6975. **श्री श्रीधरन :**
श्री अदिचन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने चालू वर्ष में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के काम आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितना-कितना धन मांगा है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने की अनुमोदित योजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस प्रकार की योजनाओं के लिये चालू वर्ष में केरल सरकार ने 100 लाख रु० के व्यय का सुझाव दिया था और उसके अनुसार उपबन्ध किया गया है। पाण्डीचेरी सरकार ने अपने बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 4 लाख रु० के व्यय का सुझाव दिया था जिसमें समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने की योजनाएं भी शामिल हैं और इसके लिए 3.50 लाख रु० का उपबन्ध किया गया है।

फरक्का बांध के लिये लोहे के सरिये (शीट पाइल्ज)

6976. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध के लिए लोहे के सरियों का आयात करने की बजाये उन्हें इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा बनाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उस कम्पनी द्वारा माल दिए जाने के बारे में कोई निश्चित कार्यक्रम बनाया गया है ताकि बांध के निर्माण कार्य में विलम्ब न हो; और

(ग) क्या इस बांध के निर्माण कार्य को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने की अत्यन्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लोहे के सरिये अन्य स्त्रोतों से प्राप्त करने के बारे में पूरा पता लगा लिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स इण्डियन आयर्न एण्ड स्टील कम्पनी को कुल 5253 टन लोहे के सरिये के लिए क्रयादेश दिया गया है और इसमें से 1000 टन अक्तूबर, 1967 मिल जायेंगे और 4253 टन अक्तूबर, 1968 तक।

(ग) चूंकि मजबूत लोहे के सरिये अब देश में ही उपलब्ध हैं, इसलिए अन्य स्थानों से उनकी उपलब्ध की जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Western Kosi Canal

6977. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the survey in respect of the Western Kosi Canal, which was being conducted in Nepal, has been completed and the former alignment of that canal will be kept in the Indian territory and fresh survey will not be required; and

(b) if so, whether Government propose to give full amount of about 20 crores of rupees as loan to the Government of Bihar with a view to completing that canal during the Fourth Five Year Plan period ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Detailed field surveys and investigations in Nepal territory through which the first few miles of the Canal will pass, have been completed. The State Goverament have reported that on the basis of these

investigations the alignment of the Canal in Nepal portion has been changed at many places and consequently fresh survey is also required to be conducted in Indian territory.

(b) It has already been argeed that cent prercent Central assistance by way of loans will be afforded to the State Government for this project within the State Plan ceiling. The Fourth Plan proposals of the State Government have not yet been finalised.

ढावदा के निकट कोसी नदी पर बांध

6978. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सलाहकार श्री कंवर सेन की अध्यक्षता में नियुक्त कोसी तकनीकी समिति ने दोनों बांधों के बचाव के लिए भारतीय क्षेत्र में ढावदा के निकट कोसी नदी में एक अन्य बाँध के निर्माण का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हाँ। कोसी नदी पर उगमारा या उसके पास बांध बनाने की सिफारिश की गई थी न कि धावडा के निकट।

(ख) पूना अनुसन्धान केन्द्र में किए गए नमूने के सर्वेक्षणों से पता चला है कि उगमारा पर दूसरा बांध बनाने से नदी के मार्ग परिवर्तन का भय है और इससे मूल्यवान क्षेत्रों को हानि पहुँचेगी। अत: सिफारिश स्वीकार्य नहीं है।

शरावती घाटी परियोजना

6979. **श्री अगाड़ी :**
श्री से० ब० पाटिल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शरावती घाटी परियोजना (तीसरे प्रक्रम) के 9वें तथा 10वें एककों के लिए आस्थगित भुगतान के आधार पर अपेक्षित मशीनरी खरीदने के लिए मैसूर सरकार ने अपेक्षित विदेशी मुद्रा मंजूर की जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अपेक्षित मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) शरावती पन बिजली परियोजना के लिए 9वें और 10वें जनित्र संयन्त्रों के आयात के लिए प्रस्ताव मैसूर सरकार से प्राप्त हुआ था। फिर भी, चूंकि ये संयन्त्र देश में उपलब्ध हैं इसलिये इन्हें देश में ही खरीदने का निर्णय किया गया है।

राज्यों के घाटे के बजट

6980. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री कृ० मा० कौशिक
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने घाटे के बजट बनाये हैं और घाटों को अंशतः अपूर्ण छोड़ दिया है तथा केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उसने इन राज्यों को क्या सलाह दी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कई राज्यों ने घाटे का बजट पेश किया है। उनमें से कुछ ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी है।

(ख) चूंकि राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए उपलब्ध रकम, विभिन्न राज्यों में बांटी जा चुकी है, इसलिए किसी राज्य को आगे केन्द्रीय सहायता दी जाने की कोई सम्भावना नहीं है। राज्य सरकारों को यह सलाह दी जा रही है कि जिस घाटे के सम्बन्ध में उन्होंने बजट व्यवस्था नहीं की है, उसे दूर करने के उचित उपाय करें।

लेडी हार्डिंग अस्पताल (नई दिल्ली) के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

6981. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर 1958 से विलिंगडन तथा सफदरजंग अस्पताल (नई दिल्ली) की विवाहित नर्सिंग सिस्टरों को मकान किराया भत्ता दिया जाता और

(ख) यदि हां, तो लेडी हार्डिंग अस्पताल तथा कालेज (नई दिल्ली) के नर्सिंग स्टाफ को दिसम्बर, 1958 से मकान किराया भत्ता न देकर फरवरी 1966 से ही दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों में काम करने वाली विवाहिता नर्सों को नवम्बर 1958 से मकान किराया भत्ता दिया जाने लगा है।

(ख) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज और अस्पताल, नई दिल्ली में काम करने वाली विवाहिता नर्सों को जिन्हें छात्रावास में निःशुल्क स्थान नहीं दिया गया है, 9 फरवरी 1966 से इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिये जाने के बाद मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। सामान्यतया आदेश जारी होने की तिथि से ही लागू होते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज और अस्पताल कोई सरकारी संस्था नहीं है अतः सरकारी अस्पतालों सम्बन्धी आदेश उस पर स्वतः लागू नहीं हो जाते।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में तकनीकी सहायक

6982. **श्री रामचरण :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1967 में 30 जून, 1967 तक की अवधि में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वरिष्ठ तकनीकी सहायकों तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के कितने पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए विज्ञापन दिया गया था;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे;

(ग) कितने पदों पर वास्तव में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रत्याशी नियुक्त किये गये; और

(घ) कितने पदों पर अनुसूचित जातियों । अनुसूचित आदिम जातियों से भिन्न जातियों के प्रत्याशी नियुक्त किये गये ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) यान्त्रिक, रसायन, पेट्रोलियम तकनीक वास्तुकला, नगर आयोजन भूगर्भीय शाखायें, भूभौतिकी वर्कशाप में वरिष्ट तकनीकी सहायकों के 9 पद तथा कनिष्ट तकनीकी सहायकों के 3 पद अनुसूचित तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित थे ।

(ख) वरिष्ट तकनीकी सहायक पदों के लिए 13 तथा कनिष्ट तकनीकी सहायक पदों के लिए 9 ।

(ग) कोई नहीं । अब तक तकनीकी सहायक (विद्युत) तथा तकनीकी सहायक (यान्त्रिक) पदों के लिए समालाप हुये हैं । तकनीकी सहायक (विद्युत) पद के लिए अनुसूचित जातियों । अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई पद सुरक्षित नहीं था । दूसरे पद के लिये 5 प्रार्थी थे किन्तु कोई भी अपेक्षित अनुभवी न था ।

(घ) वरिष्ठ और कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का एक एक पद ।

फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाना

6983. **श्री राम चरण :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा अन्य बड़े नगरों में फल विक्रेता फलों को पकाने के लिये कार्बाइड का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्बाइड अत्यधिक विषैला और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है; और

(ग) यदि हां, तो फल विक्रेता को कार्बाइड का प्रयोग करने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां । दिल्ली, नागपुर, कलकत्ता और बम्बई जैसे शहरों में कार्बाइड से आम, पपीता और लोकाट जैसे फलों को पकाने का चलन बतलाया गया है ।

(ख) कार्बाइड गैस से फलों को पकाने से फलों के तत्वों में कोई अन्तर आ जाता है या वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो जाता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है । हां, इससे कच्चे खाद्य का रंग बदल जाता है उसका स्वाद या गन्ध नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

मिठाइयां तथा खण्डसारी तैयार करने में रसायनों का प्रयोग

6984. श्री राम चरण : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिठाइयों, खण्डसारी, चीनी, टाफी तैयार करने में कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका प्रयोग बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) चीनी या खांडसारी आदि बनाने में किसी हानिकारक रसायन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाती । जो उत्पादक या विक्रेता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायन इस्तेमाल करते पाये जाते हैं उनके विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन अभियोग चलाये जाते हैं । उत्पादकों और अन्य लोगों को इन रसायनों के हानिकारक प्रयोग के बारे में जानकारी देने के भी कदम उठाये जाते हैं । दोषी पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग चलाकर और नमूने लेकर इस सम्बन्ध में कड़ा नियंत्रण रखा जाता है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में परिवार नियोजन

6985. श्री राम चरण : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी) के कुल कितने कर्मचारियों ने अब तक वन्ध्यकरण का आपरेशन करवाया है अथवा लूप का प्रयोग किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में 30 रुपये देने के बजाय एक अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि देने के बारे में उनके मंत्रालय को कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) ऐसे आंकड़ों का हिसाब नहीं रखा गया है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर में योजना बोर्ड की स्थापना

6986. **श्री मेघचन्द्र :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में उस राज्य की पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिये कोई योजना बोर्ड स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड का गठन किस प्रकार किया गया है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) क्या इस बोर्ड में उस राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है ?

योजना पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) जी, नहीं । बताया गया है कि यह प्रस्ताव मनीपुर प्रशासन के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया सोना

6987. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों ने 1966-67 में कितना सोना पकड़ा था ; और

(ख) गत वर्ष में सीमा शुल्क विभाग को सुदृढ़ करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) वर्ष 1966-67 में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने चोरी छिपे लाये गए के रूप में लगभग 2,233 किलो ग्राम सोना पकड़ा ।

(ख) सीमा शुल्क विभाग के तस्कर-विरोधी पक्ष को तेज चलने वाली गाड़ियां, वायर लैस सैट (वाकी-टाकी) आदि विभिन्न तस्कर विरोधी साज-सामान देकर सबल बना दिया गया है ।

Barauni Refinery

6988. **Shri Chandra Sekhar Singh :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Barauni Refinery is running at a loss ;

(b) whether this is due to the fact that the General Manager of this Refinery is a Machanical expert rather than a Chemical Expert ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Admission in Medical Colleges in Delhi

6989. **Shri Kanwar Lal Gupta.** Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state:

(a) the number of seats in Medical Colleges of Delhi and the number of students who have applied therefor this years ;

(b) whether it is a fact that even those students who secure first division do not get admission in Medical Colleges of Delhi ;

(c) whether Government propose to open a new Medical College in Delhi so that students residing in Delhi may get admissions; and

(d) if so by what time and if not the reasons therefor?

The Minister of Health and Family Planning (Dr.S. Chandrasekhar) (a) The total number of seats available for admission to the Ist year MBBS class in the Medical Colleges in Delhi and the number of students who have applied for admission this year is as follows:-

	No. of seats	No. of applicants
(1) Maulana Azad Medical College	125	807
(2) Lady Hardinge Medical College	100	1171
(3) All India Institute of Medical Sciences	50	1540

(b) Admissions in the Lady Hardinge Medical College and Maulana Azad Medical College are made on merit with reference to the marks obtained in the qualifying examination . Some students securing first division could not be admitted within the available admission capacity of the two Colleges this year.

Admission to the All India Institute of Medical Sciences is made on the result of a competitive test held by the Institute itself.

(c) and (d) : No proposal to open a new Medical College in Delhi has yet been formulated . The opening of such a College would depend on the availability of funds .

Bisula Hydel Project, Nepal

6990. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Rs. 14 crores have been spent on the Bisula Hydel Project, Nepal, instead of three and a half crores of rupees as originally estimated and it has been completed now instead of as originally planned for completion by June, 1965 ;

(b) if so , the reasons therefor :

(c) whether it is also a fact that two aqueducts had developed bends as a result of which the completion of this project was further delayed by one year ;

(d) whether it is further a fact that a loss of about Rs. one crore has been sustained as a result thereof ;

(e) the name of the person who was given contract for that and the persons under whose supervision that work was done ; and

(f) the action taken against the persons responsible for the loss and increase in the estimated cost ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) :- The Trisuli Hydel Project in Nepal was originally estimated to cost Rs. 3.42 crores . Subsequently, the scope of the Project was modified and it was decided to raise the installed capacity from 12 MW to 21 MW . The modified project according to latest revision is estimated to cost Rs. 12.88 crores . The first stage works covering a major part of the civil works have been completed . Three generating units of capacity 3 MW each were commissioned during April-July 1966 . The actual expenditure upto June 1967 amounts to Rs. 9 crores .

(c) and (d) :- During the erection, some sag developed in the aqueducts which was soon rectified . The cost of the rectification was borne by the Contractor and no loss was sustained on this account .

(e):- The contract for aqueducts was awarded to M/S. National Projects Construction Corporation . The construction of the Project is being supervised by the Central Water & Power Commission .

(f):- Does not arise .

पी० एल० 480 निधियों से वित्तपोषित परियोजनाओं की क्रियान्विति

6991. श्री क० लक्प्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पी० एल० 480 निधियों से वित्तपोषित परियोजनाओं की क्रियान्विति की देखभाल करने के लिये कोई उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी परियोजनायें हैं जिन्हें पी० एल० 480 निधियों में से धन दिया जा रहा है ?

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी हां । जिन प्रायोजनाओं की वित्त-व्यवस्था पी० एल० 480 निधियों से की जाती है, उन्हें क्रियान्वित करने के काम पर, भारत सरकार की प्रशासनिक और वित्तीय कार्यप्रणालियों के अनुसार नजर रखी जाती है, जैसा कि उन प्रायोजनाओं के मामले में किया जाता है जिनकी वित्त-व्यवस्था बजट-सम्बन्धी अन्य साधनों से की जाती है ।

(ख) जिन प्रायोजनाओं की वित्त-व्यवस्था पी० एल० 480 निधियों से की गयी है उनकी सूचियां सभा पटल पर रख दी गई हैं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1232/67**] सूची 'क' में वे प्रायोजनाएं दी गई है जिनकी वित-व्यवस्था 31 मार्च, 1966 तक प्राप्त ऋणों और अनुदानों से की गयी है । सूची "ख" में वे प्रायोजनाएं है जिनकी वित्त-व्यवस्था 1966-67 में प्राप्त ऋणों से की गयी है ।

भारत सेवक समाज

6992. श्री क० लक्प्पा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सेवक समाज को वर्ष 1962 से लेकर अब तक महिलाओं के सम्मेलन तथा इन्डियन रैड क्रास शिविरों का आयोजन करने के लिये सरकार ने कितना धन दिया ?

योजना पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : भारत सरकार ने, भारत सेवक समाज को, महिलाओं के सम्मेलन या भारतीय रेड क्रास के शिवरों को आयोजित करने के लिए, 1962 से कोई अनुदान दिया है, इस बारे में योजना आयोग को कोई जानकारी नहीं है ।

विश्व बैंक से मांगा गया ऋण

6993. श्री क० लक्प्पा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये हाल ही में विश्व बैंक से ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं ; और

(ग) ये ऋण किन-किन योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिये मांगे गये हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) विभिन्न योजनाओं प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य से, समय समय पर विचार विमर्श किया ज ता है ताकि उस के आधार पर विश्व बैंक । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण लेने के सम्बन्ध में बातचीत की जा सके । लेकिन जब विचार–विमर्श का काम आगे के दौरे में पहुंच जाय, तभी उसे ऋण सम्बन्धी बातचीत का आधार कहा जा सकता है । जिन प्रायोजनाओं । प्रस्तावों पर विभिन्न दौरों में विचार किया जा रहा है, वे ये हैं :–

उत्तर-प्रदेश नल कूप प्रायोजना (दूसरा दौर)

(1) जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में वाराणसी और एटा जिलों में नलकूपों, कूओं और खेती के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों से कृषि-सम्बन्धी विकास के काम को और जोरदार बनाना है ।

पंजाब बाढ़ नियंत्रण और जल-निकासी प्रायोजना (दूसरा दौर)

(2) जिसका उद्देश्य बाढ़-नियंत्रण और जल-निकासी की व्यापक योजनाओं के द्वारा पंजाब और हरियाना में कृषि-विकास के काम को तेज करना है ।

बम्बई जलपूर्ति योजना

(3) जिसका उद्देश्य भातसई जलपूर्ति योजना के निर्माण और संचालन से बृहत्तर बम्बई में जलपूर्ति में वृद्धि करना है ।

बंगलौर जलपूर्ति और मल-मूत्र निकासी

(4) जिसका उद्देश्य बंगलौर शहर में जलपूर्ति और मल-निकासी की व्यवस्था में सुधार करना है।

तीसरी दूर-संचार प्रायोजना

(5) जिसका उद्देश्य दूर-संचार सम्बन्धी सुविधाओं को पुनः स्थापित करने उन्हें आधुनिक ढंग का बनाने और उनका विस्तार करने के लिए डाक और तार विभाग के, चौथी आयोजना के कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था करना है।

मीन क्षेत्र-विकास प्रायोजना

(6) जिसका उद्देश्य चुने हुए केन्द्रों में, बड़े जलयानों का एक बेड़ा चलाकर, मछली पकड़ने के काम को बढ़ाना और उसमें सुधार करना है।

उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र की बीज विकास प्रायोजना

(7) जिसका उद्देश्य सुधारी हुई किस्मों के बीज पैदा करने की प्रायोजना का विकास करना है।

(2) प्रायोजनाओं और योजनाओं के तैयार किये जाने और पेश किये जाने, उनकी जांच किये जाने और उनके स्वीकृत किये जाने का काम पूरा होने के बाद ही प्रायोजनाओं और योजनाओं के लिये बैंक। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्तीय व्यवस्था की जाती हैं। इसलिए, इस समय ऋणों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना देना संभव नहीं है।

क्रियान्वित न की गई बड़ी परियोजनाओं के बारे में जांच

6994. श्री क० लकप्पा : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी जांच समिति नियुक्त की है अथवा नियुक्त करने का विचार किया है जो ऐसी विभिन्न बड़ी परियोजनाओं के बारे में जांच करेगी, जिन्हें विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित करने का प्रस्ताव था, किन्तु जो क्रियान्वित नहीं की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और उनके निर्देश-पद क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास में सोना पकड़ा जाना

6995. श्री मरंडी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री आत्म दास :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास स्थित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क 'कलेक्टोरेट' ने 7,000 तोला विदेशी सोना पकड़ा था जिस पर विदेशी निशान अंकित थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पकड़े गये व्यक्ति विदेशी थे अथवा भारतीय ; और

(घ) दोषी व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के अधिकारियों ने 8 जुलाई, 1967 को माउंट रोड, मद्रास में एक कार रोकी और उसमें सवार छः में से चार व्यक्तियों के पास से विदेशी मार्का का 7000 तोला सोना पकड़ा । कार में सवार सभी छः व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये थे और कार भी पकड़ ली गयी । छः में से चार व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है ।

(ग) ये सभी व्यक्ति भारतीय हैं ।

(घ) मामले की अभी भी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

नेत्र बैंक

6996. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री रमानी :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिमय बसु :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायनार :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में देश में कुल कितने नेत्र बैंक थे और उन बैंकों में कितने नेत्र थे ;

(ख) भारत में प्राप्त किये गये तथा विदेशों से आयात किये गये नेत्रों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) नेत्रों के आयात की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) क्या इन नेत्रों के आयत पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) भारत में 10 नेत्र बैंक हैं । क्योंकि नेत्रों की मांग काफी अधिक है इसलिये शीघ्र ही काम में आ जाते हैं तथा बैंक में रखने के लिए कुछ नहीं बचता ।

(ख) भारत में प्राप्त किये गये तथा विदेशों से आयात किये गये नेत्रों की ठीक ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है, परन्तु अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, के राष्ट्रीय नेत्र बैंक द्वारा 1966 में भारत में ही इकट्ठे किये गये नेत्रों की संख्या 78 थी । राष्ट्रीय नेत्र बैंक ने विदेशों से 6 ताजे नेत्र तथा 26 परिरक्षित नेत्र प्राप्त किये ।

(ग) और (घ) साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र बैंक के पास नेत्र उपहार स्वरूप ही आते हैं । राष्ट्रीय नेत्र बैंक तथा दूसरे नेत्र बैंक अन्तर्राष्ट्रीय नेत्र बैंक के साथ सीधे सम्पर्क

से काम करते हैं तथा इसके लिए कोई शर्तें इत्यादि नहीं है। नेत्र लाने लेजाने का खर्च सर्वथा नेत्र पाने वाली संस्था ही वहन करती है।

नेत्र बैंक को नेत्रों का दान

6997. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ज्योतिमय बसु :
श्री रमानी :
श्री भगवान दास :
श्री नायनार :
श्री विश्व नाथ मेनन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में भारत में नेत्र बैंकों को कुल कितने नेत्र दिये गये ;

(ख) लोगों से नेत्र किन शर्तों पर लिये जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार नेत्र दान करने वाले लोगों के आश्रितों को कुछ नकद राशि देने के प्रस्ताव का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० चन्द्र शेखर) ; (क) ठीक ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है, परन्तु अनुमान है कि लगभग पांच छः नेत्र दिये गये थे।

(ख) अपनी इच्छा से नेत्रदान करने वालों को नेत्र बैंकों में पंजीबद्ध कर लिया जाता है और उनकी मृत्यु पर उनके नेत्र निकालने से पहले उनके निकट सम्बन्धियों से लिखित आज्ञा ली जाती हैं, पोस्ट-मार्टम के मामलों में भी मृतकों के निकट सम्बन्धियों की सहमति से नेत्र निकाल लिये जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) दानियों के आश्रितों को नकद पैसे देने के लिए अभी तक किसी भी क्षेत्र से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

चीन में छपे जाली नोटों का भारत में चलन

6998. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री दे० अमात :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका "साक्षी" की नवीनतम प्रति की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया है कि चीन में छपे जाली नोट भारत में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गयी हैं ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

उप-प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग) चीन में छपे जाली करेंसी नोटों के कथित चलन के समाचार प्राप्त हुए हैं और इनके सम्बन्ध में जांच की जा रही हैं।

पारादीप में उर्वरक संयंत्र

6999. श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री 1 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पारादीप में उर्वरक कारखाना लगाने के अपने प्रस्ताव के बारे में क्या सरकार को इस बीच ब्रिटिश इण्डिया डवलपमेंट कारपोरेशन से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री के० रघु रामैया) : (क) और (ख) एक प्रस्ताव मैसर्स सलज गिट्टर इन्डस्ट्री पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त हुआ है, जो उस कन्सोरटियम का सदस्य है जो ब्रिटिश इन्डियन डवलपमेंट लि० का यूरिया, डायमोनियम फास्फेट, न. प. उर्वरक न. प. एक्स उर्वरक और अमोनियां सल्फेट के उत्पादन के लिये पारादीप में उर्वरक कारखाने की स्थापना में सहयोग दे रहा है। कारखाने की अनुमानित लागत 58.5 करोड़ रुपये हैं, जिसमें 28.5 करोड़ विदेशी मुद्रा होगी। प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

नई दिल्ली में भारत सरकार के मुद्रणालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

7000. श्री म० ला० सोंधी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिन्टो रोड़ (नई दिल्ली) स्थित सरकारी मुद्रणालय के औद्योगिक कर्मचारियों को दिन और रात में बेवक्त तीन पारियों में काम करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें रामकृष्णपुरम में क्वार्टर दिये जाते हैं, जो उनके कार्य के स्थान से बहुत दूर हैं ;

(ग) क्या भूतपूर्व निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री ने इन कर्मचारियों को मौखिक आश्वासन दिया था कि उन्हें मिन्टो रोड के आसपास क्वार्टर दिये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मिन्टो रोड के आसपास क्वार्टर बनाने तथा उन्हें अद्योगिक कर्मचारियों को देने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) मुद्रणालय के एक स्कंध को केवल संसद अधिवेशन के दौरान तीन पारियों में कार्य करना होता है। बजट तथा रैड बुक के मुद्रण के लिए सम्पूर्ण मुद्रणालय बारह बारह घंटों की दो पारियों में कार्य करता है।

(ख) केवल सात कर्मचारियों को रामकृष्णपुरम में क्वार्टर आवंटित किये गये हैं। इनमें से केवल एक लैटर प्रेस विंग का है।

(ग) 1962 में यह निर्णय किया गया था कि जो कर्मचारी मुद्रणालय क्षेत्र से दूर सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं उन्हें केवल श्रेणी के अधिकार के आधार पर मुद्रणालय के आसपास क्वार्टर आवंत्रित किये जायेंगे।

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है क्योंकि मिन्टो रोड़ का सारा क्षेत्र संभवत: जोनल प्लान के उप-बन्धों के अनुसार पुनर्विकसित किया जाये।

Family Planning Among Muslims

7001. Shri Bal Raj Madhok :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether it is a fact that muslim families expand at a greater speed than Hindu families on account of prevalence of polygamy amongst them ;

(b) whether it is also a fact that the Muslims consider family planning contrary to their religion and consequently family planning programmes are not effective in checking the increase in their families ; and;

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to introduce family planning amongst the Muslims ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No, there are no indications to show that the largeness of a family is due only to polygamy. Polygamy may be one of the many causes for large families.

(b) No. Muslim families are also adopting family planning increasingly large numbers Family Planning Programme is being carried on in U. A. R., Pakistan and some other countries with large muslim population.

(c) Does not arise.

Slums in Delhi

7002. Shri Ramavatar Shastri :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Chandra Sekhar Singh :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) the total population of the city of Delhi at present ;

(b) the nnmber of persons living in shantis and Hume pipes ;

(c) the number of those who have been uprooted as a result of demolition of shantis so far ;

(d) whether Government have any scheme to rehabilitate the persons thus uprooted ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The persent urban population of Delhi is estimated to be 32 lakhs.

(b) and (c) According to a survey conducted in June-July 1960, about 50,000 families were squatting on Government and public lands in Delhi. The number of squatters is on the increase. No regular survey has been conducted after June-July 1960. Although about 30,000 families have been evicted so far, their present number is still estimated to be between 50,000 to 55,000.

(d) and (e) A Jhuggis and Jhopris Removal Scheme has been drawn up to provide alternative accommodation, on rental basis, to about 50,000 families, who squatted on Government and public lands prior to the 31st July, 1960.

These families comprise:-

(i) Migratory labour ;

(ii) Government servants and employees of local bodies ; and

(iii) others.

The squatters in categories (i) and (ii) are to be provided with camping sites of 25 square yeards and those in category (iii) with 80 square yard plots or tenements. For the time being, however, these squatters are also being allotted 25 square yards plots to expedite the clearance of squatters from City.

Irrigation Projects

*7003. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri O. P. Tyagi :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No, 378 on the 8th June, 1967 and state the names and outlines of the four selected major irrigation projects ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : A statement is laid on the table of the House. **[Placed in library, See No.LT-1233/67]**

Gold Recovered From A Women in Bombay

7004. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri O. P. Tyagi :**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Ram Singh Agarwal :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign gold worth one lakh of rupees was recovered from a lady who had arrived at Bombay during the last week of June 1967 ;

(b) if so, the action taken by Government in this regared ; and

(c) the name of the place from where it was brought ?

The Dupty Prime Minister and Ministry of Finance (Shri Morarji Desai) : No such recovery was made at Bombay. However, on 29th June, 1967, 490 tolas of gold bearing foreign markings and valued at Rs. 48,226/- at the international rate was recovered from a woman at Meenambakkam airport, Madras on her arrival from Bombay.

(b) and (c) The woman and two other persons suspected to be involved in this case were arrested and subsequently released on bail. The gold was brought by the woman from Bombay. The matter is under investigation.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

7005. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों को मान लेने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के कारण 1967-68 में सरकार को अनुमानतः कितना अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा ;

(ख) उपर्युक्त व्यय के लिये वर्तमान बजट में कितने धन की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) इस अन्तर को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) गजेन्द्रगड़कर मंहगाई भत्ता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अपनी सिफारिशों के वित्तीय प्रभाव का संकेत नहीं किया है । आयोग की सिफारिशों के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है, अतः सरकार को 1967-68 में इस निमित्त कितना अतिरिक्त भारत वहन करना होगा, इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) इसके लिए असैनिक बजट में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बरौनी तथा गुजरात तेल शोधक कारखाने

7006. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी तथा गुजरात तेल शोधक कारखानों के रूसी सहयोगकर्त्ताओं ने परियोजना प्रतिवेदनों को पेश करने तथा उपकरणों की सप्लाई करने में भी निर्धारित तिथियों से आगे आगे से लेकर 15 महीने तक का अधिक समय लगाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ठेके में अर्थ दण्ड लगाने का उपबन्ध न होने के कारण सरकार रूसी सहयोगकर्त्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ठेके की शर्तों में पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है, ताकि अर्थ-दण्ड लगाने का उपबन्ध उसमें शामिल किया जा सके ;

(घ) बरौनी तथा गुजरात तेल शोधक कारखानों में चालू करने में देरी होने के परिणाम स्वरूप कितना अधिक खर्च हुआ है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1962 से चार वर्षों में गोहाटी तेल शोधक कारखाने में लगभग 32 लाख रुपये की हानि हुई है, क्योंकि संचालन प्रक्रिया बारा पैदा हुई गैस ईधन के काम में लाई जाने की बजाय जला दी गई थी ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) बरौनी तेल शोधक कारखाने के लिये परियोजना रिपोर्ट को पेश

करने में रूसी सप्लायरों ने देरी नहीं की, किन्तु गुजरात तेल शोधक कारखाने के लिये 6 महीने की देरी हुई थी। दोनों कारखानों के उपकरणों की सप्लाई में काफी देर लगी।

(ख) और (ग) रूसी सप्लायरों के ठेके में अर्थ-दण्ड लगाने का उपबन्ध नहीं है। अन्तर-सहकारी समझौतों में प्रायः ऐसे उपबन्ध नहीं रखे जाते।

(घ) कारखानों के चालू करने में देरी के कारण हुये अधिक खर्च के बारे में, बरौनी और गुजरात तेल शोधक कारखानों के खाते कुछ नहीं दर्शाते।

(ङ) जी नहीं, हानि केवल कल्पित है। शोधक गैसों का एक हिस्सा शोधक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कुछ गैसों को घरलू ईंधन के प्रयोग में लाने के लिये बोतलों में बन्द करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

Review of Family Planning Results

7007. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people of some communities have opposed family planning methods for fear of reduction in their numerical strength ;

(b) whether family planning scheme has been uniformly implemented amongst all the communities and in all the States of India ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) whether Government have ever reviewed the results of this scheme from this point of view ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No.

(b) to (d) No statistics regarding acceptance of Family Planning Services Community-wise is maintained but results of certain ad hoc studies carried out from time to time have indicated that the practice of family planning among different communities is not far out of proportion to their population in the area.

(e) Does not arise.

Tuberculosis in Rural Areas

7008. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the percentage of rural population suffering from Tuberculosis ;

(b) whether the steps taken so far by Government at the village level to check Tuberculosis have borne the anticipated results ;

(c) if not, the steps proposed to be taken by Government towards arresting the high incidence of tuberculosis in villages ;

(d) if not, the reasons therefor ; and

(e) the details of the measures adopted in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Nearly 1.5%

(b) Not yet.

(c) It is proposed to integrate the Tuberculosis perventive, diagnostic. and treatment services with the Basic Health Service provided through Primary Health Centres and rural dispensaries so that the rural population may be treated nearest to their homes and the spread of the disease checked.

(d) Does not arise.

(e) The following measures have so far been adopted for the control of Tuberculosis :—

(i) As a preventive measure. BCG Vaccination has been in progress for the last 18 years and house to house vaccination has been undertaken during the last four years in order to have a better coverage of the rural population. 213 BCG teams are engaged in this campaign and nearly 241 million persons have been tested and nearly 101 million BCG vaccinated.

(ii) District T. B. Programmes have been evolved to provide diagnostic and treatment facilities to the rural population through the Primary Health Centres and Rural Dispensaries under the supervision of the District TB Centre, situated at the District headquarters. 136 District T. B. Centres have been established already. Anti-TB drugs are supplied free to the patients from the Primary Health Centres and Dispensaries.

रामकृष्ण पुरम के खोखे वाले दुकानदार

7009. श्री बलराज मधोक :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री जगन्नाथ राव० जोशी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री रामकृष्णपुरम नई दिल्ली के खोखे वाले दुकानदारों के बारे में 24 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त खोखे वालों को स्टाल नियत करने की प्रक्रिया अन्तिम रूप से पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; तथा इसके लिये और कितना समय लगेगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में बाजार की सुविधा देना मूल रूप से नगर-निगम का उत्तरदायित्व है तथा उसका आवश्यक खर्चा उन्हें अपने स्रोतों से करना चाहिए । फिर भी उनके 'स्रोतों तथा साधनों' की कठिनाई को देखते हुए, सरकार ने झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी नजफगढ़ में, रामकृष्णपुरम से हटाये गये 253 दुकानदारों के लिए शोपिंग प्लेटफार्म बनाने को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है तथा इसके फलस्वरूप झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में दुकानों । प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए सरकार ने दो लाख रुपये की

राशि स्वीकार की है। नगर निगम का अधुनातम प्रस्ताव यह है कि इस सुविधा देने का सम्पूर्ण खर्चा भारत सरकार करे तथा उसे झुग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना के नामे डाल दिया जाये। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हैं तथा इस मामले में निर्णय शीघ्र ले लिया जायेगा।

दिल्ली में झुग्गियां

7010. **श्री बलराज मधोक :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **निर्माण, आवास, तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो महीनों में अनधिवासी (स्कवैटर्स) तथा अन्य लोगों ने दिल्ली के विभिन्न भागों में बहुत बड़ी संख्या में नई झुग्गियां बना ली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार झुग्गियों के अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि इससे हकदार झुग्गीवासियों के बसाये जाने की सम्भावना यह भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) अभी हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, किन्तु यह सत्य है कि दिल्ली में नई झुग्गियां बन रही हैं।

(ख) अधिक्रमण को रोकने के सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। भू स्वामियों से कह दिया गया है कि वे अपनी भूमि पर निगरानी रखें तथा अधिक्रमण के मामलों की रिपोर्ट पुलिस को करें ; साफ की गयी भूमि को घेरा जा रहा है, अथवा पुनरनधिवास को रोकने के लिए भूमि का उसी के लिए उपयोग किया जा रहा है जिसके लिए भूमि है ; नये अनधिवासियों को हटाया जा रहा है, तथा यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि नये अनधिवास को प्रज्ञेय अपराध (कागनाईजेबल आफेन्स) बना दिया जाये। पुनरनधिवास के लिए पब्लिक प्रेमिजेज (एविकशन आफ अन अथराइज्ड़ आक्यूपैंट्स) एक्ट 1958 के अन्तर्गत एक वर्ष तक के कारावास अथवा 1,000 रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों का दंड दिया जा सकता हैं।

राज्यों में सिचाई तथा विद्यु

7011. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री न० कु० साल्वे :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **सिचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने-कितने क्षेत्र में सिचाई की जाती है ;

(ख) राज्य-वार प्रति व्यक्ति विद्युत जनन क्या है और प्रत्येक राज्य में घरेलु तथा औद्योगिक प्रयोजनों हेतु प्रत्येक यूनिटों के लिये क्या शुल्क लिया जाता हैं ;

(ग) विभेद के कारण क्या है और इसको समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और इस विभेद के कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव नहीं है तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव (क और (ख) अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखे गये विवरणों (I, II और III) में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1234/67]**

सिंचाई

(ग) और (घ) सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि वर्षा, जल संसाधनों की उपलब्धता, राज्यों द्वारा सिंचाई क्षेत्र को निधियां दिये जाने आदि पर निर्भर है। फिर भी, विभिन्न योजनाओं की सिंचाई योजनाओं के लिये उपबन्ध करते समय प्रादेशिक विषमताओं को घटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

बिजली

घरेलु तथा औद्योगिक प्रयोग के लिये बिजली की दरों में अन्तर के विभिन्न कारण हैं। घरेलू उपभोग के लिये बिजली 220 वोल्ट पर दी जाती है जबकि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बिजली "किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट पर दी जाती है। कम वोल्ट पर बिजली सप्लाई करने में अधिक लागत आती हैं और इसलिये उसका दर निर्धारित करते समय इसको ध्यान में रखा जाता है। इसलिये दोनों प्रकार की बिजली के लिये समान दर रखना उचित न होगा।

जहां तक सभी राज्यों में बिजली की दरों में समानता का सम्बन्ध है बिजली का उत्पादन और वितरण अधिकांशतः राज्य बिजली बोर्डों के नियन्त्रणाधीन हैं जिन पर कि बिजली (सप्लाई) अधिनियम 1948 लागू होता है। चूंकि बिजली की खपत और उसका उत्पादन प्रत्येक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न है, इसलिये सारे देश में दरें निर्धारित करना संभव नहीं है। तथापि, राज्य बिजली बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं से समान दरें लें। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार गुजरात, केरल, मैसूर, पंजाब, और पश्चिम बंगाल ने इस सुझाव को लागू कर दिया है।

हसदेव परियोजना

7012. श्री न० कु० साल्वे :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री लाखन लाल गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के पास नहर बनाने के लिए धन होने के कारण हसदेव परियोजना की सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 5 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर 1.17 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा देने के लिये जून, 1967 में हसदेव दाहिना किनारा नहर अग्रिम योजना मंजूर की गई थी। योजना पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जायेगी।

(ख) इस परियोजना के लिये कोई केन्द्रीय सहायता देने का विचार नहीं है। परन्तु समूची योजना के लिये राज्य को दिये गये विविध विकास ऋणों का इसके लिये प्रयोग किया जा सकता है।

महालेखा पाल के कार्यालय द्वारा आसाम में अधिकारियों को वेतन पर्चियों का दिया जाना

7013. श्री वी० ना० शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम स्थित महालेखापाल का कार्यालय सरकारी अधिकारियों को वेतन पर्चियां देने में अत्याधिक विलम्ब कर देता है।

(ख) क्या यह भी सच है कि आसाम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को गत एक वर्ष से एक भी वेतन पर्ची नहीं दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) असम में महालेखापाल के कार्यालय द्वारा वेतन पर्चियां (पे स्लिप) देने में अत्यधिक देरी करने के बारे में कोई आम शिकायत नहीं मिली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लाजपत नगर नई दिल्ली में समाज कल्याण तथा पुनर्वास केन्द्र की इमारत

7014. श्री राजदेव सिंह : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित समाज कल्याण तथा पुनर्वास केन्द्र की पुरानी इमारत कई वर्षों से खाली पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इस इमारत को उपयोगी कार्य के लिये प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसका प्रयोग कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्रीमती फूलरेण गुह) : (क) से (ग) इमारत खाली रही है किन्तु मार्च, 1966 में निर्णय किया गया है कि समाज कल्याण और पुनर्वास निदेशालय के केन्द्रीय कटाई अनुभाग को वहां जगह दी जाय। केन्द्रीय कटाई अनुभाग की आवश्यकताओं के अनुसार तबदीलियों और मरम्मत की मंजूरी भारत सरकार ने प्रदान की और यह कार्य केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग को सौपा गया जिन्होंने यह कार्य अब लगभग पूरा कर लिया है।

दिल्ली में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों की वर्दी तैयार कराने के लिए जो कपड़ा केन्द्रीय कटाई अनुभाग को दिया जायेगा उसे रखने और उसकी कटाई करने के लिये केन्द्रीय कटाई अनुभाग इस इमारत का प्रयोग करेगा।

हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिये मेडिकल कालेजों में स्थानों का आरक्षण

7015. श्री हेम राज : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवारनियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) मेडिकल कालेज शिमला (हिमाचल प्रदेश) में दाखिले के लिये कितने स्थान निर्धारित किये गये हैं तथा उनमें से कितने स्थान हिमाचल प्रदेश के अधिवासी छात्रों के लिये आरक्षित रखे गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ये स्थान पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को इस प्रदेश के साथ मिलाये जाने से पहले निर्धारित किये गये थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिमाचल का क्षेत्र तथा आबादी दुगुनी हो गई है तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुराने हिमाचल के लिये मूलतः निर्धारित स्थानों की संख्या दुगुनी करने के लिये प्रार्थना की है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मेडिकल कालेजों में हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिये संघ राज्यवर तथा राज्य क्षेत्रवार कितने कितने स्थान निर्धारित किये गये हैं ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के लिये निर्धारित स्थानों की संख्या कम करने का सरकार का विचार है ; यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) हिमाचल प्रदेश मैडिकल कालिज, शिमिला में 50 सीटें हैं जिसमें से 30 सीटें हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी छात्रों, हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के बच्चों और उस प्रदेश में नियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए निर्धारित हैं।

(ख) और (ग) मेडिकल कालिज, शिमला अगस्त 1966 में खोला गया था और इसलिये हिमाचल प्रदेश उस योजना से अलग हो गया था जिसके अनुसार मेडिकल कालेजों

में उन संघ क्षेत्रों के लिये सीटें आरक्षित की जाती हैं जिनमें अपने मेडिकल कालिज न हों। तथापि 1966 में केन्द्रीय सरकार ने देश अन्य मैडिकल कालेजों में केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले छात्रों के लिए आरक्षित 20 सीटों की जगह 35 सीटों की व्यवस्था की थी जिससे हिमाचल प्रदेश को शिमला मैडिकल कालेज की 50 सीटों के अतिरिक्त 15 अतिरिक्त सीटों का फायदा हो गया। इस वर्ष अन्य राज्यों में स्थित मेडिकल कालिजों में हिमाचल प्रदेश को 38 सीटें दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार के पास सीमित सीटें होने के कारण हिमाचल प्रदेश को, जैसाकि उन्होंने अनुरोध किया है अधिक सीटें देना सम्भव नहीं हुआ है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश को जिसकी जन संख्या 28 लाख है, इस वर्ष 68 सीटें मिल जायेंगी जबकि देश में 50 लाख के पीछे 100 सीटों का एक राष्ट्रीय नियम बना हुआ है।

(घ) हिमाचल प्रदेश को 1967 में 38 सीटें निम्नलिखित मैडिकल कालेजों में दी गई हैं :—

असम	
मेडिकल कालेज, डिबरुगढ़	1
बिहार	
मेडिकल कालेज, जमशेदपुर	2
दरभंगा मैडिकल कालेज, लहरियासराय	2
गुजरात	
एम० पी० शाह मेडिकल कालेज, जामननर	2
म्यूनिसिपल मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	8
जम्मू व कश्मीर	
मैडिकल कालेज, श्रीनगर	4
मध्य प्रदेश	
मैडिकल कालेज, भोपाल	1
मैडिकल कालेज, रेवा	1
महाराष्ट्र	
डा० वैश्यमपाइन मेमोरियल मैडिकल कालेज, शोलापुर	3
पंजाब	
दयानन्द मेडिकल कालेज, लुधियाना	4
पश्चिम बंगाल	
बंकुरा मैडिकल कालेज, बंकुरा	2
दिल्ली	
मौलाना आजाद मैडिकल कालेज, नई दिल्ली	8
योग	38

(ङ) हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए अन्य स्थानों के मैडिकल कालेजों में अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था तदर्थ आधार पर की गई है। केन्द्रीय कोटे में सीटें कितनी उपलब्ध होती हैं इसे ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था में हेर फेर हो सकती है।

व्यास बांध के निर्माण से निष्कासित व्यक्ति

7016. **श्री हेमराज :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने व्यास बांध से निष्कासित व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिए एक पक्षीय तदर्थ समिति बना ली है ;

(ग) यदि हां, तो इसके सदस्यों से नाम क्या हैं ;

(ब) क्या यह सच है कि चौथे आम चुनाव के पहले से गठित पुनस्थापन तथा पुनर्वास समिति को पुनर्गठित नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की सम्भावना है जिससे उस समिति में निष्कासित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो सके ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) जी नहीं। पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाना राज्यों से सम्बन्धि विस्थापितों के पुनर्वास से सम्बन्धित मामलों के निपटान के लिये एक तदर्थ समिति नियुक्त की गई है जिसमें केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मन्त्री, केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मन्त्री और राजस्थान, हरियाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री शामिल हैं

(ग) और (घ) एक व्यास पुनर्वास समिति अगस्त, 1963 में नियुक्त की गई थी जो अब भी है। भूतपूर्व पंजाब राज्य के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए इस समिति का पुनर्गठन किया जाना है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत कास निर्माण बोर्ड के नियुक्त किये जाने के तुरन्त पश्चात ऐसा किया जायेगा।

राजस्थान, पंजाब, हरियाना तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के साथ सिंचाई और विद्युत मन्त्री की मुलाकात

7017. **श्री हेम राज :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1967 के प्रथम सप्ताह में राजस्थान। पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के साथ उनकी कोई मुलाकात हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन मुख्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया तथा क्या निष्कर्ष निकाले गये ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस बैठक में इन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाना के विस्थापितों के लिये राजस्थान में कितनी भूमि रक्षित की जाये, उनको कितनी

भूमि आवंटित की जाये तथा राजस्थान नहर परियोजना द्वारा सिंचाई सुविधाओं में 78% से लेकर 110% तक वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न श्रेणियों की भूमि के मूल्यों में पुनरीक्षण। राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने महसूस किया कि चर्चा के दौरान उठाये गये कुछ प्रश्न आधारभूत थे इसलिये वह अपने मन्त्री मण्डल के सदस्यों से सलाह करना चाहते थे। अतः तदर्थ समिति की अगली बैठकों में इन प्रश्नों पर विचार किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में सिंचाई में सुधार करने की योजना

7018. **श्री समर गुह :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु सिंचाई योजनाओं से पानी सप्लाई करके सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए तथा दलदल वाली पानी जमा हुई भूमि से पानी निकालने के लिए विशेषतया मिदनापुर तथा 24 परगना के जिलों में, पश्चिमी बंगाल के सिंचाई मंत्री से कोई योजना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध से विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल सरकार को पर्याप्त वित्तीय तथा अन्य सहायता देने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) संसाधनों की कमी के कारण पश्चिम बंगाल सरकार को कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देना संभव नहीं हो सका है।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये आवास सुविधायें

7019. **श्री समर गुह :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टरों के अभाव के कारण अत्यधिक कठिनाई उठानी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कर्मचारियों के लिये सरकारी क्वार्टर बनाने की कोई योजना आरम्भ करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कलकत्ता में केन्द्रीय कर्मचारयों के लिए रिहायशी वास की अत्यधिक कमी है।

(ख) कलकत्ता में सामान्य पूल में 358 नये रिहायशी यूनिट बनाये जा रहे हैं तथा यह प्रस्ताव है कि निधियों की उपलब्धता के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में 150 क्वार्टर बनाना आरंभ किया जाये।

Ram Ganga Project

7020. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4041 on the 29th June.

1967 and state the estimated expenditure involved on (i) tunnels, (ii) colony, and (iii) Kachha dam of the Ram Ganga Porject separately ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : The estimated expenditure involved on (i) tunnels (ii) colony and (iii) kachha dams of the Ramganga Project is as follows :

	Rs. in lakhs
(i) tunnels :	
(a) Diversion tunnels	501.50
(b) Drainage tunnels	33.66
	535.16
(ii) Colonies (Buildings)	378,92
(iii) Kachha dams	
(a) Coffer dam bund in respat of earth dam	14.41
(b) Diversion bund in respect of saddle dam	2.00
	16.41

मध्य प्रदेश में पिछड़े हुए क्षेत्र

7021. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पिछड़े हुए क्षेत्र तथा खण्ड है ; और

(ख) यदि हां तो उनके विकास के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) योजना आयोग द्वारा सुझाये गये, क्षेत्रीय विकास के विशिष्ट सूचकों के आधार पर, राज्य सरकार ने अभी राज्य में उल्लेखनीय पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण नही किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहकारी तथा ऋण समितियां

7022. श्री न० कु० साल्वे :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये अब तक पृथक पृथक कितनी सहकारी समितियां तथा अन्य ऋण समितियां आरम्भ की गई हैं और उनसे कितने व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं ;

(ख) भविष्य में ऐसी और कितनी समितियां आरम्भ की जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान समितियां मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य--मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) अनुसूचित जातियां 57
अनुसूचित आदिम जातियां 1236

इन सब सहकारी समितियों के सदस्यों को लाभ पहुंचता है । इन के सदस्यों की संख्या कुछ बदलती रहती है ।

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार 950 समितियां शुरु करने का विचार रखती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनायें

7023. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री न० कु० साल्वे :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री 8 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1866 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये अब तक कुल कितना धन दिया गया है तथा इसके बाद कितना धन देने का प्रस्ताव है;

(ख) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक परियोजना से कितनी एकड़ भूमि में सिंचाई होगी तथा इस समय प्रत्येक परियोजना से कितनी एकड़ भूमि में वास्तव में सिंचाई हो रही है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना से इस समय कुल कितनी बिजली पैदा की जा रही है, तथा इसके पूरा हो जाने पर कितनी बिजली पैदा की जायेगी और इस समय प्रत्येक सम्बन्धित राज्य को कितनी बिजली मिल रही है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1235/67]**

गुजरात को वित्तीय सहायता

7024. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य को अभाव की स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्र ने गुजरात सरकार को चालू वर्ष में अब तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं । चालू वर्ष में अभाव से राहत सम्बन्धी व्यय के लिए अब तक 1.00 करोड़ रुपये का अनुदान मन्जूर किया जा चुका है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में तकनीकी अधिकारी

7025. **श्री कृष्णन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में प्रतिनियुक्ति के लिए तकनीकी अधिकारियों का विभिन्न राज्यों में किस आधार पर चयन किया जाता है; और

(ख) मैसूर के कितने तकनीकी अधिकारी उक्त आयोग में प्रतिनियुक्ति पर हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) ; (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में प्रतिनियुक्ति की शर्तें केन्द्रीय जल तथा केन्द्रीय विद्युत इन्जीनियरी (श्रेणी एक) सेवा नियम 1965 के नियम 30 में दी गई है । चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है ।

(ख) इस समय एक ।

Drinking Water Supply in Drought Affected Areas in U. P.

7026.. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh had demanded rig machines during the last six months for boring purposes for making arrangements for supply of drinking water in drought hit areas; and

(b) if so, the number of rig machines supplied by Government to Uttar Pradesh for boring purposes ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Chander Sekhar) : (a) and (b) No such request was received from the Government of Uttar Pradesh. However, in a meeting held in the Ministry of Health and Family Planning on the 16th February, 1967, the Cheaf Engineer, Local self Government Public Health Engineering Department had stated that the Government of Uttar Pradesh would need 30 rigs for drilling wells in the drought affected areas. On a later review of this demand, he stated that the 8 rigs, 4 of which had been allotted to Uttar Pradesh from the 10 rigs donated by the UNICEF and

4 purchased by the Public Health Engineering Department, Uttar Pradesh, would meet the requirements.

राजस्थान में 'बोगस' परिवार नियोजन केन्द्र

7027. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री मीठा लाल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि राजस्थान में हाल ही में केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिये बड़ी संख्या में बोगस परिवार नियोजन शिविर लगाये गये थे;

(ख) क्या इन शिविरों के लिए कोई धन राशि मन्जूर की गई थी और यदि हां, तो कितने शिविर लगाये गये थे तथा कितनी राशि मन्जूर की गयी; और

(ग) सहायता की शर्तों में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे धन का अपव्यय न हो ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) 1966-67 में राजस्थान में 151 आरिएन्टेशन प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए 83,400 रुपये का एक सहाय्याअनुदान मन्जूर किया गया था;

(ग) ये शिविर राज्य परिवार नियोजन अधिकारियों के सहयोग और परामर्श से आयोजित किये जायेंगे। आयोजकों को (1) शिविर संचालन की एक रिपोर्ट (2) जांचे गए हिसाब-किताब का एक ब्यौरा और (3) यूटिलाइजेशन प्रमाण-पत्र भेजना भी आवश्यक है ?

परिवार नियोजन के विद्यार्थियों के लिये वृत्तिका

7028. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन में काम करने का विकल्प करने वाले मैडीकल के विद्यार्थियों को वृत्तिकायें दी जा रही हैं अथवा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के किस वर्ष में विद्यार्थी को उक्त वृत्तिक दी जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार अध्ययन के प्रथम वर्ष से ही वृत्तिक देने का है;

(घ) क्या इन वृत्तिकायों को देने में महिलाओं को किसी प्रकार की प्राथमिकता दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। वृत्तिकाएं एम० बी० बी० एस० के पुरुष तथा स्त्री दोनों विद्यार्थियों को इस शर्त पर दी जाती हैं कि

वे वृत्तिका पाने की अवधि के समान समय के लिये उपाधि प्राप्ति करने के पश्चात परिवार नियोजन तथा प्रसूति और बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम में सेवा करने के लिये एक बन्धक पर हस्ताक्षर करें ।

(ख) और (ग) आवेदनों की संख्या और उपलब्ध वृत्तिकाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए एम० बी० बी० एस० के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष के लिये वृत्तिकाएं दी जाती हैं। ऊंची कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है ।

(घ) और (ङ) जी हां। वृत्तिकाएं मुख्य रूप से लड़कियों को दी जाती हैं ।

राज्यों में सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये धन राशि

7029. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंच वर्षीय योजनाओं के दौरान प्रत्येक राज्य को सिंचाई अथवा विद्युत और सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये अलग-अलग कुल कितनी धन राशि दी गई है; और

(ख) इस प्रयोजन हेतु क्या मार्ग दर्शन सिद्धान्त अपनाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अपेक्षित जानकारी पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1236/67]** चतुर्थ योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) राज्यों की आवश्यकताओं, योजनाओं को क्रियान्वित के लिये उपलब्ध समूचे संसाधानों आदि को ध्यान में रख कर सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं का परिव्यय निर्धारित किया जाता है ।

बिहार को वित्तीय सहायता

7030. श्री मरन्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने अपनी वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिये केन्द्र से 10 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत के रिजर्व बैंक द्वारा ड्राफ्ट का भुगतान करने से इन्कार किये जाने के कारण यह वित्तीय स्थिति पैदा हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ग) जून, 1967 में बिहार सरकार ने 29.26 का ऋण मांगा था। इसमें 23.5 करोड़ रुपये की राशि अक्टूबर, 1967 तक देय केन्द्रीय ऋणों और उनके ब्याज को चुकाने के लिये और

शेष राशि अर्थोपाय की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये थी। ऐसे मामलों में वित्त आयोग केन्द्र के प्रति राज्य सरकार के ब्याज और पुनर्भुगतान के दायित्व को ध्यान में रखता है। इसी प्रकार योजना सहायता निर्धारित करते समय योजना आयोग पुनर्भुगतान के दायित्व को ध्यान में रखता है। अतः सामान्यतः ऐसे प्रयोजनों के लिये अर्थोपाय ऋण नहीं दिये जाते हैं। फिर भी भारत सरकार ने 5.75 करोड़ रु० का ऋण मन्जूर कर दिया था।

(ख) बिहार सरकार को अपनी जमा राशि से 4.55 करोड़ रु० अधिक निकालने का अधिकार बैंक ने दे रखा है। इससे अधिक निकाली गई राशि को बैंक मान्यता नहीं देती है।

फार्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अलवाय

7032. **श्री विश्वम्भरन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री अदिचन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 से 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में अब तक फार्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड अलवाय में कितनी हड़तालें तथा तालाबन्दियां हुई हैं;

(ख) इन हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण काम के कितने घन्टे बर्बाद हुए हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) हड़तालें–

1964-65-19-2-1965 को 8 घन्टे की सांकेतिक हड़ताल

1965-66 [1) 23-8-65 से 6-9-65 तक 13 दिन की सामान्य हड़ताल।

(2) 31–5–65 को एक दिन की हड़ताल।

(3) अखिल केरल बन्द—28-1-66 को एक दिन की हड़ताल।

1966–67— शून्य

1967–68 शून्य

तालाबन्दियां–इस अवधि में कोई तालाबन्दी नहीं हुई।

(ख) काम के घन्टों की क्षतिः–1964-65–2,0000

1965--66–60,000

(ग) हानि हुईः–

1964-65–शून्य क्योंकि संयन्त्र में काम चलता रहा।

1965-66--56,50 लाख रुपया।

दिल्ली में आय-कर की राशि लौटाने के मामले

7033. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 से लेकर आज तक आय कर की राशि लौटाई जाने के कितने मामले दिल्ली के आय-कर विभाग के पास आये हैं; और

(ख) उनमें से कितने मामलों को निपटा दिया गया तथा कितने मामले निपटाये नहीं गये हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) : वर्ष 1962 से लेकर आज तक के वर्षों में आयकर विभाग, दिल्ली, को प्राप्त हुई कर की वापसी की दरख्वास्तों की संख्या, निपटायी गयी दरख्वास्तों की संख्या तथा 1 जुलाई 1967 की अनिर्णीत पड़ी दरख्वास्तों की संख्या का विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1237/67]**

विदेशों में पढ़ने के लिये विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा

7034. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961 से 1966 तक के वर्षों में विदेशों में अध्ययन के लिये भारतीय विद्यार्थियों को कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई;

(ख) उक्त राशि का देशवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक देश के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गई; और

(ग) पाठ्यक्रमों जैसे मानव विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र विज्ञान, इन्जीनियरी आदि, के रूप में जिनका विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते थे विस्तृत वर्गीकरण क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उस अवधि के लिये कुलविदेशी मुद्रा इस प्रकार दी गई थी :–

1961	रु०	330	लाख	रु०
1962	रु०	486	,,	,,
1963	रु०	406	,,	,,
1964	रु०	452	,,	,,
1965	रु०	414	,,	,,
1966	रु०	547	,,	,,

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) 1961 के दौरान विदेशों में गये कुल विद्यार्थियों में से 40 प्रतिशत ने तकनीकी विषय लिये 33 प्रतिशत ने गैर तकनीकी विषय, 26 प्रतिशत ने डाक्टरी और 1 प्रतिशत ने लेखापालन और 1963-1966 के दौरान में आंकड़े इस प्रकार थे :—

	1963	1966
तकनीकी	79 प्रतिशत	70 प्रतिशत
गैर-तकनीकी	15 प्रतिशत	24 प्रतिशत
औषधि	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत
लेखापालन	1 प्रतिशत	1 प्रतिशत

उर्वरक सम्बन्धी नीति

7035. श्री कामेश्वर सिंह : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उर्वरक सम्बन्धी नीति और उदार कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उदार नीति के परिणाम स्वरूप स्थापित किये जाने वाले कारखाने सरकारी क्षेत्र में होंगे अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में; और

(घ) इस नयी नीति से क्या लाभ होने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में धन का जमा न होना

7036. श्री म० ला० सोंधी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल के कार्यालय द्वारा रखे जाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा की गई बहुत सी राशियां दर्ज नहीं हैं;

(ख) क्या पिछले वर्षों की ऐसी राशियों की प्रविष्ट का पता लगाने में कोई प्रगति नहीं होती है और प्रति वर्ष ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती ही जाती है;

(ग) क्या इससे सरकारी कर्मचारियों को सेवा-निवृत के समय अथवा सरकारी नौकरी छोड़ते समय अत्यधिक परेशानी होने की सम्भावना रहती है; और

(घ) यदि हां, तो इन खातों को ठीक प्रकार न रखे जाने के क्या कारण हैं तथा इस स्थिति को सुधारने के लिये मन्त्री महोदय का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री(श्री मोरारजी देसाई) (क) से (घ) : आवश्यक सूचना मंगाई जा रही है और इन प्रश्नों का उत्तर सभा पटल पर रख दिया जायगा।

डी० आई० जेड० क्षेत्र में टाइम चार के क्षतिग्रस्त क्वार्टर

7037. श्री म० ला० सोंधी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चौथी योजना में दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र के टाइप चार के क्वार्टरों को नहीं गिरा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्षतिग्रस्त क्वार्टरों की मरम्मत की जायेगी और उन्हें सरकारी कर्मचारियों को अलाट कर दिया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली के मास्टर प्लान में की गई सिफारिशों के अनुसार डी० आई० जेड० एरिया को सुविधाजनक प्रक्रमों में पुनर्विकासित करना है । जो क्वार्टर इस वर्ष में पुनर्विकास के लिए निर्धारित क्षेत्र में आते हैं अथवा जो रिहायश के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिये गये हैं, उन्हें गिरा दिया जायेगा । अन्य क्वार्टरों में, मामूली मरम्मत करने का प्रस्ताव है ताकि कुछ वर्षों के लिए उन्हें अच्छी स्थिति में रखा जा सके ।

कास्टिक सोडा

7038. श्री पार्थसारथी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने कारखाने कास्टिक सोडा तैयार कर रहे हैं; और

(ख) कितने तथा कहां कहां और कितनी क्षमता के नये कारखाने खोलने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) 25

(ख) निम्न सूची के अनुसार आठ नये यूनिटों की स्थापना के लिए लाइसेंस । आशय पत्र जारी किये गये हैं :–

	स्थान	वार्षिक क्षमता (मीटरी टन)
1.	धाना (महाराष्ट्र)	34,660
2.	गर्जन (उड़ीसा)	16,500
3.	चौदार (उड़ीसा)	1,650
4.	दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल)	10,500
5.	नागदा (मध्य प्रदेश)	33,000
7.	मद्रास (मद्रास राज्य)	16,500
8.	काण्डला (गुजरात)	16,500
9.	राजपुरा (पंजाब)	6,000

प्रति वर्ष कुल 1.16,040 मीटरी टन तक उत्तरोत्तर विस्तार के लिए 11 वर्तमान यूनिटों को भी लाइसेंस । आशय पत्र जारी किये गये हैं ।

संश्लिष्ट रबड़ उद्योग के लिये अलकोहल की कमी

7039. **श्री पार्थसारथी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संश्लिष्ट रबड़ उद्योग तथा पौलीथीलीन कारखानों को प्रति वर्ष कितने गैलन अलकोहल की आवश्यकता पड़ती है; और

(ख) इसमें से वर्ष 1966-67 में कितना और किस मूल्य पर अलकोहल का आयात किया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :-

यूनिट का नाम	उत्पादन का नाम और लाइसेंस हुई क्षमता	लाइसेंस हुई क्षमता पर आधारित अलकोहल की वार्षिक अपेक्षित मात्रा
मैसर्ज सिथेटिक एण्ड केमिकल्ज लिमिटेड, बरेली	संश्लिष्ट रबड़ 30,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष	लगभग 21.5 मिलियन गैलन
मैसर्ज अलक्ली एन्ड कैमिकल कार्पोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड कलकत्ता	पोलीथीलीन 10,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष	लगभग 5.7 मिलियन गैलन
मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड, बम्बई	पौलीथीलीन 3,800 मीटरी टन प्रति वर्ष	लगभग 2.2 मिलियन गैलन

(ख) 1966-67 में अलकोहल का आयात नहीं हुआ ।

रंजक सामग्री

7040. **श्री पार्थसारथी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंजक सामग्री का उत्पादन सन्तोषजनक है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रंजक सामग्री तथा रसायन उद्योग के लिये सभी प्राथमिक तथा माध्यमिक सामान का उत्पादन करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो भारत सरकार का उपक्रम इसका उत्पादन कब तक आरम्भ करेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) और (ख) जी नहीं ।

(ख) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स के 1969 के दूसरे अर्ध-भाग में प्रारम्भिक परीक्षण उत्पादन करने की आशा है, किन्तु उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार वे सीमित विस्तार (range) के पदार्थ बनायेंगे, जिसमें अधिक आवश्यक उच्च टन के बीच के उपज होंगे, जिसकी आवश्यकता दवाइयों, भेषज, विरंजक, नाशीकीट मार और अन्य रसायन उद्योगों में होती है।

कास्टिक सोडा

7041. श्री पार्थसारथी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कास्टिक सोडे का उत्पादन पर्याप्त तथा सन्तोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कास्टिक सोडे का कुछ मात्रा में निर्यात करने का विचार कर रही है; और

(ग) कास्टिक सोडा उद्योग की आवश्यकता पूरी करने के लिए इस समय कितना पारा आयात किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) देश कास्टिक सोडा के उत्पादन में आत्म निर्भरता की व्यवस्था पर हाल में ही पहुँचा है।

(ख) जी हां। कास्टिक सोडा और सोडा राख उद्योगों से सम्बन्धित कुछ मामलों के निरीक्षण के लिये हाल ही में अलकली उद्योग के लिये सरकार द्वारा गठित संयुक्त समिति को अन्य बातों के अलावा एक उपयुक्त निर्यात स्कीम बनाने की प्रार्थना की गई है। विशेषतयः कास्टिक सोडा और क्लोरीन उत्पादकों के लिये।

(ख) वर्तमान यूनिटों को बनाये रखने के लिये इस समय 75 मीटरी टन पारे की आयात की जा रही हैं।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त निगम की स्थापना

7042. श्री मरंडी :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक बैंकों ने केन्द्रीय सरकार को अपना एक प्रस्ताव भेजा है जिसके द्वारा कृषकों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें देने के हेतु एक कृषि वित्त निगम स्थापित करने के लिये तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) कब तक इसके क्रियान्वित हो जाने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पता लगा हैं कि वाणिज्यिक बैंक इस प्रकार के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं. पर सरकार या रिजर्व बैंक को औपचारिक रूप से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) से (घ) : (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

M/S. J. P. & Sons. Bombay

7043. **Shri O. P. Tyagi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hem Barua :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Srichand Goel :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Madhu Limaye :
Shri P. N. Solanki :
Shri D. S. Patil :
Shri Sonavane :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 4783 on the 6th July, 1967 and state :

(a) the amount realised from M/S J. P. & Sons as tax for the year 1962-63;

(b) the amount of income-tax paid by this firm from 1960 to 1967 so far, year-wise, and the value of goods sold by them to each customer separately, together with the names thereof;

(c) whether Government have ascertained the nature of their main business, the main proprietors and the partners of this firm;

(d) since when the enquiry has been in progress against this firm; and

(e) the time by which the enquiry into all these aspects will be completed ?

The Dupty Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Rs. 63

(b) Taxes paid are :

Assessment year	1960-61	Rs. 36/--
Assessment year	1961-62	Rs- 35/--
Assessment year	1962-63	Rs. 63/-

The particulars of sales to individual customers are not available on records.

(c) Yes. Sir.

(d) October, 1966.

(e) The enquiries are likely to be completed by the end of currert financial year.

आपगत जोखिम बीमा योजना कार्यालय को नई दिल्ली से शिमला ले जाना

7044. **श्री वासुदेव नायर :**
श्री एस्थोस :
श्री अब्राहम :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री नी० श्रीकान्तन नायर :
श्री कन्डप्पन :
श्री पीलू मोदी :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात जोखिम बीमा योजना कार्यालय को नई दिल्ली से शिमला ले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्यालय के कर्मचारियों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हा, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) - (क) हां ।

(ख) इसका कारण यह है कि सरकार का यह निर्णय है कि दिल्ली/नई दिल्ली में कोई नये कार्यालय स्थापित नही किये जायं और कुछ कार्यालयों को दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर भेजा जाय ।

(ग) नहीं ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई परियोजनायें

7045. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में कितनी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य बड़ी हद तक पूरा हो गया है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये कुल कितना धन खर्च होगा;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिये आवश्यक धन जुटाने के सम्बन्ध में राज्यों ने अपनी असमर्थता प्रकट की है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार का सम्बन्धित राज्यों को कितनी सहायता देने का विचार है ।

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु०ल० राव) : (क) 33 बड़ी सिंचाई योजनाओं का काम काफी आगे बढ़ गया है;

(ख) तृतीय योजना के अन्त पर इन परियोजनाओं के पूरा होने की कुल राशि 227 करोड़ रु० होगी ।

(ग) कुछ राज्यों ने इन परियोजनाओं के लिये शीघ्र पूरा करने के लिये आयोजित निधियों के बारे में कठिनाइयां व्यक्त की हैं ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाना

7046. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री शारदा नन्द :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के दिल्ली की गन्दी बस्तियों को हटाने तथा उनमें रहने वाले लोगों को बसाने के लिये बीस करोड़ रुपये मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) - (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Lift Irrigation Scheme in Madhya Pradesh

7048. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Irrigation** and power be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have submitted any lift Irrigation Scheme to the Central Government for their approval

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have given necessary sanction for the scheme; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power(Dr. K. L. Rao) : (a) Yes.

(b) The scheme provids for laying of 990 miles of 33 KV & 540 miles of 11 KV lines together with associated distribution substations and LV lines for energisation of about 9,100 irrigation pumps with an aggregate HP of 33,592,¼ mainly on the banks of nine of their perennial rivers, In addition, it is intended to elctrify about 970 v llages lying close tbese rivers.

(c) and (d) The scheme is not present under examination.

ऊपरी (अपर) कृष्णा परियोजना

7049. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऊपरी कृष्णा परियोजना के लिये और अधिक धनराशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

लूप पहनने से कैंसर

7050. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि लूप पहनने से कैंसर हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा०श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं। विक्षेषज्ञों की राय है कि लूप पहनने से कैंसर नहीं होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इम्फाल कस्बे के लिये वृहद् योजना

7051. श्री मेघचन्द्र : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने इम्फाल करने के निर्माण के सम्बन्ध में एक वृहद् योजना का नक्शा अनुमोदनार्थ तथा वित्तीय सहायता प्राप्ति के लिये केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्माण-कार्य पर कुल कितना खर्च आयेगा और क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त योजना की स्वीकृति दे दी है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता :

कृषि पुनर्वित्त निगम

7052. श्री पार्थसारथी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका सही कार्य क्षेत्र क्या होगा? और

(ग) क्या यह नल कूपों के लिये ट्रांसमिशन लाइनें लगाने के हेतु भी ऋण देगा ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना पहली जुलाई, 1963 को कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम 1963 के अधीन हुई थी ।

(ख) यह निगम हकदार संस्थाओं, अर्थात (क) राज्यीय सहकारी बैंकों, केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों और उन अनुसूचित बैंकों को, जो इसके शेयर होल्डर हों, तथा (ख) उन सहकारी

समितियों को (केन्द्रीय भूमि–बन्धक बैंकों से भिन्न संस्थाओं को) जिनको इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने मन्जूर किया हो, मुख्य रूप से, उनके द्वारा दिये गये ऋणों के बदले ऋण देकर खेती के लिए लम्बी और दरमियानी अवधि की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिन प्रयोजनों के लिए दिये ऋणों के बदले ऋण देने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वे ये हैं :–

(1) सिंचाई की सुविधाओं के उपयोग के लिए जमीन को खेती योग्य बनाना और तैयार करना ।

(2) खास-खास फसलों, जैसे सुपारी, नारियल, काजू, इलायची, कहवा, चाय, रबड़ आदि का विकास;

(3) मशीनी खेती का विकास और नलकूपों का बिजली से संचालन; और

(4) पशुपालन, दुग्धशाला-व्यवसाय, मछली-पालन (सहकारी मीनक्षेत्रों सहित) और मुर्गीपालन का विकास ।

(ग) निगम, नलकूपों के संचालन के लिए आवश्यक प्रेषण लाइनों के उस भाग के खर्च को पूरा करने के उद्देश्य से, किसानों को ऋण देने के लिए योजनाओं पर विचार करेगा, जिसकी वित्त व्यवस्था ऋण लेने वाले किसानों को करनी पड़ती है. बशर्ते कि खर्च उचित समझा जाय और योजना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो ।

Accommodation For Government Employees at Patna

7053. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :
Shri Chandra Sekher Singh :

Will the Minister of Works, Housing and supply be pleased to state :

(a) the total number of gazetted and non-gazetted employees of the Central Government working in Government Office at patna;

(b) the number of gazetted and non-gazetted employees who have been provided with accommodation; and

(c) the manner in which Government propose to arrange residential accommodation for those employees who have not been allotted quarters ?

The Dupty Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र

7054. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों के निकट करोड़ों रुपये के उपकरण तथा विदेशी मशीनें असुरक्षित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस लापरवाही के क्या कारण हैं तथा यदि कोई क्षति हुई है तो कितने की ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में शाक वाटिकायें (किचन गार्डन)

7055. **श्री बालगोविन्द वर्मा ।**
श्री प्र० के० खन्ना :
श्री राम सेवक :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधान मन्त्रित्व काल में शाक वाटिकायें लगाने के लिये लोगों को प्रोत्साहन तथा आवश्यक सहायता दी जाती थी, ताकि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को बढ़ाया जा सके;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली की बस्तियों में बनाई गई शाक वाटिकाओं को नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा, विशेष रूप में नई दिल्ली क्षेत्र में, नष्ट किया जा रहा है;

(ग) क्या इस बारे में सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां. तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई और इस बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सरकारी बस्तियों में शाक वाटिकाओं को नष्ट करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

घाना की मुद्रा का अवमूल्यन

7056. **श्री आत्म दास :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घाना ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और इस सम्बन्ध में भारतीय व्यापार को कितनी हानि पहुँची है; और

(ग) इस हानि को पूरा करने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख घाना द्वारा अवमूल्यन किये जाने से भारतीय मुद्रा स्थिति और विदेशी व्यापार पर प्राय: कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ग) भारत सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

Supply of Petrol to Ceylon

7057. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Ceylon intends to import petrol from India ;

(b) whether it is also a fact that the Chairman of the Oil Corporation of Ceylon has come to India for holding talks in this regard ;

(c) if so, whether Government have taken a final decision in the matter; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) to (c) Yes, Sir.

(d) M/s. Ceylon Petroleum Corporation will purchase about 15,000 tons of Petrol and 30,000 tons of H. S. D. Oil from the Indian Oil Corporation by September 1967.

Smuggling of Clove and Cinnamon From China

7058. **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri O. P. Tyagi :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that clove and cinnamon are being smuggled into India from China on a large scale ;

(b) whether Government have taken any action to detect it; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) There is some smuggling of cinnamon of Chinese origin through East Pakistan into the border areas and by sea on the Western coast. During the Period from January, 1966 to March, 1967 about 21,000 Kg. of cinnamon suspected to be of Chinese origin was seized. As far as the Government are aware, there is no smuggling of cloves of Chinese origin into India.

(b) and (c) Customs officers posted at various places have been alerted. Watch is also maintained at the principal market places for collecting intelligence.

पोर्ट कैनिंग परियोजना

7059. श्री प० गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय वसु :
श्री रमानी :
श्री उमानाथ :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पोर्ट कैनिंग परियोजना के प्रशासन की वर्तमान स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या उस उपक्रम के कुछ अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार तथा कपट के मामलों के बारे में जिसमें उन्होंने रुद्रसागर के तेल के कुएं की आग को बुझाने के लिये आसाम की सिबसागर परियोजना को बैराइटिस पाउडर भेजा था, की गई कुछ शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) सरकार को यह मालूम है कि इस परियोजना में आयोग के एक कर्मचारी ने परियोजना में हुई कुछ कार्यवाहियों के बारे में आरोप लगाये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जो इन मामलों की जांच कर रहा है, सरकार को बताया है कि जांच के पश्चात (ख) में बताये गये आरोपों को निराधार पाया गया। (क) में लगाये गये आरोपों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

Scarcity of Drinking Water in Madhya Pradesh

7060. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute scarcity of drinking water in Madhya Pradesh particularly in Khandwa city of East Nimad District ;

(b) if so, whether the Government of Madhya Pradesh have approached the Central Government for help in this regard ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) A team deputed by the Central Government to study the scarcity conditions in Madhya Pradesh reported in May, 1967 that scarcity conditions existed in 38 out of 43 districts in the State Presumably, Khandwa is also one of the drought affected areas.

(b) No specific request for financial assistance for providing water in the Khandwa city has been received.

(c) A sum of Rs. 6 crores has so far been sanctioned by the Government of India to the Madhya Pradesh Government in the current financial year towards relief expenditure. Out of this amount expenditure upto Rs. 30 lacs can be incurred for providing

drinking water. This amount is subject to adjustments into loans and grants as may be admissible under the pattern, on the basis of the figures of actual expenditure to be furnished by the State Government in due course.

केरल में समुद्र से भूमि का कटाव

7061. श्री प० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री चक्रपाणि :
श्री रमानी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि अब तक किये गये अवरोधक उपायों के बावजूद वर्षा ऋतु आरम्भ होने के साथ ही केरल-तट में कई स्थानों पर समुद्र से भूमि कट गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समुद्र तटवर्ती पट्टी को समुद्री जल से होने वाले कटाव से बचाने के लिये सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार समुद्र द्वारा भूमि का कटाव राज्य के कोजीकोड जिले में एलापुर तट और तानुर तट पर हुआ था ।

(ख) समुद्री तट के संरक्षण के कार्यक्रम को, जिसे प्रथम योजना के अन्त में आरम्भ किया गया था, जारी रखा जा रहा है। चतुर्थ योजना के दौरान राज्य में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने सम्बन्धी कार्यों के लिए केरल सरकार ने 6.50 करोड़ रु० के अस्थायी उपलब्ध का सुझाव दिया है ।

Targets of Power Production

7062. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4741 on the 6th July, 1967 and state :

(a) whether it is a fact that target for power production in the Fourth Plan upto 1970-71 is 2 crore kilowatts and that six per cent thereof, siz. 12 lakh kilowatts would be utilised on agriculture whereas 30 lakh kilowatts woul be required for irrigation alone ; and

(b) if so, the manner in which Government propose to bridge the gulf between demand and supply for agricultural purposes ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) The target of generating capacity for the Fourth Plan is 2 crores Kilowatts (i. e. 20 Million Kilowatts).

The figure of 30 lakhs Kilowatts (i. e. 3 million Kilowatts) is the sum total of the actual rated capacity of all the motors driving the pumps and the tube-wells and is expressed as KW connected load. The simultaneous peak demand will be much lower than this figure. Thus there is no problem of bridging the gulf between demand and

supply for agricultural purposes as the generating capacity has been planned adequately to cover the demand of 4,000 State tube-wells, 50,000 private tube-wells and 8 lakhs pumpsets. The 6% referred to is the percentage of energy (i. e. Kilowatt-hour) which is expected to be consumed for agricultural purposes through these pumps and tubewells, in relation to the total energy expected to be consumed for all purposes in 1970-71.

Rural Electrification in U.P.

7063. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4742 on the 6th July, 1967 and state the reasons for increased expenditure on rural electrification in Uttar Pradesh when power was supplied to lesser number of villages with the details of new items of expenditure ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : Expenditure on rural electrification during 1966-67 includes expenditure on electrification of villages as well as expenditure on energisation of pumpsets and tubewells. While a lesser number of villages was electrified in 1966-67, the increased expenditure under rural electrification was due to energisation of larger number of pumpsets and tubewells, in accordance with the re-orientation given to rural elctrification programmes for increasing food production.

Unutilised Land in U. P. Due to Floods

7064. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Ram Charan Lal :**
Shri Shiv Charan Lal : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 45 to 50 lakh acres of land in U. P. remains unutilised every year because of stagnant water, logging and recurring floods;

(b) if so, whether it is also a fact that the U. P. Government have asked for Rs. 3 crores for solving these problems and with a view to increasing agricultural yield; and

(c) if so, the action Government propose to take in this connection ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) On an average, about 18 lakh acres of cropped land in Uttar Pradesh are affected by floods annually. The area waterlogged was a little over 3,000 acres in 1966.

(b) and (c) No specific request has been received from the Government of U. P. for a Central assistance of Rs. 3 crores. Under the Flood Control programme, loan assistance is given to various State Governments for flood control, drainage, and anti-waterlogging and anti-sea erosion schemes as a part of Central assistance to State Plan schemes. The outlays for different heads of development and Central assistance for the current financial year to the various States have not yet been finalised.

L. I.C. Investment in U. P. Question

*7065. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Ram Charan :**
Shri Shiv Charan Lal : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it ts a fact that the Llife Insurance Corporation has invested only 4 crores of rupees in the industries of U. P. in the form of debentures and under writing;

(b) whether it is also a fact that the amount invested by the Corporation on this item in U. P. is the least as compared to all other States in the country;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether any request has been received from the U. P. Government to the effect that the Industrial Development Bank of India and life Insurance Corporation should purchase 75 percent of the total bonds issued or to be issued by State Investment Institutions and the State Government ; and

(e) if so, the action taken by Government thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Government have received no such request.

(e) Does not arise.

Per Capita Investment on Industries in U. P.

*7066. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Ram Charan :**
Shri Shiv Charan Lal : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the main cause of the under-development of industries in U. P. is that the Centre has invested little money there during the previous Five Year Plans as compared to the other States ;

(b) the per capita investment on industries in U. P., West Bengal and Madras States, respectively during the Third Plan;

(c) whether Government propose to provide more assistance to Uttar Pradesh during the Fourth Plan to compensate the State for this low investment ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) and (b) The total investment in Uttar Pradesh on Central Industrial Projects under the first three Five Year Plans estimated at Rs. 71 crores is highest amongst States except Bihar, Madhya Pradesh, Madras, Orissa and West Bengal. The per capita investment on Central industries in U. P., West Bengal and Madras States during the Third Five Year Plan was Rs. 10, Rs. 40 and Rs. 22 respectively. Investment in such industries during a Plan period is determined on national rather than local consideration.

(c) and (d) The investment on Central Industrial Projects in Uttar Pradesh is tentatively estimated at Rs. 125.3 crores during the Fourth Plan period. All relevant considerations were taken into account in determining the quantum of Central assistance for the State's Fourth Five Year Plan.

Investment By Scheduled Banks In U. P.

7067. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Ram Charan :**
Shri Shiv Charan Lal : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no scheduled bank at State level in Uttar Pradesh;

(b) if so, whether it is also a fact that the existing scheduled banks in U. P. do not invest money in this State in the proportion in which they receive deposits from U. P.

(c) if so, whether the Reserve Bank of India and the Government propose to provide active assistance in setting up and expanding of regional and district banks; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The import of the question is not very clear. There are three scheduled commercial banks which are registered in U. P., namely, the Bareilly Corporation (Bank) Ltd,, the Benaras State Bank Ltd. and the Hindustan Commercial Bank Ltd.

(b) As on 31-12-65, there were 22 scheduled commercial banks functioning in U. P. with 540 offices and deposits and advances aggregating Rs. 226 crores and Rs. 99 crores, respectively. The banks endeavour to meet the local credit requirements, but it would not be possible to insist that deposits collected by a bank from a given area should be utilised within that area alone as funds will be diverted to centres where they can be profitably utilised.

(c) and (d) It is the policy of the Reserve Bank to consolidate the banking system in the country by an orderly process of merger with a view to forming regional viable units which would be able to cater to the needs of trade and industry in their area of operation efficienty. There would be no objection on the part of the Reserve Bank to the establishment of a new banking company provided it satisfies statutory requirements and shows promise of growth. It may not, however, be possible to organise banks on a district basis as these may not be viable.

L. I. C. Investment in U. P. Question

7068. Shri Shiv Charan Lal : **Shri Ram Charan :**
Shri Molahu Prasad : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Life Insurance Corporation do not invest money in Uttar Pradesh in proportion to its annual receipts from that State;

(b) if so, whether it is also a fact that it is exercising discrimination between U.P., Madras and West Bengal in the matter of investment; and

(c) if not, the amount received by the Life Insurance Corporation from U. P., Madras and West Bengal during the last three years respectively and the amount out of it invested by the Corporation in industries in these States, State-wise ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Assistanee to States for Repairing Existing Irrigation Means

***7069. Shri Shiv Charan Lal :** **Shri Ram Charan :**
Shri Molahu Prasad : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the amount of as istance provided by the Central Government to U.P., Madras and West Bengal respectively during the last five years for repairing existing means of irrigation, for installing pumping sets on barges and boats, repairing existing tube-wells, installing new tube-wells, for activating idle tube-wells and for major means of irrigation; and

(b) the amount which will be provided to the above States for the said works during 1967-68 ?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K. L. Rao): (a) and (b) Assistance for repair of existing means of irrigation, for installing pumping sets on barges and boats, repairing existing tubewells and installing new tubewells, is given as a part of the Minor Irrigation Programme. Barring D. V. C. in West Bengal, other major means of irrigation in the three States of U. P., West Bengal and Madras are assisted by the miscellaneous development loans given for the State Plan as a whole. Separate amounts for the specific works mentioned are not therefore available.

Projects for U. P. in Third Plan

7070. Shri Shiv Charan Lal : **Shri Ram Charan :**
Shri Molahu Prasad : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only five projects involving an investment of Rs 110 crores were approved fot U. P. during the Third Five Year Plan :

(b) whether it is also a fact that all these five projeets have not been completed so far ;

(c) if so, whether the completion of projects sanctioned for West Bengal and Madras during this period is also being delayed ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Planning Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. LT—1238/67]**

Central Project in U. P.

7071. Shri Shiv Charan Lal : **Shri Ram Charan :**
Shri Molahu Prasad : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no Central Projects were set up in U. P. during the First and Second Five Year Plans ;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the number of central Projects set up in Madras and West Bengal respectively during the above period and the amount provided by the Government therefor ; and

(d) the reasons for this discrimination ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemical and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. LT—1239/67]**

बिजली की उत्पादन लागत

7072 **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री गं० च० दीक्षित :
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री शशि भूषण :
श्री बाबू नाथ सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप, पानी तथा परमाणु से पैदा होने वाली बिजली की तुलनात्मक उत्पादन लागत कितनी-कितनी है ; और

(ख) इन में से कौनसी बिजली किस किस राज्य के लिये उपयुक्त है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) आमतौर पर, तापीय बिजली घर, पनबिजली घर और अणु बिजली घर द्वारा बिजली बनाने की लागत क्रमशः 5 पैसे, 3 पैसे और 5.5 पैसे प्रति किलोवाट है । यह लागत बिजली घर के स्थान, वर्ष संचालन के घंटों आदि पर निर्भर करती है ।

(ख) पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों और गोदावरी घाटी में जहां कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है । तापीय बिजली घर सुगमता से स्थापित किये जा सकते हैं । आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, मैसूर, केरल, मध्य प्रदेश राज्यों में पनबिजली बनाना अधिक लाभप्रद हैं । ऐसे राज्यों में, जहां कोयला भी उपलब्ध नहीं है और पनबिजली के संसाधन भी उपलब्ध नहीं हैं, अणु बिजली घरों का स्थापित किया जाना आवश्यक समझा जाता है ।

किदवई नगर के सरकारी क्वार्टरों में मरम्मत आदि की शिकायतें

7073. **श्री लाखन लाल कपूर :**
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री राम चरण :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में 30 जून, 1967 तक किदवई नगर के टाइप एक के क्वार्टरों के निवासियों की ओर से सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत आदि के बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(ख) अब तक कितनी शिकायतों को दूर किया जा चुका है ; और

(ग) कितनी शिकायतों को दूर नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 5,760 ।

(ख) 5,736 ।

(ग) 24। इन शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाई इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि आवश्यक सामग्री स्टोर में तुरन्त उपलब्ध नहीं थीं। इन पर कार्यवाई की जा रही है।

M/s Mechanzies and Oriental Timber Trading Corporation Ltd.

7074. **Shri Tenneti Vishwanathan:**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri K. P. Singh Deo :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri K. M. Koushik :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Har Dayal Devgun :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5520 on the 13th July, 1967 and state :

(a) the amount of tax assessed and the mount on which this tax has been calculated for 1962 63 and 1963–64 respectively in regard to M/s Mechanzies Ltd. and the Oriental Timber Trading Corporation ;

(b) the time by which the investigation in regard to subsequent assessment years would be completed ;

(c) the finding of the investigation so far; and

(d) whether the findings of the investigations are being conveyed to the Central Government from time to time or whether they are conveyed only on being so required by the Central Government ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a)

	Income-assessed Rs.	Tax demanded Rs.
M/s Meckanzies Ltd.		
Assessment year 1962-63	5,18,190	2,59,095
M/s Oriental Timber Trading Corporation.		
Assessment year 1962-63	59,030	28,518
Assessment year 1963-64	65,040	31,770

(b) The investigations for the subsequent two assessments in these two cases are likely to be completed by the end of this year. Other assessment will take more time.

(c) Assessments so far made were in normal course. Investigations relating to all assessments, including those which have been completed, are still in progress and findings can be arrived at on their completion.

(d) The Income-tax authorities are competent to act on their findings and their findings are not normally conveyed to the Central Government unless specifically called for.

Scents For Family Planning

7075. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Atam Dass :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that scents are also useful in family planning ;

(b) whether it is also a fact that on the 21st February, 1963, the Vice-Chancellor of Delhi University had given some suggestions to the then Health Minister and Director-General of Health Services in this regard ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as available.

दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाना

7076. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में पानी की सप्लाई बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार ने एक नई योजना बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली में पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिये हरयाणा में एक जलाशय के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह अभी आरम्भिक अवस्था में है।

दिल्ली में पीने का पानी

7077. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि ओखला में पीने के पानी के स्रोत में ज्यों ज्यों गन्दगी बढ़ती जा रही है त्यों त्यों उसमें क्लोरीन की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) अगले वर्ष पानी की सप्लाई कितनी बढ़ा दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) ओखला में कच्चा पानी बजीराबाद और ओखला के बीच नदी में गिरने वाले तेरह नालों से खराब हो जाता है। तथापि जमीन के पानी को रैपिड ग्रेविटी फिल्ट्रेशन प्लांट में जिन साधनों से सामान्यतया शुद्ध किया जाता है उनके अतिरिक्त यहां से दिये जाने वाले पीने योग्य पानी में शुद्ध करने से पूर्व और उसके पश्चात क्लोरीन की मात्रा मिलाकर उसे पूर्णतया सुरक्षित कर लिया जाता है।

ओखला इन-टेक वर्क्स से ऊपर की ओर गिरने वाले 13 नालों में से 5 को पूरी तरह सीवरेज सिस्टम के अन्तर्गत कर दिया गया है। अन्य नालों से आने वाले कीचड़ को धीरे धीरे नदी में न गिरने देने के लिये दिल्ली नगर निगम कदम उठा रहा है।

(ग) ओखला स्रोत से दिये जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। हां, वजीराबाद स्रोत से अगले वर्ष 1 करोड़ गैलन प्रतिदिन की वृद्धि होने की सम्भावना है।

झील कुरंजा, दिल्ली

7078. श्री हरदयाल देवगुण : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में झील कुरंजा की पुरानी आबादी की भूमि दिल्ली विकास प्राधिकार की है ;

(ख) निष्क्रमणार्थियों द्वारा छोड़े गये खाली प्लाटों पर कितने शरणार्थी परिवारों ने कब्जा कर रखा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सभी निष्क्रान्त प्लाट झील कुरंजा दूध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड को आवंटित कर दिये गये थे ;

(घ) यदि हां, तो किस आधार पर ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त संस्था न तो कोई दूध का उत्पादन कर रही है तथा आवंटन की शर्तें भी पूरी नहीं कर रही है ;

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(छ) क्या जो शरणार्थी वहां पिछले लगभग 15 या 20 वर्षों से वहां रह रहे हैं उन्हें कोई भूमि दी जायेगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 640।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्नाधीन प्लाटों को पुनर्वास मंत्रालय के संकेत पर; कि इन्हें उन विस्थापितों को आवंटित किया जाये जो कि दूध उत्पादक थे तथा जिन्होंने संसद के सदस्य के रूप में अपना नाम लिखा लिया है; झील कुरंजा दूध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड को आवंटित कर दिये गये थे।

(ङ) संस्था के कुछ सदस्य दूध का उत्पादन कर रहे हैं, किन्तु आवंटन की शर्तें पूरी तरह से नहीं निभाई हैं।

(च) मामला अभी विचाराधीन है।

(छ) झुग्गी-झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत पात्र अनधिकृत दखलकारों को वैकल्पिक वास दिया जायेगा।

गुजरात शोधनशाला में हल्के डीजल तेल का उत्पादन

7079. श्री रा०रा० सिंह देव : श्री वीरेन्द्र नाथ देव :
श्री दीपा : श्री दे० प्रभात :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तेल शोधक कारखाने में हल्के डीजल तेल का उत्पादन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन किया जायेगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) गुजरात शोधनशाला में हल्के डीजल तेल का उत्पादन शुरू भी हो चुका है।

(ख) और (ग) तेल के उत्पादन की मात्रा सम्भवतः प्रतिवर्ष 1,00,000 से 1,50,000 टन होगी।

समाचार पत्र उद्योग पर कर

7080. श्री शिव चंद्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार-पत्र उद्योग को किसी न किसी रूप में कर देने पड़ते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये कर क्या क्या है तथा वर्ष 1966-67 में करों के रूप में कितनी राशि दी गई ;

(ग) क्या समाचार-पत्र उद्योग द्वारा कर अपवंचन का कोई मामला सामने आया हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी भाई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Development Works Sanctioned by Patel Commission

7081. Shri Nageshwar : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the time by which Sujanganj-Maharajganj road, Maharajganj-Badarpur road and Badarpur–Trikoliya road sanctioned by Patel Commission are likely to be completed;

(b) the time by which the construction of bridges which are to be constructed over Sai river on Sujanganj-Maharajganj road and over Gomati river on Badarpur-Trikoliya road are likely to be started ; and

(c) the time by which these birdges are likely to be completed ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemical and Social Welfare (Shri Ashoka Mehta) : (a) to (c) The State Government has been requested to furnish the necessary information. The same will be placed on the Table of the House as soon as this becomes available.

Rihand Dam

7082. Shri Nageshwar : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the names of States to which electricity is supplied from Rihand Dam and the wattage of electricity supplied to each of those States ; and

(b) the State-wise area irrigated with the water coming from Rihand Dam at present ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) The entire power generated at the Rihand Dam power station is utilised in Uttar Pradesh at present. But after the 132 kv line and substation, connecting the Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Grid systems are ready by about September 1967, 15% of energy generated at Rihand will be supplied to Madhya Pradesh.

(b) The tail race waters from Rihand are the main source of water in the Sone river in the Rabi season when approximately 3 lakh acres of land in Bihar are irrigated.

Slum Clearance in Madhya Pradesh

7083. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have submitted any Scheme to Government for clearance of slum areas in the State and for improving present sanitary conditions in the State; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) No. The State Governments are not required to submit their projects for clearance and improvement of slums to the Government of India for sanction. They are themselves competent to sanction such projects formulated by themselves or by other construction agencies in their States. The Central financial assistance is released to them every year on the basis of the expenditure incurred by them under the Scheme.

आदिवासियों द्वारा सामूहिक रूप से मृत्युपर्यन्त उपवास

7084. श्री देवराव पाटिल :
श्री तुलसीदास जाधव :
श्री टी० ए० पाटिल :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर तथा अन्य अनेक राज्यों में रहने वाले आदिवासियों ने लोक सभा के वर्तमान सत्र के दौरान संसद भवन के सामने सामूहिक रूप से मृत्युपर्यन्त उपवास करने का आह्वान किया है ;

(ख) क्या इस मृत्युपर्यन्त उपवास का ध्येय यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले आदिम जातियों को अनुसूचित आदिम जाती मनवाया जाये और लोकुर समिति की सिफारिश के अनुसार कुछ क्षेत्रों से प्रतिबन्ध उठवाये जायें और चालू समय में इस विषय में संसद में एक विधेयक पुरः स्थापित करवाया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो आदिवासियों की मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज कयाण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी सेवा मंडल के प्रधान सचिव का एक पत्र सरकार को मिला है जिसमें कहा गया है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में संशोधन सम्बन्धी विधेयक जुलाई, 1967 के अन्त तक पारित नहीं हुआ तो वह प्रधान मंत्री के निवास स्थान या लोक सभा के सामने अनिश्चित काल तक मृत्युपर्यन्त उपवास रखेगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के दोहराये जाने का समूचा प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था, चंडीगढ़ के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन समिति

7085. **श्री हरदयाल देवगुण:** **श्री बलराज मधोक :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था के बारे में जांच करने के लिये पंजाब की भूतपूर्व सरकार ने एक पुनर्विलोकन समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) उनमें से कितनी सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं और शेष सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) अधिस्नातक शिक्षा एवं अनुसधान संस्थान चण्डीगढ़ ने कितनी प्रगति की है तथा इस संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये इसके भावी विकास की रूप-रेखा कैसी होनी चाहिए जैसे विषयों में सलाह देने के लिए अगस्त 1966 में पंजाब की भूतपूर्व सरकार ने एक पुनरीक्षा समिति नियुक्त की थी।

(ख) इस समिति की सिफारिशों के सारांश का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1240/67]**

(ग) पंजाब की भूतपूर्व सरकार ने सीनियर लेक्चरारों के पदों की समाप्ति के आदेश दिये थे। मुख्यायुक्त चण्डीगढ़ ने इस आदेश को क्रियान्वित किया। 1 अप्रैल 1967 को इस संस्थान ने 1966 के अधिनियम संख्या 51 के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अनुरूप ही एक सांविधिक निकाय का दर्जा प्राप्त किया। पुनरीक्षा

समिति की अन्य सिफारिशों की जांच की जा रही हैं और बजट व्यवस्था के अनुसार उनका क्रियान्वयन किया जायेगा ।

यमुना नगर के निकट 'सोम' नदी का मार्ग बदलना

7086. श्री आत्म दास : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना नगर के निकट सोम नदी अपना बहाव बदल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस नदी ने अपने मार्ग परिवर्तन द्वारा कितनी कृषि योग्य भूमि को बेकार बना दिया है ; और

(ग) इस क्षेत्र के निवासियों को इस विपत्ति से बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) हरियाना सरकार ने सूचना दी है कि यह नदी अपना मार्ग नहीं बदल रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

पथरडु और हरदुआगंज विद्युत स्टेशन

7087. **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल और हरिद्वार स्थित हैवी इलेक्ट्रीकल्स अगले दो-तीन वर्षों तक, पहले किये हुए करारों के कारण, इस स्थिति में नहीं हो सकेंगे कि वे पथरडु और हरदुआगंज विद्युत स्टेशन के विस्तार के लिए अपेक्षित मशीनरी दे सकें ;

(ख) क्या सरकार उपरोक्त बिजली घरों के विस्तार के लिये अपेक्षित मशीनरी को रूस से मंगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ग) क्या हाल ही में किसी गैर-सरकारी उपक्रम को भी उनके तापीय बिजली घरों के विस्तार के लिये बिजली पैदा करने वाली मशीनों को आयात करने की अनुमति दे दी गई ; और

(घ) यदि हां, तो क्या देश के सरकारी उपक्रमों के लिये उक्त उपक्रम को आवश्यक मशीनरी दे सकना संभव नहीं है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं । पथरडु और हरदुआगंज बिजली घरों के लिये विद्युत जनित्र, सम्बन्धित परियोजना प्राधिकारों द्वारा किये

गये करारों के अनुसार भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा उसके हैदराबाद और त्रिचुरापल्ली कारखानों से दिये जाने हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जल विद्युत परियोजनाओं के परियोजना प्रतिवेदन

7088. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1948 से 1966 तक की अवधि में देश के विभिन्न भागों में कितनी और किन किन जल-विद्युत योजनाओं के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को सौंपा गया था ; और

(ख) ऐसे कितने मामलों में परियोजना प्रतिवेदन तैयार हो गये हैं, तथा प्रत्येक परियोजना प्रतिवेदन को तैयार करने में पृथक-पृथक कितना समय लगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी बताने वाला तक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1241/67]**

विवरण में उल्लिखित परियोजनाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को विभिन्न राज्यों में कई माइक्रो हाइडल परियोजनाओं को तैयार करने का काम भी सौंपा गया था ।

पुनसा जल विद्युत स्टेशन की परियोजना रिपोर्ट

7089. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा पर पुनसा जल विद्युत स्टेशन की जांच और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को सौंप दिया था ;

(ख) यदि हां, तो यह आवेदन कब किया गया था ;

(ग) क्या परियोजना रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) नवम्बर, 1947 में बम्बई तथा सी०पी० और बरार की भूतपूर्व सरकारों की प्रार्थना पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने, 1949 में पुनासा पन विद्युत परियोजना पर आवश्यक जांच आरम्भ की थी। परियोजना प्रतिवेदन तैयार करके 1954 में मध्य प्रदेश सरकार को भेजा गया था। बाद में 1959 में बम्बई और मध्य प्रदेश सरकारों की प्रार्थना पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आवेग ने, पुनासा जलाशय से सिंचाई की संभावनाओं और हरसूद नगर के संरक्षण पर, जिसमें कि पानी आने का खतरा था, जांच आरम्भ की। यह जांचें पूरी करके मई, 1963 से मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिवेदन भेज दिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औपचारिक रिपोर्ट आने के पूर्व परियोजना के कार्य आरम्भ करना

7090. **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों में किसी तापीय विद्युत परियोजना अथवा जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में औपचारिक स्वीकृति तथा अन्तिम परियोजना प्रतिवेदन के मंजूर किये जाने से पहले विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिये बातचीत की कई थी तथा प्राप्त की गई थी, निर्माताओं को संयंत्र तथा मशीनों के लिये क्रयादेश दिये गये थे और काम आरम्भ करने की अनुमति दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) जी हां, निम्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में :—

आसाम

गोहाटी 30 मेगावाट (तापीय)

उमियम II चरण 2 × 9 मेगावाट × 1 × 100 मेगावाट (तापीय)

बिहार

पथराट 2 × 50 मेगावाट जमा 2 × 100 मेगावाट (तापीय)

महाराष्ट्र

नागपुर 2 × 125 मेगावाट (तापीय)

उड़ीसा

बलीमेला 6 × 60 मेगावाट (पन बिजली)

उत्तर प्रदेश

यमुना 1 × 3 × 11 मेगावाट जमा 3 × 17 मेगावाट (पन बिजली)

ओबरा तापीय 5 × 50 मेगावाट (तापीय)

पश्चिम बंगाल

दुर्गापुर 2 × 30 मेगावाट (तापीय)

1 × 75 मेगावाट (तापीय)

दामोदर घाटी निगम

चन्द्रपुरा— I 2 × 140 मेगावाट (तापीय)

चन्द्रपुरा— II 1 × 140 मेगावाट (तापीय)

दुर्गापुर — III 1 × 140 मेगावाट (तापीय)

ऐसे सभी मामलों में योजनाओं को आयोजना में शामिल किया गया था। इन योजनाओं की क्रियान्विति को केन्द्रीय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों की सम्मति प्राप्त थी और कार्यकारी दल की बैठकों में वार्षिक चर्चाओं के अनुसार योजनाओं के लिये विधियां दी गई थीं।

Floods in Karnal District (Haryana)

*7091. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that five villages of Karnal have been engulfed by floods in Ghaggar river ;

(b) if so, the number of persons rendered homeless and the estimated loss caused thereby;

(c) whether on the basis of the last year's experience, any precautionary measures have been adopted this year for protection against floods ; and

(d) the action proposed to be taken by Government to render immediate assistance to the flood-affected people ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes, these were affected slightly by floods in the Ghaggar.

(b) The State Government have reported that no person was rendered homeless and that the damage to crops was negligible.

(c) Yes, the weaker sections of the embankment have been strengthened and some flood protection and drainage improvement schemes have been taken up.

(d) Does not arise.

Floods in Jalpaiguri and Cooch-Behar Districts

*7092. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Atam Das :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that thousands of people have been rendered homeless as a result of recent floods in Jalpaiguri and Cooch-Behar Districts;

(b) if so, whether on the basis of the previous years' experiences, and precautionary measures were adopted this year for protection from the floods;

(c) the steps taken by Government for giving immediate relief to the flood-stricken people ; and

(d) the estimated loss due to floods ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) According to reports received from the Government of West Bengal, most of the rivers in the districts of Jalpaiguri and Cooch Behar were in floods during the earlier part of July, 1967. Over a lakh of people were affected by these floods and about 620 houses damaged.

(b) Steps were taken by the State Government to keep the flood emabnkments under constant watch and arrangements were made for the issue of timely flood warning messages to the district authorities.

(c) Immediately on the occurence of floods the State Government took prompt steps for rescue work and for emergency gratuitous relief. Relief Camps have been organised and besides cash grants, relief in kind such as Chira, Gur, Atta, etc., were distributed. Arrangements for distribution of dnoties, Sarees and Children's garments were made. A sum of Rs. 1.85 lakhs has been sanctioned by the State Government so far for emergency gratuitous relief, house building grants etc. The State Government propose to give further house building grants and agricultural loans after the assessment of the actual damage is made.

(d) According to information received from the State Government, in Jalpaiguri and Cooch Behar about 700 sq. miles have been affected by floods, involving 131 villages. About 620 houses have been damaged and 3 lives and 34 heads of cattle have been lost. A cropped area of about 18,000 acres has been affected. There have been some minor damages to engineering strucrures also.

The areas protected by flood control works in these two districts have not been affected by these floods.

गर्भपात सम्बन्धी कानून को उदार बनाने तथा विवाह की आयु बढ़ाने के बारे में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार

7093. **श्री श्री चन्द्र गोयल :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जुलाई 1967 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लड़कों तथा लड़कियों के लिए विवाह की आयु बढ़ाने के बारे में सर्व सम्मति से मांग की गई थी;

(ख) क्या इस सम्मेलन में गर्भपात सम्बन्धी कानून को उदार बनाने तथा तीन से अधिक बच्चों वाले पिताओं के लिये अनिवार्यत: नसबंदी करवाने की भी मांग की गई थी ; और

(क) इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां, लड़कों तथा लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाने से सम्बन्धित मांग में लगभग सर्वसम्मति थी।

(ख) जी हां।

(ग) ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

नागा विद्रोहियों द्वारा 24 जुलाई, 1967 को मनीपुर के तामेन्लोंग क्षेत्र में 18 सैनिकों की हत्या के समाचार

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : श्रीमान, मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"नागा विद्रोहियों द्वारा 24 जुलाई, 1967 को मनीपुर के तामेन्लोंग क्षेत्र में 18 सैनिकों की हत्या का समाचार।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : 15 जुलाई को मैंने सभा को सूचना दी थी कि नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिये सेना को बुला लिया गया है और वह इम्फाल तामेन्लोंग सड़क पर 12 जून की घटनाओं से सम्बन्धित लोगों का पता लगा रही है। तामेन्लोंग सब-डिविजन के थियोगांग गाँव में लगभग 200 विद्रोहियों की उपस्थिति के बारे में गुप्तचरों की सूचना मिलने पर सेना की एक टुकड़ी, जिसमें एक अफसर, दो जे० सी० ओ० और 35 दूसरे सैनिक थे, 24 जुलाई को प्रात: उस क्षेत्र में खोज के लिये चल पड़ी। इस कार्यवाही के दौरान सैनिक दस्ते पर विद्रोहियों ने स्वचालित शस्त्रों तथा राइफलों से गोलियां चलाई। इसके पश्चात् लम्बे समय तक मुठभेड़ हुई। अन्तिम समाचारों के अनुसार हमारे एक अफसर तथा दो जे० सी० ओ० सहित 19 व्यक्ति मारे गये। दो दूसरे सैनिक भी लापता हैं। यह समझा जाता है कि विद्रोहियों के भी बहुत से लोग मारे गये हैं। वहां पर और सैनिक तुरन्त भेज दिये गये हैं और कार्यवाही अभी चल रही है। उसे और भी तेज कर दिया गया हैं। मृतकों तथा घायलों को वहां से हटा दिया गया है। यह विश्वास करने के कई कारण हैं

कि विद्रोहियों के कुछ गिरोह हैं जो 12 तारीख को इम्फाल-तामेगलोंग सड़क के 52 वें मील पर घात लगा कर हमला करने के जिम्मेदार हैं। और विवरण प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

सरकार सैनिकों की वीरता की प्रशंसा करती है और हमें मृतक व्यक्तियों के परिवारों के साथ बहुत ही सहानुभूति है।

छापा मारने वालों में मिजो तथा कुकी शामिल है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : कुकी लोगों को शस्त्र कहां से मिल रहे हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उन्हें शस्त्र मिजो तथा नागाओं से प्राप्त हो रहे हैं।

Shri K. N. Tiwary : I would like to know whether the kukies and Nagas have established certain contacts with the Nagas.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस क्षेत्र में अधिकांशतः नागा रहते हैं। मिजो तथा कुकी वहां नागाओं की सहायता के बिना कार्यवाही नहीं कर सकते।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : क्या सरकार अब इस बात पर विचार करेगी कि सेना को नागाओं का सफाया करने अथवा उन्हें गिरफ्तार करने और शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिये कहा जाये ? मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या चीनी तथा पाकिस्तानी सैनिक वहां हमारी सेना पर आक्रमण करने में नागाओं की सहायता करते वहां देखे गये हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमारी सेना वहां आवश्यक कार्यवाही कर रही है। यह ठीक नहीं है कि चीनी तथा पाकिस्तानी सैनिक वहां देखे गये हैं।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : It appears from the reply of the hon. Minister that these are minor accidents. I would like to know whether the Minister is aware that during these stairmishes papers were discovered signed by the officer commanding of Eagle Brigade which shows the establishment of a separate Mizoam State and compelling the people to pay the taxes. I would like to know the concrete steps being taken by the Government in the matter.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि मेरे उत्तर से यह समझा गया है कि मैंने इन घटनाओं को छोटी-मोटी घटनायें बताया है तो मैं इसके लिये क्षमायाचना करता हूँ। यह घटनायें बहुत गम्भीर हैं। और हमारी 35 सैनिकों तथा दो अफसरों की टुकड़ी ने बड़ी वीरता से 200 व्यक्तियों का सामना किया है और देश के लिये अपनी जानें दी हैं।

मैं दस्तावेजों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता परन्तु मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि ऐसे तत्वों का वहां से सफाया करने के प्रयत्न एक मात्र ऐसे प्रयत्न हैं जो हमें वहां करने हैं।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान, मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1060 की एक प्रति जो दिनांक 15 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1217/67]**

2. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

   (एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (18 वां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 15 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1073 में प्रकाशित हुए थे।

   (दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (19 वां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 15 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1074 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1219/67]**

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION BY A MEMBER

श्री रंगा (काकुलम) : मैंने 24 जुलाई को वित्त विधेयक पर अपने भाषण में कहा था कि मेरे पास ऐसे उद्योगों की सूची है जिनका उत्पादन कम हुआ है। वास्तव में मैं यह कहना चाहता था कि मेरे पास ऐसे उद्योगों की सूची है जिनमें 1966 के अन्त में वार्षिक उत्पादन की औसत के अनुपात से संचित स्टाक और भी बढ़ता जा रहा है और इसी कारण उन्हें अपनी चालू उत्पादन की गति मंद पड़ रही है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*

मैं सभा से पहले कही गई गलत बात के लिये क्षमा चाहता हूँ।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छठा प्रतिवेदन

संसद-कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 26 जुलाई, 1967 को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 26 जुलाई, 1967 को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है ।"

श्री स० मो० बनजी (कानपुर) : मंहगाई भत्ता के बारे में गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा अगले सप्ताह की जानी चाहिये और अवैध गतिविधियां (निवारण) विधेयक को अगले अधिवेशन तक स्थगित करके एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन तथा हजारी प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये पांच घटे का समय दिया जाना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार को इन प्रतिवेदनों पर चर्चा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु हम अवैध गतिविधियां (निवारक) विधेयक को अगले सत्र तक स्थगित करने के लिये तैयार नहीं हैं । मंहगाई भत्ते सम्बन्धी प्रतिवेदन पर हम उसी सत्र में चर्चा करने के लिये सहमत हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : One hour has been allotted for motion under rule 193 where as the Business Advisory Committee wanted two hours for the purpose.

उपाध्यक्ष महोदय : आधा घन्टा पीठासीन अधिकारी के स्वविवेक में दिया जा सकता है ।

Shri Madha Limaye (Monghyr) : I had tabled a motion of privilege regarding the harassment of Shri Virendra Shah a Member of this House by the police. I would like to know whether information regarding this has been obtained from the officers of Maharashtra.

उपाध्यक्ष महोदय : हम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 26 जुलाई, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

वित्त (संख्या 2) विधेयक–जारी

FINANCE (No. 2) BILL–CONTD.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वित्त विधेयक पर खण्डशः चर्चा आरम्भ करेंगे ।

खण्ड 2

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 18, 19, 20 तथा 21 प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या 18, 19 तथा 20 का सम्बन्ध खण्ड 2 (4) के संशोधन से सम्बन्धित है । निर्यात के सम्बन्ध में कर-लाभ केवल 5 जून, 1966 तक सीमित रखा गया है । उसे इस आधार पर बन्द किया गया है कि अवमूल्यन के कारण निर्यात बढ़ जायेगा । वे कर-लाभ 1962–63 में शुरू किये गये थे । उस समय तथा अवमूल्यन के बीच अर्थात् 1962 तथा 1966 के बीच निर्माण लागत तथा सामान्य मूल्यों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है । इसके फलस्वरूप अवमूल्यन से होने वाला लाभ निर्यात से होने वाले लाभ से प्रति संतुलित हो गया है । इसलिये, वित्त मंत्री ने 1962–63 में जिन कर राहतों को उचित बताया था, वह अब भी वैसे ही उचित हैं ।

मेरा संशोधन संख्या 21 केवल मौखिक हैं क्योंकि इसका सम्बन्ध "औद्योगिक समवाय" की परिभाषा को विस्तृत बनाने से है । मेरा सुझाव यह है कि "Manufacture" ["बनाना"] शब्द के बाद "or production" शब्द जोड़े जायें ।

श्री हिम्मतसिंहका (गोडा) : माननीय मंत्री निर्यात का महत्व जानते हैं । जब तक कुछ सहायता देकर निर्यात को बढ़ावा न मिले, तब तक यह कठिन है । अवमूल्यन के बाद, पटसन की वस्तुएं पाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गई हैं क्योंकि हमने कुछ अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाये हैं जबकि पाकिस्तान ने कुछ प्रोत्साहन दिये हैं । अतः देश के हित में हमें निर्यात को बढ़ावा देना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्रीमान, मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं । निर्यात बढ़ाने के लिये जो रियायतें दी गई है, वे बिल्कुल पर्याप्त हैं । इससे यह निश्चित नहीं होता कि निर्यात शुल्क अथवा उत्पादन शुल्क के बारे में कुछ और रियायतें देने से ही निर्यात में वृद्धि अवश्य हो जायेगी ।

अवमूल्यन के पक्ष में मुख्य बात यह है कि इससे हमारे निर्यात की परम्परागत वस्तुओं की विदेशों में अधिक सस्ते मूल्यों पर विक्रय में सहायता मिलेगी । परन्तु हम देखते हैं कि अवमूल्यन के पश्चात 12 मास में पटसन की वस्तुओं का निर्यात वास्तव में कम हो गया है । वास्तविकता यह है कि भविष्य में लेन-देन के सौदों में सट्टे जैसी दूसरी बातें भी हैं जिसके कारण निर्यात उद्योग विशेषतयः पटसन उद्योग नष्ट हो रहा है । इस मामले का सम्बन्ध केवल सरकार से छूट अथवा रियायतें आदि प्राप्त करना ही नहीं है ।

श्री मोरारजी देसाई : अवमूल्यन के बाद यह रियायतें बन्द कर दी गई थी। वित्त मंत्री बनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अब यह रियायतें पुनः देना आवश्यक नहीं है। सरकार कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं दोहराना चाहती जिससे हम कठिनाइयों में पड़ गये थे। मैं नहीं समझता कि इससे निर्यात को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा। इससे केवल यही होगा कि निर्यातकों को लाभ अधिक मिलेगा। यदि सरकार यह देखे कि लाभ बहुत कम है तो उन्हें सहायता देने के अन्य तरीकों पर विचार किया जा सकता है। इसलिये मैं संशोधन संख्या 18, 19 तथा 20 के विरुद्ध हूं।

संशोधन संख्या 21 के अनुसार किया जाने वाला संशोधन आवश्यक नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 18, 19 तथा 20 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos 18, 19 and 20 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendments No. 21 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है।

श्री मां० रु० मसानी (राजकोट) : इस खण्ड द्वारा वार्षिकी जमा योजना की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ाई जा रही है। जब अगले वर्ष इसे समाप्त करने का विचार है तो इसे अभी क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाता। वार्षिकी जमा योजना की अवधि बढ़ाने वाले इस खण्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : आयकर विवरण सम्बन्धी नया प्रपत्र बड़ा जटिल है। कर दाता को वार्षिकी की राशि की वापसी आदि का हिसाब लगवाना पड़ता है। वार्षिकी जमा योजना से लगभग 14 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं जो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। जब भी संभव हो वित्त मंत्री को यह योजना समाप्त कर देनी चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The annuity deposit scheme is full of complications. There has been a talk of simplification of taxation system. Government can collect money by some other methods. This scheme should therefore be dropped as soon as possible. Even C. D. S. was better than this annulty deposit scheme.

श्री मोरारजी देसाई : आय कर कानून को सरल बनाने में समय लगेगा। यदि अनिवार्य जमा योजना का विरोध न किया जाता तो यह वार्षिकी योजना लागू ही नहीं की जाती। मुझे भी यह वार्षिकी योजना बहुत अधिक पसन्द नहीं है और अगले वर्ष तक मैं इसके बारे में अवश्य ही कोई निर्णय कर लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य अपने संशोधन पेश करना चाहें वह उनको पेश कर सकते हैं।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 22, 23, और 255 प्रस्तुत करता हूं।

मेरे संशोधन कुछ कुछ टेक्नीकल हैं। मैं उन्हें स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। संशोधन संख्या 22 विलीनीकरण की परिभाषा के बारे में है। विलीनीकरण सम्बन्धी उपबन्ध बहुत अच्छे हैं और उनसे औद्योगिक ढांचे के पुनर्नठन तथा सुधार और अलाभकारी एककों को खत्म करने तथा अग्रेतर विकास की संभावनाएं उज्ज्वल बनाने में काफी सहायता मिलेगी। परन्तु उन्हें और अधिक कारगर बनाने के लिये "विलीनीकरण" की परिभाषा में परिवर्तन करना जरूरी है जैसा कि संशोधन संख्या 22 और 225 में सुझाया गया है ताकि विलय के बाद बनी कम्पनी में विलीन होने वाली कम्पनी के शेयरों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सके।

मेरा संशोधन संख्या 23 अधिक महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य भी विलीनीकरण की इस प्रक्रिया के एक अन्य शेष को दूर करना है।

श्री मोरारजी देसाई : संशोधन 22 का मंशा विलीनीकरण के समय दोनों कम्पनियों के बीच कुछ परिवर्तन करने का है। इस संशोधन का प्रस्तुत करने का कारण यह प्रतीत होता है कि विलय से पहले कम्पनी 'ख' में कम्पनी 'क' के जो शेयर थे उन्हें विलय करते समय रद्द करना पड़ेगा या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांरित करना होगा क्योंकि कम्पनी 'ख' अपने

शेयर नहीं रख सकती है । माननीय सदस्य जिस शर्त में परिवर्तन कराना चाहते हैं वह तो आय कर अधिनियम में बहुत पहले से है और कम्पनियों के विलय सम्बन्धी समवाय अधिनियम 456 के विद्यमान उपबन्धों की योजना के अनुरूप है । कानूनी परामर्शदाताओं ने मुझे परामर्श दिया है कि जब न्यायालय कम्पनियों के विलय की अनुमति देते हैं सभी आवश्यक व्यवस्था कर दी जाती है जिससे हस्तांतरणकर्ता कम्पनी की सारी सम्पत्ति विलय के बाद हस्तांतरी कम्पनी की सम्पत्ति बन सके ।

इस संशोधन को स्वीकार करने से होने वाले परिवर्तन समवाय अधिनियम के समवायों के विलय सम्बन्धी उपबन्धों के अनुरूप नहीं होंगे । मेरी राय में यह संशोधन आवश्यक नहीं है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

संशोधन संख्या 255 से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जहां समवाय अपने शेयर रख सकेगा जो कि समवाय अधिनियम की धारा 77 के उपबन्धों के सर्वथा प्रतिकूल है । इसलिये मैं इसे भी स्वीकार नहीं कर सकता ।

संशोधन संख्या 23 आय कर अधिनियम की धारा 222 'क' में 'लाभांश' शब्द की परिभाषा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है । इसके सम्बन्ध में भी कानूनी परामर्शदाताओं ने मुझे परामर्श दिया है कि कम्पनियों के विलय के मामले में यह उपबन्ध लागू नहीं होता । इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 22, 23 और 255 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos 22, 23 and 255 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5, 6, और 7 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 5, 6 and 7 were added to the Bill.

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 म० प० बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 म० प० बजे पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1967–जारी

Finance (No. 2) Bill, 1967–Contd.

खण्ड 8

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन सख्या 120 प्रस्तुत करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्री नारायण दांडेकर : मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि जब दो कम्पनियों का विलय हो तो उन्हें वही राहत पाने का अधिकार होना चाहिये जो उन्हें पहले प्राप्त था । मैं विलय होने वाली कम्पनी की हानि को उस कम्पनी के, जिसमें वह विलय होती है, लाभ के लिये दिखाए जाने की वकालत नहीं कर रहा हूं । इससे जिस प्रकार का कदाचार हो सकता है वह कोई नहीं चाहता । मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि विलय होने वाली कम्पनी की आस्तियों जिन पर मूल्य ह्रास भत्ता मिल सकता है पर उस मूल्यह्रास भत्ते को जिसे पर्याप्त लाभ न होने के कारण पूरा प्रभाव नहीं दिया जा सका है । विलय के बाद बनने वाली कम्पनी को अपने यहां दिखाने की अनुमति होनी चाहिये ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : श्री दांडेकर ने जो कुछ कहा है उससे अधिक मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता ।

श्री मोरारजी देसाई : हमारा उद्देश्य प्रत्येक कम्पनी के विलय की अनुमति देना नहीं हैं । केवल उन्हीं कम्पनियों का विलय होने दिया जायेगा जिनके विलय से देश को लाभ होगा और उत्पादन बढ़ेगा । सभी प्रकार की कम्पनियों को इसलिये विलय की अनुमति नहीं दी जायेगी कि वे अपने घाटे को अन्य कम्पनियों के लाभ के बराबर कर सकें और इस प्रकार सरकार को आयकर से वंचित कर सकें । न ही हम एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं । इसलिये मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 24 और 120 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos 24 and 120 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9–(धारा 33 का संशोधन)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूँ ।

एक उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण यह संशोधन जरूरी हो गया है । वह इस आशय का हैं । यदि अधिनियम कहता है केवल 'विकास छूट का शेष' और यदि किसी मामले में विलय होने वाली कम्पनियों ने विकास छूट के किसी भाग का उपयोग नहीं किया है तो सारी विकास छूट को आंच आयेगी न कि विकास छूट की बकाया राशि को । मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री की ऐसी मंशा नहीं थी । इसलिये इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री मोरारजी देसाई : ऐसा मामला तो उसी अवस्था में उत्पन्न हो सकता है जबकि कोई कम्पनी घाटे पर चल रही हो और उसने अपने कारोबार के लिये मशीनें या जहाज आदि खरीदे हों और तभी वह किसी अन्य कम्पनी में मिल जाये । इस उपबन्ध का उद्देश्य गलत कम्पनियों के विलय को रोकना जरूर है । इससे और कोई बाधा उपस्थित नहीं होती । मैं इस संशोधन पर विचार करूंगा और कुछ कर सकूंगा । इस समय मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री नारायण दांडेकर : इस आश्वासन को दृष्टि में रखते हुए मैं इस संशोधन पर जोर नहीं देता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 25 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

Amendment No. 25 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूं ।

यह बिल्कुल पहले संशोधन जैसा ही है । केवल अन्तर यह है कि यह विकास भत्ते के बारे में है । यदि मंत्री महोदय इस मामले पर विचार...

श्री मोरारजी देसाई : जी हां ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं इस संशोधन पर जोर नहीं देता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 26 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The amendment No. 26 was, by leave, withdrawn,

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(2) पृष्ठ 10, पंक्ति 24 में—

"manufactures or produces articles" [वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन करता है] के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जाये "is mainly engated in the business of generation or distribution of electricity or any other form of power or in the construction of ships or in the manufacture, production or processing of goods is in mining." [जो मुख्यतया बिजली के उत्पादन अथवा वितरण अथवा विद्युत के किसी प्रकार के कार्य अथवा जहाजों के निर्माण अथवा वस्तुओं के निर्माण, उत्पादन अथवा तैयार करने अथवा खनन कार्य में लगे हों"] [28]

मैं अपना संशोधन संख्या 29 और 30 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री हिम्मत सिंहका (गोंडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 121 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 173 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : सरकार ने ऐसे उद्योगों के लिये पुनर्वास भत्ता देने का उपबन्ध किया है जिनका व्यापार किन्ही गड़बड़ियों के कारण बन्द हो जाता है तथा जिनकी आस्तियां समाप्त हो जाती हैं । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस खण्ड में अतिरिक्त शब्द "उपद्रव" की परिभाषा के अन्तर्गत कर्मचारियों की सामूहिक कार्यवाही भी शामिल होनी चाहिये तथा जिन उपक्रमों को कर्मचारियों की कार्यवाही के परिणामस्वरूप बन्द करना पड़ता है, उन्हें भी पुनर्वास भत्ता दिया जाना चाहिये । यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है और मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार करें ।

श्री नारायण दांडेकर : मेरे संशोधन संख्या 27 का सम्बन्ध वर्तमान खण्ड का विस्तार करने से है । वर्तमान खण्ड में कहा गया है कि जब किसी औद्योगिक उपक्रम का भारत में व्यापार बन्द हो जाता है । इसका अर्थ यह हुआ कि सारा व्यापार बन्द होना चाहिये । परन्तु ऐसा कभी-कभी होता है । अतः मेरा संशोधन यह है कि इस खण्ड में "पूर्णतया अथवा आंशिक" शब्द जोड़ दिया जाय ।

मैंने "वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन करता है" शब्दों के स्थान पर ये शब्द रखने का सुझाव दिया है, "जो मुख्यतया बिजली का उत्पादन अथवा वितरण अथवा विद्युत के किसी प्रकार के कार्य अथवा जहाजों के निर्माण अथवा वस्तुओं के निर्माण अथवा तैयार करने अथवा खनन कार्य में लगे है" यह एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है ।

श्री मोरारजी देसाई : यदि माननीय सदस्य अपने संशोधन से "उत्पादन" शब्द निकाल दें तो मैं उनका सशोधन स्वीकार करने को तैयार हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरा संशोधन संख्या 28 स्वीकार किया है ।

संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करने का कारण यह है कि बीमा कम्पनियों ने कहा है कि यदि उपद्रव अथवा नागरिक अशान्ति में किसी उपक्रम के कुछ अथवा सभी कर्मचारी शामिल हों, तो उस स्थिति में यह खण्ड उन पर लागू नहीं होगा । अतः मैंने यह स्पष्टीकरण जोड़ने का संशोधन प्रस्तुत किया है कि उपद्रव अथवा नागरिक अशान्ति में कोई ऐसा उपद्रव अथवा नागरिक अशान्ति भी शामिल है, जिसमें किसी उपक्रम के कुछ अथवा सभी नागरिक शामिल हों । मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने संशोधन संख्या 173 द्वारा पंक्ति संख्या 24 के बाद यह स्पष्टीकरण कि "विद्रोह अथवा नागरिक अशांति में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार हड़ताल या काम का रोकना, जिसमें उपक्रम के कुछ अथवा सभी कर्मचारी ग्रन्तर्ग्रस्त हों, शामिल नहीं है ।

मैं इस सम्बन्ध से श्री दांडेकर द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का पूर्णतया विरोध करता हूं। विधेयक के वर्तमान खण्ड में कहा गया है कि यदि किसी औद्योगिक उपक्रम का कार्य गत वर्ष बन्द रहा हो, परन्तु उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कितनी अवधि तक बन्द रहा हो। अतः मैं कहना चाहता हूं कि यह खण्ड भ्रांति पूर्ण है, क्योंकि यदि किसी उपक्रम का काम वर्ष की किसी आंशिक अवधि में बन्द रहा हो, तो क्या वह भी रियायत प्राप्त करने का हकदार है। इसके साथ-साथ बहुत से उद्योगों में विभिन्न विभागों में काम होता है और एक विभाग का दूसरे विभाग के कार्य के साथ गहरा सम्बन्ध होता है। समझ लीजिये कि किसी विभाग में हड़ताल होने अथवा कच्चा माल प्राप्त न होने के कारण काम धीमा हो जाता है तथा उसके परिणामस्वरूप अन्य विभागों का काम भी धीमा हो जाता है और तदोपरान्त कुछ समय के लिये वह कारखाना बन्द हो जाता है, तो क्या इस स्थिति में भी वह कारखाना रियायत का हकदार होगा। अतः मैं चाहता हूं कि यह स्पष्ट किया जाये कि रियायत केवल तभी दी जायेगी जब कोई कारखाना बाढ़, बवंडर इत्यादि, झगड़े अथवा नागरिक अशांति, आकस्मिक आग अथवा विस्फोट और शत्रु-कार्यवाही के कारण अथवा शत्रु की कार्यवाही को निष्प्रभावी करने के कारण बन्द करना पड़े। यदि कोई कारखाना साधारण श्रम विवादों, श्रमिकों द्वारा काम बन्द करने तथा प्रबन्धकों द्वारा जबरी छुट्टी करने के परिणामस्वरूप बन्द करना पड़ता है, तो उस स्थिति में कारखाने के मालिकों को यह दावा करने का अधिकार नहीं होना चाहिये कि कारखाने के बन्द होने के कारण उसके काबू से बाहर थे।

'घेराव' के बारे में इस सम्बन्ध में बार-बार चर्चा की गई है। कलकत्ता के संगठित नियोजकों ने घेराव की एक विशेष वैधानिक परिभाषा की है। उनका कहना है कि घेराव भी नागरिक अशांति के अन्तर्गत आता है। श्री दांडेकर ने संशोधन प्रस्तुत करके यह प्रयत्न किया है कि घेराव को नागरिक अशांति में शामिल किया जाये। परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि घेराव को हड़ताल जैसा ही कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार समझा जाना चाहिये। किसी कारखाने को रियायत केवल तभी दी जानी चाहिये, जब उसमें भूचाल, आग तथा किसी अन्य ऐसे कारण से जो मनुष्य की शक्ति से बाहर हो काम बंद करना पड़ा हो।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं श्री गुप्त द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का विरोध करता हूं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह खण्ड श्रमिकों द्वारा शांतिपूर्ण आन्दोलन अथवा हड़ताल करने के विरुद्ध नहीं है। इस खण्ड का उद्देश्य तो केवल किसी विशेष उपक्रम को भारी नुकसान होने पर कुछ राहत देना है। माननीय वित्त मंत्री ने इस खण्ड द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जो संरक्षण दिये हैं, उनका होना आवश्यक है, अन्यथा हमारी सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी। श्री गुप्त ने जो संशोधन पेश किया है उससे हिंसा को प्रेरणा मिलती है। यदि उसे स्वीकार किया गया तो हमारी सम्पत्ति को हानि होगी। मैं श्री दांडेकर तथा श्री कोठारी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन का भी विरोध करता हूँ, क्योंकि वे अनावश्यक हैं। इस खण्ड को वर्तमान रूप में ही रखा जाना चाहिये।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Mr. Speaker, Sir the hon. Member who spoke before me has argued that if Mr. Inderjit Gupta's amendment is accepted, it will lead to violence I do not subscribe to this view. It is wrong to say that if strike by workers are excluded from the purview of roit and civil disturbance, it will lead to violence. Our

Constitution has given the workers the right for collective bargaining and sometimes in order to have collective bargaining they have to resort to strike. It is their legitimate right and no attempt should be made to deprive them of their legitimate right. So I fully support the amendment put by Shri Gupta.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए तैयार हूं यदि श्री दांडेकर तथा श्री कोठारी अपने सशोधन वापस ले लें और उपद्रव अथवा अशांति शब्दों के अन्तर्गत किसी उपक्रम के कुछ अथवा सब कर्मचारियों द्वारा की गई गड़बड़ी के अतिरिक्त प्रबन्धकों द्वारा की गई गड़बड़ी भी शामिल की जाये, क्योंकि भूतकाल में कुछ ऐसी घटनायें हुई है जिनसे यह सिद्ध होता है कि अशांति फैलाने के उत्तरदायी कर्मचारी ही नहीं अपितु प्रबन्धक भी होते हैं। हैवी इलेक्ट्रीकल्ज, रांची में जो आग लगने की तथा तोड़-फोड़ की घटनायें हुई थी। उनकी जांच करने के बाद यह पता लगा है कि उनके उत्तरदायी प्रबन्धक थे। अतः इस खण्ड के उपबन्ध केवल बेचारे गरीब कर्मचारियों पर ही नहीं, अपितु नियोजकों पर भी लागू होने चाहिये।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : श्रीमान हम इस पक्ष में नहीं है कि श्रमिकों को हड़ताल तथा सामूहिक कार्यवाही करने के अधिकार नहीं होने चाहिये। परन्तु हम यह नहीं चाहते कि ऐसी तोड़-फोड़ की कार्यवाही की जाये जिससे औद्योगिक उत्पादन बन्द हो तथा मशीनों को हानि पहुंचे तथा उद्योग को बन्द करना पड़े।

श्री वेणीशंकर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री दांडेकर के संशोधन का समर्थन करता हूँ और श्री इन्द्रजीत गुप्त के संशोधन का विरोध करता हूँ। श्री गुप्त ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका आधार उनकी राजनीतिक विचारधारा है। जो संशोधन श्री दांडेकर द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका तात्पर्य कुछ प्रकार के उपद्रवों के होने पर चाहे वे दुर्घटना के कारण हों अथवा प्राकृतिक अथवा दोनों उद्योग को कुछ रियायतें देना है। यदि इस उपबन्ध में प्रबन्धकों द्वारा की गई गड़बड़ी को भी शामिल किया जाता हैं, तो इससे सरकार दिवालिया हो जायेगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रबन्धक है जो रियायत प्राप्त करने के लिये गड़बड़ी पैदा करेंगे। अतः यह रियायत केवल दुर्घटनाओं अथवा श्रमिकों द्वारा की गई गड़बड़ी के परिणाम-स्वरूप हुई हानि की अवस्था में ही दी जानी चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई : चार अथवा पांच संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। संशोधन संख्या 28 को मैंने उस संशोधन में एक मौखिक संशोधन जोड़ कर स्वीकार कर लिया गया है।

संशोधन संख्या 27 में कहा गया है कि उन उपक्रमों को भी रियायत का हक होना चाहिये जिनका काम पूर्णरूप से नहीं अपितु आंशिक रूप से बन्द करना पड़ता है। यह उपबन्ध केवल उन औद्योगिक उपक्रमों पर लागू है जिनके काम पूर्णरूप से बन्द हो जाता है, अतः इसमें उन उपक्रमों को शामिल नहीं किया जा सकता, जिनका काम आंशिक रूप से बन्द करना पड़ा हो।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 27 वापस लेना चाहता हूं।

श्री मोरारजी देसाई : संशोधन संख्या 29 तथा 171 को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को बताना चाहता हूँ कि यह खण्ड श्रमिकों की शांतिपूर्ण हड़ताल पर लागू नहीं है, क्योंकि शांतिपूर्ण हड़ताल में क्षति नहीं होती और जब तक कोई क्षति न हो इस खण्ड के उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। यह खण्ड केवल तभी लागू होगा जब किसी उपक्रम का काम बंद करना पड़े। यदि प्रबन्धक कोई क्षति पहुंचा कर काम बंद करते हैं तो भी ये खण्ड लागू नहीं होगा। इस खण्ड में केवल वही विपत्तियां शामिल हैं जो या तो कर्मचारियों की कार्यवाहियों अथवा प्राकृतिक कारणों से आई हों, कम्पनियों अथवा नियोजकों द्वारा उत्पन्न की गई विपत्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता।

श्री नारायण दांडेकर : कितने समय तक काम बन्द होने पर यह उपबन्ध लागू होगा ?

श्री मोरारजी देसाई : यह उपबन्ध जब लागू होगा, तब काम पूर्णतया बन्द हो जाये और उसे प्रतिकर दिये बिना अथवा कोई अन्य कार्यवाही किये बिना पुनः आरम्भ न किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दांडेकर अपना संशोधन संख्या 27 वापस लेना चाहते हैं। क्या सभा की अनुमति है ?

संशोधन संख्या 27 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 27 was by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 28, संशोधित रूप में सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूँ। प्रश्न यह है कि —

"पृष्ठ 10 पंक्ति 24 में"

"manufactures of produces articles" [वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन करता है] के स्थान पर निम्न शब्द "is mainly engaged in the business of generation or distribution of electricity or any other form of power or in the construction of ships or processing of goods or in mining." [जो मुख्यतया बिजली के उत्पादन अथवा वितरण अथवा विद्युत के किसी अन्य प्रकार के कार्य अथवा जहाजों के निर्माण अथवा वस्तुओं के निर्माण अथवा तैयार करने अथवा खनन कार्य में लगे हों]" [28]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 29, 121 तथा 173 एक साथ सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन संख्या 121 वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता।

संशोधन संख्या 29, 121 तथा 173 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments No. 29, 121 and 173 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 12 से 16 विधेयक में जोड दिये गये ।

Clauses 12 to 16 were added to the Bill

खण्ड 17–[नये खण्ड 43 'क' का जोड़ा जाना]

श्री मी० र० मसानी : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 30, 31 और 32 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 33 संशोधन संख्या 1 के समान है । संशोधन संख्या 1 पहले प्रस्तुत किया जा चुका है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपना संशोधन सख्या 122 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मेरे संशोधन संख्या 30 का तात्पर्य यह है कि जो कुछ लिखा गया है वह वास्तविक मूल्य है अथवा अवमूल्यन के कारण बढ़े हुए मूल्य के कारण दिखाया गया मूल्य । वस्तुत: यह एक व्याख्यात्मक संशोधन है ।

मेरा संशोधन संख्या 31 भी व्याख्यात्मक है । इसका आशय यह है कि संगत खण्ड में यह संशोधन किया जाये कि जहां इस तरह से मर्जित आस्ति को विनियम दर में परिवर्तन करने से पहले बेच दिया गया हो, छोड दिया गया हो या गिरा दिया गया हो अथवा समाप्त कर दिया गया हो, तो कर दाता के दायित्व में वृद्धि या कटौती को, जैसा कि भारतीय मुद्रा में व्यक्त किया गया है, स्थिति के अनुसार उसे पहले वर्ष की आय में जोड़ दिया जाये अथवा उसमें से घटा दिया जाये जिसके दौरान दायित्व इस प्रकार बढ़ा था अथवा कम हुआ था ।

मेरा सुझाव यह है कि इसको विकास सम्बन्धी छूट पर भी लागू किया जाना चाहिए । दूसरे विकास सम्बन्धी छूट को चलार्थ के मूल्य में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप चाहे मूल्य बढ़ा हो अथवा घटा हो । समायोजनों से अलग रखने का कोई कारण नहीं है ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : अपने संशोधन 122 के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि अवमूल्यन से पहले कुछ मामलों में आस्तियां को खत्म कर दिया गया था अथवा

कम करके दिखाया गया था परन्तु ऐसा भी हो सकता है कि उनके भुगतान को स्थगित कर दिया गया हो। अवमूल्यन के फलस्वरुप रुपया मुद्रा के रूप में राशि में वृद्धि हो गई है और कि इसे कम्पनी को ही सहन करना है। अत: कम्पनियों को इसे आप से कम करने की अनुमति होनी चाहिए। मैं विकास सम्बन्धी छूट के लिए भी जोर दूंगा।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मेरे विचार में श्री दाण्डेकर द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन आवश्यक नहीं है क्योंकि जहां तक अवमूल्यन का सम्बन्ध है इससे वास्तविक लागत पर ही प्रभाव पड़ेगा।

श्री मोरारजी देसाई : यदि विकास सम्बन्धी छूट देने वाले संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे अनुमानत: 25 करोड़ रुपये की हानि होगी। दूसरे मेरे विचार में उद्योग को दोनों लाभ देना भी उचित नहीं है। जो रियायत दी गई है मेरे विचार में उससे उद्देश्य सिद्ध हो जायेगा। यह रियायत अवमूल्यन को ध्यान में रखकर ही दी गई है।

जहाँ तक संशोधन संख्या 122 का सम्बन्ध है मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इससे निर्धारित कर पर अधिक बोझ पड़ेगा। अत: मैं सभी संशोधनों का विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1,30,31,32 तथा 122 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos 1,30.31,32 and 122 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 17 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 17 was added to the Bill.

खण्ड 18 से 21 को भी विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 18 to 21 were also added to the Bill.

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : मैं संशोधन संख्या 34 और 35 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मैं संशोधन संख्या 123 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नारायण दाण्डेकर : संशोधन संख्या 34 पहले वाले संशोधन के अन्तर्गत आ ही गया है। इसलिए मैं इसको वापिस लेता हूं। परन्तु मैं संशोधन संख्या 35 को वापिस नहीं लेना चाहता।

मेरा सुझाव यह है कि यदि कोई उद्योग कुछ वर्ष बन्द रहने के पश्चात पुनः स्थापित किया जाता है अथवा चालू किया जाता है तो उस उद्योग को पहले हुई हानि को उस वर्ष में दिखाने की अनुमति होनी चाहिए, चाहे इस बारे में दी गई अवधि समाप्त ही क्यों न हो गई हो जिस वर्ष उद्योग को पुनः स्थापित किया गया हो अथवा चालू किया गया हो ।

श्री मोरारजी देसाई : इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 72(1) के खण्ड (2) में पहले ही इस प्रकार की व्यवस्था है । परन्तु यदि उस हानि को अगले वर्षों में दिखाने सम्बन्धी अवधि समाप्त हो गई हो तो ऐसा नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की अनुमति से श्री नारायण दाण्डेकर अपना संशोधन संख्या 34 वापिस ले सकते हैं ।

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री हिम्मतसिंहका अपने संशोधन पर ज़ोर देना चाहते हैं ।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं इसको वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस बारे में सभा की अनुमति है ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 34 तथा 123 सभा की अनुमति से वापिस लिए गये ।

Amendment No. 34 and 123 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : अब संशोधन संख्या 35 को लिया जायेगा ।

श्री नारायण दांडेकर : यदि माननीय वित्त मंत्री का कहना यह है कि किये गये संशोधन के अन्तर्गत मेरी बात आ जाती है तो मैं इस आश्वासन को स्वीकार करता हूं ।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे विचार में यह उसके अन्तर्गत आ जाता है ।

उपाध्यक्ष द्वारा संशोधन संख्या 35 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 35 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 22 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 22 was added to the Bill.

खण्ड 23 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 23 was added to the Bill.

खण्ड 24

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करता हूं :—

"कि पंक्ति 30 के पश्चात निम्नलिखित रखा जाये : —

(iv). the following further proviso shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted namely ;—

"Provided further that condition (ii) shall be deemed not to have been contravened if the industrial undertaking or hotel is set up in rented premises," !

"[(चार) अग्रेतर निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा । और इसको सदा जोड़ा गया समझा जायेगा अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि यदि किसी औद्योगिक उपक्रम अथवा होटल को किराये के स्थान में स्थापित किया जाता है तो इसको शर्त (2) का उल्लंघन नहीं समझा जाना चाहिए ।"[[36]

श्री हिम्मत सिंहका : मैं संशोधन संख्या 124 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० रानेन सेन : मैं संशोधन संख्या 174 तथा 257 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दाण्डेकर : इस संशोधन का सम्बन्ध नई स्थापित हुए उपक्रमों के छुट्टी सम्बन्धी कर के बारे में है । इसमें सन्देह नहीं कि इस बारे में पहले ही तीसरी अनुसूची में उपबन्ध है परन्तु मैं चाहता हूँ कि इसमें एक उपबन्ध यह भी जोड़ दिया जाये कि यदि कोई नया उपक्रम तथा होटल किराये के स्थान में स्थापित किया जाता है तो उसको भी यह रियायत प्राप्त होगी ।

श्री हिम्मत सिंहका : यदि किराये के किसी भवन में जहांकि पहले कोई फैक्ट्री बन्द पड़ी हो, कोई उद्योग स्थापित किया जाता है तो उस नये स्थापित उद्योग को प्रस्तावित लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए ।

डा० रानेन सेन : हम किसी प्रकार के भी छुट्टी सम्बन्धी कर के विरुद्ध हैं । अब जबकि इस सूची में होटलों को भी शामिल करने का प्रयत्न किया जाता है तो हम इसका विरोध करते हैं ।

कोल्ड स्टोरेजों के निर्माण के फलस्वरूप ही बड़े पैमाने पर जमाखोरी शुरु हुई है । इसलिये इनको अथवा इनमें लगने वाले संयत्रों पर छूट देने का भी मैं विरोद्ध करता हूँ ।

श्री मोराजा देसाई : होटलों के बारे में पहले ही विधेयक में व्यवस्था है। किराये के स्थानों में लगाये उद्योगों को यह छूट देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

जहां तक कोल्ड स्टोरेज का सम्बन्ध है शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं अर्थात् मछली और फलों आदि के लिए इनको बनाना बहुत आवश्यक है। इनके बिना इन वस्तुओं को अधिक समय तक खाने योग्य नहीं रखा जा सकता। जमाखोरी के प्रश्न को अन्य तरीकों से निपटा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 36 को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब प्रश्न यह है कि,

"पंक्ति 30 के पश्चात निम्नलिखित रखा जाये :—

(iv) the following further proviso shall be in erted and shall be deemed always to have been inserted namely :—

"Provided further that condition (ii) shall bedeemed not to have bee contravened if the industrial undertaking or hotel is set up in rented premises".

[(चार) निम्नलिखित अग्रेतर वास्तुक जोड़ा जायेगा और इसको सदा जोड़ा गया समझा जायेगा अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि किसी औद्योगिक उपक्रम अथवा होटल को किराये के स्थान में स्थापित किया जाता है तो इसको शर्त (2) का उल्लंघन नहीं समझा जाना चाहिये।"][36]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री हिम्मत सिंहका : मै संशोधन संख्या 124 पर मतदान के लिए जोर नहीं देता हूँ।

संशोधन संख्या 124 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।
Amendment No 24 was by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 174 तथा 257 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 174 तथा 257 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए :
Amendments Nos 174 and 257 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 24, as amended was added to the Bill.

खण्ड 25 और 26 को भी विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25 and 26 were added to the Bill.

खण्ड 27

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं संशोधन संख्या 175 प्रस्तुत करता हूँ ।

हमारे देश में आयकर इन्सपैक्टरों का सदा नये निर्धारितों को तथा कर चोरी करने वालों को खोजने का काम रहा है । इस क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय काम भी किया है । हांलाकि इस क्षेत्र में और खोज करने की गुजांयश है फिर भी इन्सपैक्टरों का नई प्रणाली के अन्तर्गत अधिक बोझ डाला जा रहा है। इस समय जो काम आयकर अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है वह काम अब इन्सपैक्टरों को सौंपा जा रहा है । परन्तु उनके वेतन तथा रुतबे आदि में कोई वृद्धि नहीं की जा रही है । इससे इन लोगों के लिए पदोन्नति के अवसर भी कम हो जायेंगे । आयकर विभाग के कर्मचारियों में पहले ही बहुत असंतोष है और इस नये खण्ड को लागू करने से इनमें और अधिक असंतोष फैल जायेगा क्योंकि इससे उनके पदोन्नति के अवसर जो कि पहले ही कम हैं और कम हो जायेंगे । अतः मेरा निवेदन है कि हमें इस अमरीकन प्रणाली को स्वीकार नहीं करना चाहिए ।

श्री मोरारजी देसाई : यह सच है कि अमरीका के विशेषज्ञों से परामर्श किया गया है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसे हमने स्वीकार कर लिया है । यह प्रणाली पूर्णतया अमरीकन प्रणाली भी नहीं है । यह प्रणाली कर्मचारी वर्ग को अधिक दक्ष बनाने तथा उनके पूरी तरह से प्रयोग करने के लिए ही लागू की जा रही है । इससे उनके पदोन्नती के अवसर भी कम नहीं होते । इन्सपैक्टरों ने क्या काम करना है इसका निर्णय सरकार ने करना हैं न कि इन्सपैक्टरों ने । अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 175 को मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन संख्या 175 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 175 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 27 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 27 was added to the Bill.

खण्ड 28 तथा 29 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 28 and 29 were added to the Bill

खण्ड 30

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

प्रष्ठ 24, पंक्ति 6 से 33 के स्थान पर निम्न रखा जाये :

"194 A (1) Any person, not being an individual or a Hindu and undivided family, who is responsible for paying to a resident any income by way of interest other than income chargeable under the head "Interest on Securities", shall, at the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment thereof in cash or by in issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct income-tax thereon at the rates in force :

Provided that no such deduction shall be made in a case where the person (not being a company or a registered firm) entitled to receive such income furnishes to the person responsible for making the payment–

(a) an affidavit, or

(b) a statement in writing,

declaring that his total income assessable for the assessment year next following the financial year in which the income is credited or paid will be less than the minimum liable to income-tax.

(2) The statement in writing referred to in sub-section (1) shall also contain such other particulars as may be prescribed, be verified in the prescribed manner, be signed in the presence of a Gazetted Officer of the Central or a State Government and bear an attestation by such Officer to the effect that the person who has signed the statement is known to him.

(3) The provisions of sub-section (1) shall not apply–

(i) where the income credited or paid at any one time does not exceed four hundred rupees ;

(ii) to such income credited or paid before the 1st day of October, 1967 ;

(iii) to such income credited or paid to –

(a) any banking company to which the Banking Regulation Act, 1949, applies, or any co-operative society engaged in carrying on the business of banking (including a co-operative land mortgage bank), or

(b) any financial corporation established by or under a Central, State or Provincial Act, or

(c) the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956, or

(d) the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963, or

(e) any company or co-operative society carrying on the business of insurance, or

(f) such other institution, association or body which the Central Government may, for reasons to be recorded in writing, notify in this behalf in the Official Gazette.

Explanation—In this section, 'Gazetted Officer' includes a Tehsildar or a Mamlatdar or a Taluka or Tehsil or any other officer performing functions similar to those of a Tehsildar or Mamlatdar."

["194 क. (1) कोई व्यक्ति, जोकि इस मामले से सम्बद्ध नहीं हो, अथवा हिन्दू विभक्त परिवार जो "प्रतिभूति पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत भारतीय आय के अतिरिक्त ब्याज के रूप में किसी व्यक्ति को कोई राशि देने के लिए जिम्मेवार है, ऐसी आय से प्राप्ति कर्ता के खाते में जमा करते समय अथवा उसकी रोक अथवा चैक अथवा ड्राफ्ट अथवा किसी अन्य तरीके द्वारा भुगतान के समय, जो भी पहले हो, उस पर प्रवृत दरों पर कटौती करेगा। परन्तु ऐसे मामले में ऐसी कोई कटौती नहीं की जायेगी जिसमें कोई व्यक्ति (जो कि कम्पनी अथवा पंजीकृत स्वार्य न हो) जो ऐसी आय प्राप्त करने का अधिकारी हो, भुगतान करने के लिये जिम्मेवार व्यक्ति को —

(क) शपथपत्र : अथवा

(ख) लिखित विवरण, देता है, जिसमें यह घोषणा की गयी हो कि उस वित्तीय वर्ष, जिसमें आय जमा की गई है अथवा भुगतान किया गया है, के बाद अगले निर्धारण वर्ष में उसकी कुल निर्धारण योग्य आय आय-कर की भागी न्यूनतम राशि से कम होगी।

(2) उप-खण्ड (1) में उल्लिखित लिखित विवरण में ऐसी अन्य बातें भी शामिल की जायेंगी जो कि विहित की गई हो, विहित रीति से उनका सत्यापन किया जायेगा, केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे और ऐसे अधिकारी द्वारा यह सत्यापन किया जायेगा कि जिस व्यक्ति ने इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया है, वह उसे जानता है।

(3) उप-खण्ड (1) के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिन में —

(एक) किसी एक समय जमा की गई अथवा भुगतान की गई आय चार सो रुपये से अधिक न हो;

(दो) ऐसी आय 1 अक्तूबर, 1967 से पहले जमा की गई अथवा भुगतान की गई हो;

(तीन) ऐसी आय

(क) किसी बैंकिंग समवाय में जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है, अथवा किसी सहकारी समिति में, जो बैंकिंग (जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक शामिल है) व्यापार कर रही हो; अथवा

(ख) किसी केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत स्थापित किसी वित्तीय निगम में; अथवा

(ग) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित भारत के जीवन बीमा निगम में; अथवा

(घ) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया में, अथवा

(ङ) बीमा का व्यापार करने वाले किसी समवाय अथवा सहकारी समिति में; अथवा

(च) ऐसी अन्य संस्थाओं, समितियों अथवा निकायों में, जो केन्द्रीय सरकार, लिखित कारण बता कर इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में अधिसूचित करे;

जमा कराई गई हो अथवा भुगतान किया गया हो ।

व्याख्या : इस खण्ड में, 'राजपत्रित अधिकारी, में किसी तलुका अथवा तहसील का तहसीलदार अथवा मामलतदार अथवा तहसीलदार अथवा मामलातदार जैसे कृत्य करने वाला कोई अधिकारी शामिल है ।"] (159)

(दो) पृष्ठ 26 पंक्ति 23 के स्थान पर निम्न शब्द रख दिये जायें

"has furnished to him an affidavit or a statement under the proviso"

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं संशोधन संख्या 178 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेणीशंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मै संशोधन संख्या 37 से 43 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं खण्ड 30 के बारे में दो सुझाव देना चाहता हूं । खण्ड 30 के क्षेत्र में सभी शुल्क कमिशन, दलाली आदि निकालकर माननीय मंत्री ने उसे अधिक स्वीकार्य बना दिया है और मै उसके लिये उनका आभारी हूं ।

इस खण्ड के अन्तर्गत जिस व्यक्ति की आय कर योग्य सीमा से कम हो, उसे यह शपथ पत्र देना पड़ता है कि उसकी आय कर–योग्य सीमा से अधिक नहीं होगी परन्तु सभी चाहते हैं कि उनकी आय बढ़े । इसलिए शपथ पत्र के शब्द इस प्रकार होने चाहिये कि मेरी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार आज मेरी आय कर–योग्य सीमा से अधिक नहीं है । ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनके कर की कटौती स्त्रोत पर नहीं की जानी चाहिये ।

जो लोग पहले ही कर देते हैं उनके सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि उन्हें भी आय–कर अधिकारी से एक प्रमाण पत्र मरवाने की अनुमति होनी चाहिये कि वह पहले ही कर दाता

है। इससे उनके मामले के स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की जानी चाहिये। ऐसे मामलों में जिनके करा पवंचन किया जाता है, स्त्रोत पर कर की कटौती किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

वित्त मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, वे बहुत प्रशंसनीय है और में अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करता हूं। मै सभा की अनुमति से संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta : I congratulate the hon. Minister for giving the relief, but I am fundamentally opposed to this clause. I am against tax evasion, but I am o the view that the existing law is sufficient and it should be implemented properly.

The provisions of payment of advance tax, payment of income tax and the time of filing of returns, provisional assessment ane penalty clauses are sufficient and there is no need to obtain further powers. The government should tighten her machinery. The Government wants to hide the inefficiency of the department by bringing this clause.

श्री वेणीशंकर शर्मा : जहां तक ब्याज का सम्बन्ध है, मैं मन्त्री महोदय की इस चिन्ता से सहमत हूँ कि ब्याज के लेखो द्वारा कुछ चोर बाज़ारी के सौदे भी चलते हैं और यदि मन्त्री महोदय उसे इस खण्ड में रखना चाहते हैं तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। परन्तु मुझे यह समझ नहीं आता कि इस प्रकार का व्यवहार उन लोगों से भी क्यों नहीं किया जाता तो आय-कर विभाग के जी० आई० आर० पर नहीं हैं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह यह रियायत उन लोगों की भी दें।

श्री स्वत्रतन्त्र सिह कोठारी : मैं श्री देसाई का वृत्ति शुल्क, कमिशन और दलाली आदि पर से स्रोत पर कर की कटोती हटाने पर धन्यवाद करता हूँ। ब्याज के सम्बन्ध मैं यह आवश्यक है कि कर व्यवस्था सुदृढ़ की जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्रोत पर जो कर लगाया जाता है, वह सरकार के हाथों में पहुंच सके। कुछ मामलों में वर्षों तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है और विभाग ऐसे मामलों का पता नहीं लगा सका है अथवा अगली कार्यवाही नहीं कर सका है। इसे रोका जाना चाहिये। मैं अपने संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री देवकी नंदन पाटोदिया (जालोर) : मैं इस खण्ड का पूर्णतया विरोध करता हूँ। इसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब किसी समवाय को ब्याज दिया जाता है तो यह समझा जाता है कि वह समवाय सामान्य रूप से करदाता है और ऐसा कोई भी भुगतान स्वतः समवाय द्वारा करके भुगतान के अन्तर्गत आ जाता है। व्यक्तियों के मामलों में क्यों कि कटौती केवल ऐसे मामलों पर लागू होगी जब कर 400 रुपये से अधिक हो। इससे यह आसानी से समझा जा सकता है कि जब कमी किसी व्यक्ति को200 रुपये का भुगतान एक बार किया जाये तो उसका पुनः कर निर्धारिण किये जाने की सम्भावना है। इसलिये, ऐसे लोगों को, जो कर दाता नहीं है, दी जाने वाली कमिशन को देखकर मैं समझता हूं कि प्रशासनिक कठिनाइयों और ब्याज देने तथा लेने वालों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए यह खण्ड रखना उचित नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : मुझे देश के हित में कई बार सदस्यों के सुझाव स्वीकार न करने पर भी बाध्य होना पड़ता है, फिर भी लोकतन्त्र में जनता के विचारों पर चलना होता है। किन्तु यदि देश के हित में मुझे लोगों की निन्दा भी सहन करनी पड़े तो मुझे कोई चिन्ता नहीं।

मुझे यह समझ में नहीं आता कि स्रोत पर आय कर की कटौती किये जाने से किसी को हानि तथा कठिनाई कैसे होगी क्योंकि हमने यह भी कहा है कि जो लोग आय कर नहीं दे रहे हैं, वह सरकार को सूचना दें तो कर की कटौती नहीं की जायेगी। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि यह ठीक तरह क्रियान्वित किया जाये। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि कोई आय-कर अधिकारी किसी। तकनी की गलती के कारण किसी को परेशान न करे।

परन्तु कई ऐसे करदाता है जो ठीक प्रकार विवरण नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ने तथा दंड देने के लिये ऐसी विवरण आवश्यक है। जब तक तक हम कड़ा कार्यवाही न करे तब तक कानून, विशेषतया वित्तीय मामलों में पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकेगा। परन्तु यदि अनुभव से यह मालूम हो कि इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे हटाया जा सकता है।

जब कर पेशगी दिया जाता है तो कर दाता उस राशि का हिसाब रख सकता है जिसकी कटौती की जायेगी। इसलिये कर व पेशगी देने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। खण्ड 30 इसलिये भी रखी गई है ताकि ऐसी राशियों का पता लगाया जा सके जो हिसाब में दर्ज नहीं हैं।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

श्री वेणीशंकर शर्मा : मै अपने संशोधन वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 6, 37 से 43 सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

Amendments Nos 6,37 to 43 were by leave withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : सरकारी संशोधन संख्या 159 में एक मामूली सा परिवर्तन है अर्थात धारा 194 (1) (ख) में "declaring that his total income assessable के स्थान पर "declaring that estimated total income assessable" रखा जाये। अब मैं इस प्रकार संशोधित रूप में संशोधन संख्या 159 सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 24, पंक्ति 6 से 33 के स्थान पर निम्न रखा जाये :

194 A. (1) Any person, not being an individual or a Hindu undivided family, who is responsible for paying to a resident any income by way of interest other than income chargeable under the head "Interest on Securities", shall, at the time of credit of such income to the account of the payee or at

the time of payment thereof in cash or by issue of a cheque or draft or by any other mode, whichever is earlier, deduct income-tax thereon at the rates in force.

Provided that no such deduction shall be made in a case where the person (not being a company or a registered firm) entitled to receive such income furnishes to the person responsible for making the payment-

(a) an affidavit, or

(b) a statement in writing, declaring that his estimated total income assessable for the assessment year next following the financial year in which the income is credited or paid will be less than the minimum liable to income-tax.

(2) The statement in writing referred to in sub-section (1) shall also contain such other particulars as may be prescribed, be verified in the prescribed manner, be signed in the presence of a Gazetted officer of the "Central or a Statement Government and bear an attestation by such Officer to the effect that the person who has signed the statement is known to him.

(3) The provisions of sub-section (I) shall not apply—

(i) where the income credited or paid at any one time does not exceed four hundred rupees ;

(ii) to such income credited or paid before the lst day of October, 1967;

(iii) to such income credited or paid to—

(a) any banking company to which the Banking Regulation Act, 1949, applies, or any cooperative society engaged in carrying on the business of banking (including a co-operative land mortgage bank), or

(b) any financial corporation established by or under a Central, State or Provincial Act, or

(c) the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956, or

(d) the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963, or

(e) any company or co-operative society carrying on the business of insurance, or

(f) such other institution, association or body which the Central Government may, for reasons to be recorded in writing, notify in this behalf in the Official Gazette.

Explanrtion--In this section, "Gazetted Officer" includes a Tehsildar or a Mamlatdar of a Taluka or Tehsil or any other officer performing functions similar to those of a Tehsildar or Mamlatdar".

"194 क (1) कोई व्यक्ति जो कि इस मामले से सम्बद्ध नहीं है अथवा हिन्दू अतिभक्त परिवार जो "प्रतिभूति पर ब्याज" शीर्ष के अन्तर्गत भारतीय आय के अतिरिक्त ब्याज के रूप में किसी व्यक्ति को कोई राशि देने के लिए जिम्मेवार है, ऐसी आय को प्राप्तिकर्ता के खाते में जमा करते समय अथवा उसकी रोक अथवा चैक, अथवा ड्राफ्ट अथवा किसी अन्य तरीके द्वारा भुगतान के समय, जो भी पहले हो, उस पर प्रवृत दरों पर कटौती करेगा ;

परन्तु ऐसे मामले में ऐसी कोई कटौती नहीं की जायेगी जिसमें कोई व्यक्ति, जो कि कम्पनी अथवा पंजीकृत सार्थ न, हो जो ऐसी आय प्राप्त करने का अधिकारी हो भुगतान करने के लिये जिम्मेवार व्यक्ति को—

(क) शपथपत्र ; अथवा

(ख) लिखित विवरण देता है, जिसमें यह घोषणा की गई हो कि उस वित्तीय वर्ष, जिसमें आय जमा की गई है अथवा भुगतना किया गया है, के बाद अगले निर्धारण वर्ष में में उसकी कुल निर्धारण योग्य अनुमानित आय कर की भागी न्यूनतम राशि से कम होगी ।,

(2) उप–खण्ड (1) में उल्लिखिन लिखित, विवरण में ऐसी अन्य बातें भी शामिल की जायेगी जोकि विहित की गई हों, विहित रीति से उनका सत्यापन किया जायेगा, केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उस पर हस्ताक्षर किये जायेंगे और ऐसी अधिकारी द्वारा यह सत्यापन किया जायेगा कि जिस व्यक्ति ने इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया है, वह उसे जानता है।

(3) उप–खण्ड के उपबन्ध ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जिनमें—

(एक) किसी एक समय जमा की गई अथवा भुगतान की गई आय आय चार सो रुपये से अधिक न हो ;

(दो) ऐसी आय 1 अक्तूबर, 1967 से पहले जमा की गई अथवा भुगतान की गई हो ;

(तीन) ऐसी आय—

(क) किसी बैंकिंग समवाय में जिसपर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1947 लागू होता है, अथवा किसी सहकारी समिति में, जो बैंकिंग (जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक शामिल है) व्यापार कर रही हो ; अथवा

(ख) किसी केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रान्तीय अधिनियम द्वारा अथवा प्रान्तीय अधिनियम द्वारा अथवा आये अन्तर्गत स्थापित किसी वित्तीय निगम में, अथवा

(ग) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित भारत के जीवन बीमा निगम में, अथवा

(घ) यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत स्थापित यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया में ; अथवा

(ङ) बीमा का व्यापार करने वाले किसी समवाय अथवा सहकारी समिति में ; अथवा

(घ) ऐसी अन्य संस्थाओं, समितियों अथवा निकायों में' जो केन्द्रीय सरकार, लिखित कारण बताकर इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में अधिसूचित करे ;

जमा कराई गई हो अथवा भुगतान किया गया हो ।

व्याख्या : इस खण्ड में, 'राजपत्रित अधिकारी' में किसी तलुका अथवा तहसील का तहसीलदार अथवा मामलातदार अथवा तहसीलदार अथवा मामलातदार जैके कृत्य करने वाला कोई अन्य अधिकारी शामिल है ।"] (159)

(दो) पृष्ठ 26, पंक्ति 23 के स्थान पर, निम्न शब्द, रख दिये जाये,

"It has furnished to him an affidevit or a statement under the proviso"

["वस्तुत के अधीन उसे एक हलफनामा या विवरण प्रस्तुत किया है"] (160)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 178 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 128 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि खण्ड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"
The clause 30 as amended, stand part of the bill"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clauses 30 as amended was added to the Bill.

खण्ड 31 और 32 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 31 and 32 were added to the Bill.

खण्ड 33 :– (आय-कर अधिनियम में 1 अप्रैल, 1968 से प्रभावी होने वाले कुछ संशोधन)

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं संशोधन संख्या 44 को प्रस्तुत करता हूं ।

मेरे विचार में एक संशोधन जो तीसरी अनुसूची की मद 22, जो 70 वर्ष की आयु सीमा को कम करके 60 वर्ष कर देने के बारे में है, उसे भविष्य-प्रभावी बनाने के स्थान पर तत्काल प्रभावी बनाया जाना चाहिये । वार्षिकी जमा-योजना के बारे में जो राहत दी जाये वह तत्काल प्रभावी होनी चाहिये ।

श्री मोरारजी देसाई : यदि आवश्यक हुआ तो हम अनुसूची पर ही विचार करेंगे परन्तु मैं कोई ऐसा परिवर्तन करने के लिये तैयार नहीं जिससे जनता सजा से बच सके । यदि कोई परिवर्तन करना ही पड़ा तो वह अधिसूचना जारी करके कर लिया जायेगा ।

श्री नारायण दांडेकर : यदि मंत्री महोदय रवैया सहानुभूतिपूर्ण है तो मैं इस पर अधिक जोर नहीं देता ।

संशोधन संख्या 44, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

Amendment No. 44 was, by leave withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 33 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 33 was added to the Bill.

खण्ड 34

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं संशोधन संख्या 181 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 181 मतदान के लिये रखा गया तथा

अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 181 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 35 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 34 was added to the Bill.

खण्ड 35

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 182 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 182 मतदान के लिये रखा गया

तथा अस्वीकृत हुआ ।
The Amendment No. 182 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 35 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 35 was added to the Bill

खण्ड 36

श्री मोरारजी देसाई : मैं संशोधन संख्या 161 प्रस्तुत करता हूं ।

पृष्ठ 34, पंक्ति 21 के पश्चात् निम्न रख दिया जाये :

1(c) in the First Schedule, in rule 1,–

(i) clause (v) shall be omitted with effect from the 1st day of April, 1968;

(ii) for clause (vii), the following clause shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1968, namely :

"(vii) an amount equal to fifty percent of the sum with reference to which a deduction is allowable to the company under the provisions of section 80G of the Income Tax Act;"

(ग) प्रथम अनुसूची में, नियम 1 में :–

(1) खण्ड (5) को पहली अप्रैल, 1968 से, हटा दिया जायेगा :

(2) खण्ड 7 के स्थान पर पहली अप्रैल, 1968 से निम्न खण्ड को प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा :–

(7) इस राशि का 50 प्रतिशत, जिसके लिये आयकर अधिनियम की धारा 80 छ के उपबन्धों के अधीन कम्पनी को दी जाने वाली कटौती दी जाती है] (161)

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं खण्ड 36 का विरोध करता हूं । कम्पनी को होने वाले लाभ पर से अधिकार बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिये और दूसरे उसकी सीमा कम कर देनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 161 सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 34, पंक्ति 21 के पश्चात् निम्न रख दिया जाय :

1(c) in the First Schedule, in rule 1,–

(i) clause (v) shall be ommitted with effect from the 1st day of April, 1968;

(ii) for clause (vii), the following clause shall be substituated with effect from the 1st day of April, 1968, namely :

"(vii) an amount equal to fifty per cent of the sum with reference to which a deduction is allowable to the company under the provisions of Section 80G of the Income-tax Act;"

["(ग) प्रथम अनुसूची में, नियम 1 में,–

(1) खण्ड (5) को पहली अप्रैल, 1968 से हटा दिया जायेगा,

(2) खण्ड 7 के स्थान पर पहली अप्रैल, 1968 से निम्न खण्ड को प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा;

'(7) उस राशि का 50 प्रतिशत, जिसके लिये आय-कर अधिनियम की धारा 80 छ के उपबन्धों के अधीन कम्पनी को दी जाने वाली कटौती दी जाती है] (161)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 36, संशोधित रूप में विधेयक के साथ जोड़ दिया गया ।

Clause 36, as Amended, was added to the Bill

खण्ड 37, 38 और 39 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 37, 38 and 39 were added to the Bill,

खण्ड 40

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने सिगार पर से शुल्क वापिस ले लिया है । मैं संशोधन संख्या 183 और 185 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं संशोधन संख्या 186 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 238, 239, 240 तथा 241 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बंका) : मैं संशोधन संख्या 243 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 244 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 268, 269 और 270 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० रानेन सेन : वित्त मंत्री ने काफी, चाय, सिगरेट पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया है । परन्तु इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर लगाने से उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है और इसका लाभ उद्योगपतियों, व्यापारियों को होता है वे कर से कहीं अधिक मूल्यों में वृद्धि कर लेते हैं । इसलिये हम इस प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाने का विरोध करते हैं ।

वित्त मंत्री ने कल कहा था कि यदि अप्रत्यक्ष कर न लगाये जायें तो सरकार का राजस्व कैसे प्राप्त होंगे और सरकार कैसे चलेगी । उन्होंने इस के साथ यह भी कहा था कि रूस में भी अप्रत्यक्ष कर बढ़ रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि रूस को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से राजस्व प्राप्त होता है ।

श्री मोरारजी देसाई : यह भी अप्रत्यक्ष कर हैं ।

डा० रानेन सेन : यहां पर प्रत्यक्ष कर लगभग वेतन प्राप्त करने वाले वर्ग से ही वसूल किये जाते हैं जबकि बड़े बड़े लोग करों से छुटकारा पा लेते हैं । इसलिये कुछ असम्बद्ध बातें कह कर अप्रत्यक्ष कर लगाये जाना न्यायोचित करने से कोई लाभ नहीं । उपभोक्त वस्तुओं पर किसी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाये जाने के हम विरुद्ध हैं । समस्त दक्षिण भारत में काफी पी जाती है और उत्तर भारत, केन्द्रीय भारत, पूर्व और पश्चिम भारत में चाय और सिगरेट पिये जाते हैं । प्रत्येक वर्ष चार या पांच वस्तुएं चुन ली जाती है और उन पर कर लगाया जाता है । हम इस प्रकार कर लगाये जाने के एकदम विरुद्ध है ।

श्री लोबो प्रभु : वित्त मंत्री ने कहा है कि मुद्रा स्फीति को रोका जाना चाहिये और मंदी पर भी काबू पाना चाहिये । जहां तक मुद्रास्फीति को रोकने का सम्बन्ध है, मैं वित्त मंत्री का ध्यान 'ऐकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित सूचक अंक की ओर दिलाना चाहता है । इस में लिखा है कि आम वस्तुओं का सूचक अंक 197 था और जो अब 209.9 हो गया है । सात सप्ताहों की कालावधि में 9 अंकों की वृद्धि हो गई है । मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि क्या उनके बजट के अतिरिक्त भी इस वृद्धि के कोई कारण है ? हमारे विचार में 115 करोड़ रुपये के कर लगाने का एक मात्र कारण यह बजट ही है । इसलिये यदि वित्त मन्त्री अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति के वर्तमान स्तर पर भी रखना चाहें तो उन्हें ये कर हटा देने होंगे । करों को वृद्धि के साथ साथ मूल्यों में वृद्धि हो जाती है इसलिये मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

अब विभिन्न वस्तुओं की मांग में कमी हो रही है और इसका कारण मूल्यों में वृद्धि है । यदि वित्त मन्त्री मजूरी, मूल्यों तथा लाभ पर रोक लगाना चाहते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम करों पर रोक लगानी चाहिये ।

मंत्री महोदय ने मंदी के सम्बन्ध में जो तर्क दिया है वह उनके बजट की घोषणा के बाद स्थिति के साथ ठीक नहीं बैठता। आशा यह की जाती थी कि उन्होंने उद्योगों को जो रियायतें दी हैं उनसे उद्योगों की स्थिति में सुधार होगा, शेयरों के मूल्यों में वृद्धि होगी और शेयर बाजार में एक नयी ताजगी आयेगी। परन्तु स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। आजकल कारखाने बन्द हो रहे हैं और हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं। पिछले सात सप्ताहों में औद्योगिक उत्पादन में कमी का एकमात्र कारण वित्त मंत्री का बजट है। करों को लगाये जाने से उत्पादन में कमी होती है और जन साधारण को कम वस्तुएं उपलब्ध होती है।

वित्त मंत्री ने कर लगाने का यह कारण बताया है कि आन्तरिक मूल्यों में वृद्धि से निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस विचारधारा को पर्याप्त समय तक क्रियान्वित नहीं किया गया। यदि आन्तरिक मूल्यों में वृद्धि होती है तो निर्यात में कमी होगी। 'एकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बजट पेश होने के बाद 8 सप्ताहों में खाद्यान्नों में 21 अंक की वृद्धि हुई है और प्रतिदिन निर्यात में कमी हो रही है। यदि कोई ऐसे आँकड़े हो जो यह सिद्ध कर सकें कि पिछले 8 सप्ताहों में निर्यात में कमी नहीं हुई तो वे हमें उपलब्ध होने चाहिये।

निर्यात की कमी को वास्तविक कारण अवमूल्यन है। मैंने कहा था कि रुपये का पुनः मूल्यांकन किया जाये परन्तु वित्त मंत्री ने कहा कि हम विश्व बैंक के प्रति वचनबद्ध हैं, इसलिये पुनःमूल्यांकन नहीं कर सकते। हमें यह अधिकार है कि हम अपने रुपये का पुनः मूल्यांकन जब चाहे करें। जब अवमूल्यन के कारण हमारे आन्तरिक मूल्यों में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जब अवमूल्यन से निर्यात में कमी हुई है, जब अवमूल्यन हमें औद्योगीकरण करने में बाधा पड़ी है, जब इससे उत्पादन की लागत में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो हमें अवमूल्यन को समाप्त करके अपने रुपये का पुनःमूल्यांकन अवश्य करना चाहिये। यह एक तर्क संगत निष्कर्ष है कि जब भी मूल्यों में वृद्धि होगी, निर्यात में कमी होगी। वित्त मंत्री ने कुछ वस्तुओं को सामाजिक रूप में अवांछनीय बताया है परन्तु मेरे विचार में यह एक व्यक्तिगत मामला है जिन वस्तुओं को उन्होंने अवांछनीय बताया है वह देश के किसी विशेष विचारधारा वाले कुछ लोगों के लिये अवांछनीय हो सकती है परन्तु बहु संख्या के लिये वे अवांछनीय नहीं हैं।

अत्यधिक लाभ को समाप्त करने का तर्क अच्छा है परन्तु क्या आय-कर के सभी तरीकों और बढ़ते हुए करों के साथ उत्पादन शुल्क लगाकर अत्यधिक लाभ को समाप्त करना आवश्यक है ?

हथकरघा रेयन और एल्यूमीनियम के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जो राहत दी है उससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होने की सम्भावना है। हमें पहले ही यह अनुभव हो चुका है कि जब एक विशेष किस्म के कपड़े पर कुछ राहत दी गई थी तो उससे कपड़े के मूल्यों में वृद्धि ही हुई है। उत्पादक उस कमी की पूर्ति अन्य मदों से कर लेते हैं जिन पर नियंत्रण नहीं होता और जिन पर विशेष रूप से कर नहीं लगाया गया है।

वित्त मंत्री ने यह बताया था कि जूतों के सम्बन्ध ने उन्होंने जो आदेश दिये हैं उसमें से 87 प्रतिशत जूतों की उस आदेश से छूट होगी। हमें यह नहीं पता चल सका कि वे कौन से विशिष्ट प्रकार के जूते हैं जो पांच रुपये से कम लागत के हैं और जो 87 प्रतिशत बनते हैं।

इन खण्डों के बारे में मेरा यह विचार हैं कि करों की वृद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिये। तथा विलासिता के खर्च पर भी रोक लगाई जानी चाहिये। विलासिता के खर्च सें मेरा अभिप्राय होटल के भोजन के सम्बन्ध में किये जाने वाले खर्च से है। होटलों में निम्नतम वर्ग के साधारण खाने के दाम निश्चित होने चाहिये।

लोक निर्माण विभाग द्वारा दिये जाने वाले ठेकों पर भी रोक लगाई जानी चाहिये। समय के अन्दर कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जाता। ठेके का दर एक बार निश्चित हो जाने के बाद समय पर कार्य आरम्भ न करने पर भी वही दर निश्चित रखा जाये तो अच्छा होगा।

{श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए
Shri C.K. Bhattacharya *in the Chair*}

Shri S. M. Joshi (Poona) : I will confine myself on clause 41 and on other general aspects of the bill. The levy on the yarn is undesirable. The duty has been raised from Rs. 1.50 to 6.50, It will bit hard the powerlooms and lakh of labourers will be rendered jobless as a result thereof. The powerlooms will not be able to stand the competition of the big mills situated in the big cities. I would, rather say that under the influence of the mill-owners this levy has been imposed. This step is a reactionary one and it will result in grave consequences for the country. The committee appointed to go into these affairs recommended that a special duty should be imposed on the sized yarn and that the composite mills be forced to pay the levy. I would, therefore, suggest that it would be better if the levy is imposed on the source i. e. on the production of the yearn. It will help in checking corruption and tax-evasion, Another thing I would like to suggest that necessary facilities and concession in the the taxes should be given to the mill owners as an encouragement who wanted to shift their mills, factories etc. to the rural areas, It will check migration of people from villages to the cities.

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर): मैं जूतों पर लगाये जाने वाले शुल्क के बारे में ही कहूँगा। कल दुर्भाग्यवश उस समय मैं सभा में उपस्थित नहीं था जब वित्त मंत्री ने कहा कि 75 प्रतिशत मामलों में जूतों का मूल्य पांच रुपये या इससे भी कम है।

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*}

माननीय मंत्री की जानकारी सर्वथा गलत है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बच्चों के जूते भी पांच रुपये में उपलब्ध नहीं है। खादी ग्रामोद्योग सप्लाई की जाने वाली चप्पले भी 13 अथवा 14 रुपये से कम में उपलब्ध नहीं है। अब यह पता लगा है कि बाटा कम्पनी भी जूतों के मूल्यों में वृद्धि कर रही है। अतः मेरा निवेदन है कि जूतों सम्बन्धी प्रस्तावित शुल्क को समाप्त कर दिया जाये और यदि यह सम्भव नहीं है तो कम से कम पन्द्रह रुपये वाले जूतों को इस शुल्क से छूट मिलनी चाहिए।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : बिजली से चलने वाले लगभग 70 प्रतिशत करघे महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। अतः बिजली से चलने वाले करघों पर यदि शुल्क को बढ़ाया जाता है तो इसमें महाराष्ट्र राज्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

एक ओर तो हम उद्योग के आधुनिकीकरण पर जोर देते हैं और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक करघे बिजली का प्रयोग करे परन्तु दूसरी ओर हम ऊपर अधिक कर लगा रहे हैं। ऐसा सामाजिक कर्तव्य को भूलकर तथा मिल मालिकों के दबाव में आकर किया जा रहा है।

बम्बई तथा पूना के सीमा शुल्क विभाग के समाहर्ता ने कहा है कि बड़े शुल्क से केवल बम्बई में बिजली से चलने वाले करघों में आठ करोड़ रुपये तथा पूना से अलग चार करोड़ रुपये प्राप्त हो जायेंगे। परन्तु हमारे वित्त मंत्री का कहना है कि बढ़े हुए शुल्क से केवल साढ़े सात करोड़ रुपये हैं एकत्र होंगे। अध्ययन ग्रुप को इस समूचे मामले की पुनः जांच करनी चाहिए तथा इस बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्ताव करनी चाहिए।

मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री को प्रस्तावित कर में 75 प्रतिशत की कमी करनी चाहिए क्योंकि इसमें गरीब लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से माननीय सदस्यों ने इस खण्ड के सम्बन्ध में अपने विचार करने की इच्छा प्रकट की है। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे पांच मिनट से अधिक समय न लें।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बंका) : मेरे संशोधन चाय तथा काफी के बारे में हैं। कई माननीय सदस्य इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। अतः मैं केवल पटसन से निर्मित वस्तुओं पर बढ़ाये जाने वाले शुल्क के बारे में ही बोलूंगा।

माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि केवल निर्यात के लिए ही उत्पादन शुल्क में वृद्धि की जा रही है। पटसन से बनी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने से हैसियन 'थैलों' के मूल्यों में भी वृद्धि हो जायेगी। अतः इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के मूल्यों में भी वृद्धि हो जायेगी क्योंकि खाद्यान्नों को इन्हीं थैलों में रखा जाता है। मेरे विचार में उत्पादन शुल्क में वृद्धि से निर्यात में भी बाधा पड़ेगी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विश्व में हमारा पटसन का व्यापार कम हो रहा है 1957 में हमारा पटसन में बनी वस्तुओं का व्यापार 82.9: प्रतिशत था जोकि 1966 में कम होकर 58.5 प्रतिशत रह गया है। ऐसा हमारी नीतियों के कारण ही हुआ हैं। इसलिए निर्यात के लिये हमें कुछ ठोस उपाय करने चाहिए। उत्पादन शुल्क में वृद्धि करने से यह सम्भव नहीं है।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The Finance Minister in his statement has stated the levy on the enhanced rates will yield only 7.5 crores to the exchequer. On the other hand many hon. Members have stated that this as umption of the hon. Finance Minister is wrong and that the exchequer will get about 50 to 60 crores on the basis of this additional cess on the superfine quality of yarn. Even the Study Team appointed to go into this question has come to theemclusion that this will bring revenue to tune of more

than 15 crores to the Government. If this is correct then I would request the hon, Minister to reduce the excise duty on the yarn by 50 percent and lay a report of the study team on the Table of the House.

In this connection I would charge the Government that they have levied this duty in connivance with the capitalists to put an end to the powerloom industry. I wolud say that this further burden on the powerloom industry in the farm of enhanced duty would result in the unemployment of more than four lakhs labourers. It will also hit hard at the root of the principal of decentral sation in the field of industry.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : हम चाहते हैं कि हमारे देश में कुटीर उद्योग भी रहे और उनके साथ साथ देश में मिलें भी चलती रहें । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी सरकार ने इस नीति को कार्यान्वित किया है । परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने वालों के समर्थकों ने हथ करघा बुनकरों, कुटीर उद्योग के कर्मचारियों, उद्योग में विकेन्द्रीकरण तथा उसके कर्मचारियों के विरुद्ध अपने अभियान को समाप्त नहीं किया है । उनका एक हथियार बिजली से चलने वाले करघे भी हैं ।

समूचे देश में लगभग 1½ करोड़ मजदूर हथकरघा उद्योग में लगे हुए हैं । हमें उनके हितों की भी रक्षा करना है । तीन वर्ष पूर्व तथा पिछेले वर्ष जब सूत पर शुल्क लगाया गया था तो हम चाहते थे कि उस शुल्क को इस हद तक कम कर दिया जाये जिससे कि हथकरघा उद्योग को कोई हानि न हो । परन्तु इस उद्योग को इस वर्ष भी कोई रियायत नहीं दी गई है। वर्ष के दौरान किसी समय भी यदि सरकार उचित समझे तो वह इस उद्योग को राहत दे सकती है ।

जूतों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जूतों तथा चप्पलों का प्रयोग करें क्योंकि नंगे पांव चलने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा उसकी दक्षता में कमी होती है । परन्तु जूतों पर लगाये गये उत्पादन शुल्क से हमारे ध्येय की प्राप्ति नहीं होती । मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इन पर विचार करेंगे तथा इनको यथा सम्भव कम करना चाहिए ।

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : तथ्य यह है कि उस प्रस्ताव के आने से पूर्व एक रुपये 20 पैसे शुल्क था । इसमें एक रुपया सूत क्रय करने वाले साईजिंग यूनिटों द्वारा दिया जाता था शेष विद्युत करघों के मालिकों द्वारा दिया जाता था । अब मूल प्रस्ताव इस शुल्क को छः रुपये तक बढ़ाने का है । साईजिंग यूनिटों ने कहा है कि इस शुल्क का भुगतान बुनकरों द्वारा किया जाना चाहिए । अशोक महता समिति ने भी यह सिफारिश की थी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए जिस से विद्युत करघों को सूत के लिए मिलों पर आश्रित न रहना पड़े । परन्तु ये बुनकर अभी भी सूत के लिये मिलों पर निर्भर है । अब इस शुल्क में 500 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव उचित नहीं है । इस पर वित्त मंत्री को पुनः विचार करना चाहिए ।

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : We should try to employ more and more people in the Textile industry. It will be good for the country and will also help in raising in the standard of living of the people. A programme should be drawn whereby in the

next ten or fifteen years 80 to 90 per cent of the cloth requirements of country could be met through powerlooms and handlooms. If such an programme is implemented the economy of the country will be strengthened. It will also help in abnormal growth of the cities.

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्यों ने कोई नई बात नहीं कही है। जब मैंने यह कहा था कि मुद्रा के मूल्य को पुनः बहाल नहीं किया जा सकता तो मैंने सच ही कहा था क्योंकि हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के परामर्श के बिना ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को अवमूल्यन से लाभ हुआ है वह मुद्रा के मूल्य के पुनः बहाल किये जाने के लिए कभी सहमत नहीं होंगे।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि निर्यात में कमी हो रही है। गत वर्ष अथवा उससे भी पहले वर्ष के जून मास में जितना निर्यात हुआ था इस वर्ष जून में उससे अधिक निर्यात हुआ है। अतः यह कहना उचित नहीं कि निर्यात कम हो रहा है। दूसरी ओर मैं यह कहूंगा कि निर्यात में वृद्धि हो रही है।

माननीय सदस्य श्री बनर्जी ने जूतों पर लगाये जाने वाले शुल्क के बारे में कहा है। मेरे विचार में माननीय सदस्य जूतों के फुटकर मूल्यों के बारे में कह रहे हैं जबकि मैंने जूतों के थोक मूल्यों का उल्लेख किया था। फुटकर मूल्य थोक मूल्यों से 25 से 30 प्रतिशत अधिक है। वर्गमान शुल्क फुटकर मूल्यों पर न लगा करके थोक मूल्यों पर लगाया गया है। दूसरे शुल्क केरल कारखानों में निर्मित जूतों पर ही लगाया गया है 8 रुपये से कम दाम के जूतों पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है।

विद्युत करघों पर लगाये गये उत्पादन शुल्क के बारे में कहा गया है कि श्री टम्पानी ने इस मामले की जांच करने के पश्चात कहा था कि सरकार को उत्पादन शुल्क की बढ़ी हुई दर से लगभग 15 करोड़ रुपये आय होगी। मैंने उनकी रिपोर्ट को देखा है जिसमें कहा गया है कि पूरे वर्ष में कुल ग्यारह करोड़ रुपये की आय होगी। परन्तु बाद में पता लगा कि उन्होंने अहमदाबाद से जो आंकड़े एकत्र किये थे वह बढ़ा चढ़ा कर बताये गये थे। उसमें उनको कुछ कमी करनी पड़ी थी। इस प्रकार समूचे वर्ष में कुल आय 9 करोड़ रुपये अथवा उससे भी कम आय होगी।

चाय और काफी के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उनकी खपत देश में कम हो जाये। इन दोनों चीजों की देश में खपत कम करके ही हम इनके निर्यात को बढ़ा सकते हैं। यदि खपत कम नहीं होती है तो इनके निर्यात में और कमी होने की सम्भावना है।

साइज्ड (Sized) सूत से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क हटा दिया गया है। अतः अतिरिक्त शुल्क देने का अब कोई प्रश्न ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 183, 185, 186, 238, से 241, 243, 244, 268, 269 और 270 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 183, 185, 186, 238 to 241, 243, 244, 268, 269 and 270 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 40 विधेयक का अंग बने ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 79 : विपक्ष में 47

A yes 74 : Noes 47

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 40 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 40 was added to the Bill.

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार 28 जुलाई, 1967 6 श्रावण 1889 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday the 28th July 1967/ Sravana 6, 1889 (Saka)